राजस्थान विधान सभा

२७वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक १० अप्रेल, सन् १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८ बजकर ५ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ३९२

गत वर्ष की जयपुर व किशनगढ़ इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के आधीन बेसिक पाठशालायें एवं उन पर आय-व्यय

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में गत वर्ष में जयपुर और किशनगढ़ इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के मातहत कितनी बेसिक स्कूलें चालू थीं ?

(ख) उक्त स्कूलों में किस किस स्कूल पर कितना कितना खर्चा हुआ और कितनी कितनी आमदनी हुई ?

(ग) ऐसी कौन कौन सी स्कूलें हैं जो सेल्फ सपोर्टेड हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (शिक्षा मन्त्री)—(क) गत वर्ष १५४, ५५ के सेशन में किशनगढ़ व जयपुर इन्स्पेक्टोरेट ऑफ स्कूल्स के मातहत कोई बेसिक स्कूल नहीं थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Page No 2

श्री चांदमल मेहता—इन दोनों इन्स्पेक्टोरेट्स के मातहत बेसिक स्कूल्स नहीं जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—स्टाफ की कमी।

श्री चांदमल मेहता—स्टाफ की कमी क्या दूसरे इन्स्पेक्टोरेट के मातहत नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बहुत सी जगह नहीं खोले गये।

श्री चांदमल मेहता—क्या चालू वर्ष में कोई योजना है खोलने की ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हां कुछ स्कूलों को बेसिक स्कूलों में तब्दील किया जायगा और उसमें वहां का भी ध्यान रखा जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ३६३

राजस्थान निर्माण के पश्चात् शिक्षा विभाग के गजटेड अधिकारियों को एक्सटेन्शन

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान निर्माण के बाद शिक्षा विभाग में किन किन गजटेड ऑफीसर्स को कितने कितने समय के लिए एक्सटेन्शन दिया गया ?

(ख) ऐसे कितने गजेटेड ऑफीसर्स हैं जिनके एक्सटेन्शन के मामले सरकार के विचाराधीन हैं ?

(ग) उक्त अफसरों के एक्सटेन्शन के मसले कितने कितने समय में किस किस अधिकारी के पास विचाराधीन हैं ?

(घ) ऐसे कौन कौन गजेटेड ऑफीसर्स हैं जिनके एक्सटेन्शन के प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (शिक्षा मन्त्री)—क्या लिस्ट मिल गई आपको ?

श्री चांदमल मेहता—जी हां।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) सदस्य महोदय की जानकारी के लिए इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) एक का भी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) श्री एस. बी. चतुर्वेदी, हैड ऑफ दी बोटोनी डिपार्टमेंट, महाराजा कालेज जयपुर।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स नागौर का एक्सटेन्शन का मामला सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो जानकारी दी जा रही है वह बगैर पूरी छानबीन के दी जा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि जो सरकार के विचाराधीन जब कहा गया तो सेक्रेटेरियेट के लेवल तक वे कागजात पहुंच गये होंगे।

श्री चांदमल मेहता—क्या जो जानकारी इकट्ठी की गई है वह सेक्रेटेरियेट में जो कागजात पेन्डिग है उन्हीं की और दूसरी जगह, डाइरेक्टर वगैरा के पास पेन्डिग हैं उनकी नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सरकार के विचाराधीन बात बताई, रिप्रेजेन्टेशन आते हैं, उन पर नीचे से रिकमन्डेशन्स आयी हों तो वह विचाराधीन हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या डायरेक्टर के पास पेन्डिग हो तो वह विचाराधीन नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एप्लीकेशन किसी के पास पेंडिग हो तो विचाराधीन नहीं कह सकते।

श्री चांदमल मेहता—क्या इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स का मामला सेक्रेटेरियेट तक पहुँच चुका है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे पूरा पता नहीं है। इसकी जानकारी मैं और करूंगा, आप सूचना दे रहे हैं उसकी।

Page No 4

प्रश्न संख्या ३६४

श्री अध्यक्ष—श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ३६५

श्री भोपालसिंह

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ३६६

जनवरी १९५४ के पश्चात् कुछ पटवारियों को प्रोमोशन देकर रेवेन्यू इन्सपेक्टर बनाना

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) १ जनवरी १९५४ के बाद जयपुर जिले में किन किन पटवारियों को प्रोमोशन दिया जाकर रेवेन्यू इन्सपेक्टर का ग्रेड दिया गया है ?

(ख) उक्त पटवारियों के क्या नाम हैं ? उनकी लेन्थ ऑफ सर्विस कितनी है और सिनियोरिटी लिस्ट में उनका कौन कौन सा स्थान है ?

(ग) १ जनवरी, १९५४ के बाद रेवेन्यू इन्सपेक्टर के स्थान पर काम करने वाले किन किन कर्मचारियों को रिवर्ट करके पटवारी बना दिया गया ?

(घ) उक्त कर्मचारियों की कितनी कितनी सर्विस है और सिनियोरिटी में उनका कौन कौन सा स्थान है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(राजस्व मन्त्री) (क) १ जनवरी १९५४ के बाद जयपुर जिले में निम्नलिखित दो पटवारियों को टेम्पोरेरी प्रमोशन देकर रेवेन्यू इंसपेक्टर बनाया गया ?

(ख) श्री बुधसिंह, श्री मूलचन्द

श्री बुधसिंह की लैंथ ऑफ सर्विस ३०॥ वर्ष है और श्री मूलचंद की लैंथ ऑफ सर्विस ७॥ वर्ष है। सीनियोरिटी लिस्ट में उनका नम्बर क्रमशः २ और २६० है।

Page No 5

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ग) उक्त दोनों पटवारियों को रिवर्ट कर दिया गया है। क्योंकि इनका प्रमोशन आरजी तौर पर था।

(घ) इसका उत्तर (ख) भाग में आगया है।

श्री चांदमल मेहता:—क्या यह सही है कि उनको रिवर्ट करने के बाद फिर इन्सपेक्टर बनाया गया है?

दामोदरलाल व्यास:—मेरी जानाकारी में यह बात नहीं है।

श्री चांदमल मेहता:—श्री मूलचन्द काफी जूनियर होते हुए भी उनको रेवेन्यू इन्सपेक्टर बनाये जाने का क्या कारण है?

श्री दामोदर लाल व्यास:—मैंने कहा कि आरजू इन्तजाम था। वापिस रिवर्ट हो गया।

श्री चांदमल मेहता:—आरजू इन्तजाम के लिये क्या सीनियोरिटी देखने की आवश्यकता नहीं थी?

श्री दामोदरलाल व्यास:—बिल्कुल टेम्पोरेरी जगह थी। कोई छुट्टी पर गया होगा उसको रिलीव करने के लिये मुकर्रर किया गया था।

प्रश्न संख्या ३६७

हिन्दी में कार्य करने वाले शासकीय विभाग।

श्री भैंरूसिंह:—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) सरकार ने किस किस विभाग में राज्य का कार्य हिन्दी में किये जाने के लिये आदेश जारी किये हैं?

(ख) क्या यह सही है कि इन आदेशों का पालन पूर्णतया नहीं हो रहा है?

(ग) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या विचार कर रही है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—(क) निम्नलिखित विभागों में राज्य का कार्य हिन्दी में किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं:—

१. पंचायत विभाग में, मुख्य पंचायतअधिकारी तक,
२. नगरपालिकाओं में अध्यक्ष, स्वायत्त संस्थाओं के कार्यालय तक,

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

३. शिक्षा विभाग में, पाठशालाओं के निरीक्षकों के कार्यालयों तक,

४. सहकारी विभाग में रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के कार्यालय तक सिवाय सहायक बैंक।

५. देवस्थान विभाग में, अध्यक्ष देवस्थान के कार्यालय तक,

६. सचिवालय के न्याय विभाग की समस्त शाखाओं में जिसमें जंगलात, जागीर व देवस्थान विभाग सम्मिलित हैं।

७. सचिवालय के राजस्व विभाग के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में सिवाय रेवेन्यू बोर्ड के।

८. इनके अतिरिक्त अन्य विभागों को भी हिन्दी में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित किया गया है।

(ख)(ग) ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि इन आदेशों की तामील पूर्णरूप से नहीं की जा रही है। हां, यह हो सकता है कि प्रारम्भिक स्थिति होने के कारण कहीं कहीं अंग्रेजी का प्रयोग भी इन विभागों को करना पड़ता है। कहीं कहीं मुद्रलिख, आशुलिपिक व मुद्रयंत्र की भी कठिनाई मालूम हो रही है इनको दूर करने के लिये सरकार ने एक समिति स्थापित कर राय मांगी है।

श्री जगतसिंह झाला:—जिन विभागों में नहीं किया गया है उनमें कब की जायगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—एक बार समुचित व्यवस्था होने के बाद।

प्रश्न संख्या ३६८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार को रेलमार्ग बनाने की सिफारिश

श्री जगत सिंह झाला:—क्या योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान में कौन कौन रेल मार्ग बनाने के लिये सिफारिश की है?

(ख) क्या सरकार ने बड़ी सादड़ी से नीमच रेल्वे स्टेशन जो अभी मध्य भारत में है, तक रेल्वे लाईन बनाने का कार्य इसी योजना में करने की सिफारिश की है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(क) राजस्थान सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में निम्नलिखित रेल मार्ग बनाने को सिफारिश रेल्वे बोर्ड को की है:—

Page No 7

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

१. उदयपुर हिम्मत नगर वाया रिषभदेव खेरवाडा डूंगरपुर

२. रानीवाडा डीसा(कांडला से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने के लिए)

३. पिलानी-लुहारू

४. सवाई माधोपुर से जयपुर को बड़ी लाइन में बदलना

५. टोंक से चौथ का बरवाड़ा के बीच मीटर गेज लूप लाइन जो सवाई माधोपुर, जयपुर बड़ी लाइन से चौथ का बरवाड़ा मिलेगो

६. चितौडड्ढ कोटा

७. रतलाम डूंगरपुर वाया बांसवाडा और गलियाकोट

८. गंगानगर, हिन्दूमल कोट बडी लाइन

९. टोडारायसिंह, देवली, बूंदी, कोटा

१०. मांडल, बनेडा, शाहपुरा, जहाजपुर, देवली

११. कोशी[यू.पी] भरतपुर वाया कामां डीग और कुम्हेर बडी लाइन

१२. सरमथरा गंगापुर वाया करोली [डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर]

१३. रानीवाडा, सांचोर

१४. जयपुर, सांभर, बडी लाइन लिन्क

१५. श्री गंगानगर, सरदार शहर वाया पदमपुर सूरतगढ़

१६. अजमेर मेड़ता सिटी

१७. सवाईमाधोपुर शिवपुर कलां (मध्य भारत में)

१८. चूरू तारानगर नोहर वाया साधा

१९. बडी सादड़ी नीमच वाया छोटी सादड़ी

(ख) हां

(ग) निश्चित नहीं कहा जा सकता

श्री संतोषसिंह—बिलाडा से सोजत तक के लिये सिफारिश नहीं की ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्या फरमाया ?

श्री संतोषसिंह—बिलाड़ा से सोजत के लिये क्या किया ?

श्री अध्यक्ष—बिलाड़ा सोजत क्या ?

श्री संतोषसिंह—बिलाड़ा सोजत लाइन के लिये सिफारिश नहीं की क्या ?

श्री हनूतसिंह—पोकरण से जेसलमेर तक लाइन बनाने के लिये सिफारिश की या नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस में सिर्फ उन्हीं का उल्लेख किया गया है जिनकी सिफारिश की गई है। काम कब चालू होगा कब नहीं होगा यह रेल्वे मिनिस्ट्री के हाथ की बात है। वे किस प्रकार तय करते हैं।

श्री संतोषसिंह—क्या सभी लाइन्स को भारत सरकार ने मंजूर किया है ?

श्री अध्यक्ष—अभी बताया था आपने सुना नहीं क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जिसे कहा जाय कि फाइनल कंसीड्रेशन करके सेन्कशन देने की बात तो किसी के लिये नहीं की, लेकिन सरवे के लिये कुछ लाइन्स के लिये सेंकशन दी है।

श्री जगतसिंह—यह कार्य कब तक शुरू होने की आशा है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ३६६

ग्राम किशनपुरा (तहसील रूपनगर) में बारानी भूमि के पर्चे मिलने वाले कृषक

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) ग्राम किशनपुरा (तहसील रूपनगर) में किन किन किसानों को कितनी कितनी बारानी भूमि के पर्चे मिले हैं ?

(ख) उक्त किसानों की बारानी भूमि का क्या क्या लगान मुकर्रिर है ?

(ग) उक्त किसानों से गत वर्ष बारानी भूमि का लगान किस किस रेट से वसूल किया गया ?

(घ) चालू वर्ष में लगान किस किस रेट से वसूल करने के आदेश दिये गये हैं ?

(ङ) किशनपुरा ग्राम में कितनी काकड़ भूमि किसानों द्वारा काश्त की जाती है ?

Page No 9

श्री दामोदरलाल व्यास—(राजस्व मंत्री) (क) ग्राम किशनपुरा (तहसील रूपनगर) में जिन २ किसानों को बारानी भूमि के पर्चा मिले उनकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(ख) उक्त किसानों की बारानी भूमि का लगान निम्न रेट से मुकर्रिर है।

बारानी अव्वल	।।)।। प्रति बीघा
बारानी दोयम	।=)। प्रति बीघा
बारानी सोयम	≡)।।। प्रति बीघा (पौने चार आना)

(ग) उक्त किसानों ने गत वर्ष में बारानी भूमि का लगान रेट मुकर्रिर से ही किया गया।

(घ) चालू वर्ष में उक्त किसानों के रेट में तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बिना नाम भूमि जो बिना इजाजत काश्त की गई उसका लगान १।) व १३ आ० फी बीघा के हिसाब से वसूल करने के आदेश जिलाधीश ने दिए हैं।

(ड किशनपुरा ग्राम में सम्वत् २०१२ में रकबा बिना नाम बारानी में से ६३७) बीघा काश्त हुई है।

श्री चांदमल मेहता—गत वर्ष और चालू वर्ष से मतलब कौन से वर्ष से है?

श्री दामोदरलाल व्यास—चालू वर्ष संवत् २०१२ और गत वर्ष संवत् २०११ है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ५५. ५६ में ५४. ५५ से अधिक वसूल किया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि कहीं ज्यादा नहीं हुआ। जिन्होंने काकड काश्त करली है उनको टिनेन्सी एक्ट के अनुसार देना पड़ेगा। जहां तक लगान ज्यादा वसूल करने का सवाल है, गलतफहमी से ज्यादा वसूल करने की कार्यवाही करली थी उसके लिये जिलाधीश टिनेन्सी एक्ट की धारा ८२ के अंतर्गत वापिस देने की कार्यवाही करेंगे।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन किसानों से अधिक लगान वसूल कर लिया गया वे खातेदार हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—खातेदार नहीं हैं। जिन किसानों का खातेदारी से तालुक नहीं है उनसे ज्यादा लगान ले लिया गया था।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिस जमीन पर किसानों का कब्जा था उनको कुदरती खातेदार माना जा सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ट्रेसपासर्स कभी खातेदार नहीं बनते।

प्रश्न संख्या ४००

गर्ल्स मिडिल स्कूल गजसिंहपुर (जि० गंगानगर) में अध्यापिकाओं की कमी की पूर्ति करना

श्री प्रभूदयाल—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) गर्ल्स मिडिल स्कूल श्री गजसिंहपुर जिला गंगानगर में इस वर्ष कितनी छात्रायें हैं और कितनी अध्यापिकायें हैं तथा गत वर्ष कितनी थी ?

(२) मिडिल स्कूल में अध्यापिकाओं की निर्धारित संख्या क्या है ?

(३) क्या सरकार के ध्यान में है कि यहां पूरा स्टाफ नहीं है और काफी छात्राएं शिक्षा से वंचित रह गई है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य व शिक्षा मन्त्री)—(१) सन् ५५–५६ में छात्राओं की संख्या १६६ और अध्यापिकाओं की संख्या ४ है सन् ५४–५५ में छात्राओं की संख्या १७९ और अध्यापिकाओं की संख्या ५ थी।

(२) ३ अध्यापिकाएं।

(३) जी नहीं।

श्री प्रभुदयाल—जब छात्राओं की संख्या १६६ है तो क्या ३ अध्यापिकाएं काफी है ?

श्री अध्यक्ष—५ बताई हैं आपने सुना नहीं।

श्री प्रभुदयाल—इस वक्त आपने ३ बताई हैं।

श्री अध्यक्ष—आपने बराबर सुना नही। उन्होंने ५ बताई।

श्री प्रभुदयाल—क्या यह सही है कि इस वक्त वहां पर तीन अध्यापिकायें हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं। इस वक्त वहां ४ अध्यापिकायें हैं।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—क्या चार काफी हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने अर्ज किया कि काफी तो ३ ही हैं किन्तु लड़कियों की तादाद बढ़ते देखकर १ और भेज दी है ।

श्री प्रभुदयाल—क्या यह सही है कि वहां प्राइवेट १०० छात्रायें हैं?

श्री अध्यक्ष—प्राइवेट के बारे में कैसे बता सकती है गवर्नमेंट ?

श्री प्रभुदयाल—अध्यक्ष महोदय, ३०० छात्रायें वहां पर हैं पर अध्यापिकाओं की कमी के कारण उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरी जानकारी में यह बात नहीं है, इसलिये आपने जो बात बताई है कि भर्ती नहीं किया जा रहा है, इसकी और जानकारी की जायगी ।

श्री अध्यक्ष—Government can only tell the number of the students reading in Governmental institutions not of private individuals.

प्रश्न संख्या ४०१

जयपुर में हुई आल इन्डिया मेडिकल कान्फ्रेन्स में आयुर्वेद के विरुद्ध किए गए प्रस्ताव पर शासकीय कार्यवाही

श्री जगतसिंह झाला—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि जयपुर में हुई आल इन्डिया मेडिकल कान्फ्रेन्स में आयुर्वेद के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास हुआ था ?

(ख) क्या सरकार इस विभाग के कर्मचारियों व इस प्रणाली के उपचार में विश्वास रखने वाली जनता के हित में प्रस्ताव के अनुकूल राजस्थान में कोई कदम उठाने का विचार करती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

श्री जगतसिंह झाला—क्या कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ था क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी हां ।

श्री जगतसिंह झाला—पर उसका असर क्या हुआ, लोगों में असन्तोष है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सरकार पर उसका कोई असर नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ४०२

तहसील नागौर के विभिन्न ग्रामों में बाकी लगान की वसूली

श्री भैंरू सिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगें:—

तहसील नागौर के किस किस ग्राम में कितना कितना किस किस वर्ष का लगान बाकी है तथा उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तहसील नागौर के खालसा गांवों में पिछले दस सालों में निम्न प्रकार लगान बाकी है—

सम्वत	२०००	२००१	२००२	२००३	२००४	२००५)
	३,२६३)	२,६७६)	२,८९२)	५,३७८)	६,५०६)	११,९९७)
सम्वत्	२००६	२००७	२००८	२००९	२०१०	
	१४,२०१)	२०,८०७)	३१,६९४)	१,१६,५४३)	१,६७,३३४)	

जिन गांवों का लगान बाकी है उनकी सूची संलग्न है, जिलाधीश को आदेश दिया गया है कि जो रकम अकाल की वजह से माफ होना तजवीज हुआ है उसको छोड़ कर बाकी शीघ्र वसूल करली जावे और कार्यवाई वसूली जारी है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

The Hon'ble. Member was not here so I could not give him the list. If he likes I can read the list.'

सूची पढ़ूं क्या ?

श्री अध्यक्ष—give him a copy वही दे दीजिये उनको, नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १४०३

ग्राम चोसला (तहसील नांवां) में कूवा बनाने हेतु १००० रू० की स्वीकृत धन राशि

श्री जगतसिंह झाला—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगें:—

(क) क्या यह सच है कि तहसील नांवां के चोसला ग्राम में बलाइयों को कूवा बनवाने के लिये १००० रूपये सरकार से सहायता दी गई थी ? यदि हां, तो रकम वहां की ग्राम पंचायत के मार्फत दी गई या किसी व्यक्ति विशेष को ?

(ख) क्या यह सच है कि सिर्फ ३०५ रू० १३ आ० ० पाई ही कूए पर खर्च हुए हैं ?

(ग) क्या यह भी सच है कि सारी एक हजार की रकम खर्च कर दिये जाने का हिसाब पेश किया गया है, यदि हां, तो क्या सरकार इसकी पूरी जांच करायेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता-(क) जी हां। उस समय ग्राम चोसलामें ग्राम पंचायत स्थापित न होने के कारण यह सहायता गांव की एक एडहोक कमेटी बना कर उसके अध्यक्ष को सुपुर्द की गई थी ?

(ख) जी नहीं। एडहॉक कमेटी ने उक्त कार्य को पूरा कराने के पश्चात् १७१६ रू० का हिसाब पेश किया जिसमें १००० रू० सरकारी सहायता थी और ७१६ रू० श्रमदान के रूप में गांव वालों ने दिया।

(ग) एडहॉक कमेटी के द्वारा दिये गये हिसाब की जांच असिस्टेन्ट इन्जीनियर ग्राम जल योजना, जोधपुर ने कर ली है और हिसाब ठीक पाया गया है। ऐसी दशा में और जांच कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री जगतसिंह झाला—किसके द्वारा यह जांच कराई गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—असिस्टेन्ट इन्जीनियर ग्राम जल योजना, जोधपुर द्वारा।

श्री जगतसिंह झाला—क्या एडहॉक कमेटी अध्यक्ष हैं वे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मुझे पता नहीं है कि वे कार्यकर्त्ता काहे के हैं, इतना जरूर कह सकता हूं कि उसी गांव के रहने वाले हैं।

श्री किशनलाल शाह—क्या इस बात की जांच की है कि आधी रकम कूए पर खर्च करके आधी रकम वहां के कुछ लोगों ने रख ली है ?

Page No 14

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जांच जरूर की है पर ऐसी जांच नहीं की. ऐसी शिकायत मेरे नोटिस में नहीं आई है।

प्रश्न संख्या ४०४

श्री अध्यक्ष—श्री कुमाराम आर्य। (अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४०५

सवाई माधोपुर स्थित प्रसूति गृह एवं इन्डोर पेशेन्ट्स के कमरों के दरवाजे का प्रबन्ध

श्री श्रीदास गोयल:—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सवाई माधोपुर स्थित प्रसूतिगृह तथा इन्डोर बीमारों के कमरों के दरवाजों पर कोई किवाड़ वगैरह नहीं हैं ?

(ख) यदि हां, तो अब तक सरकार इस दिशा में समुचित प्रबन्ध करेगी ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता— (क) लोहे की जाली के किवाड़ लग गये हैं और लकड़ी के किवाड़ लगना बाकी हैं।

(ख) यह प्रसूतिगृह म्यूनिसिपैलिटी ने बनाया है और अभी इस पर काम जारी है। शीघ्र ही कार्य पूर्ण करने की कोशिश के आदेश दिये जा रहे हैं।

श्री श्रीदास गोयल—यदि म्यूनिसिपैलिटी ने साल भर से काम बन्द कर रखा है तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पूरा करने के लिये आदेश दिए जा रहे हैं।

श्री श्रीदास गोयल—आदेश तो दिए जा रहे हैं पर साल भर से बन्द कर रखा है तो प्रसूतिगृह में और इन्डोर वार्ड में क्या सरकार महसूस करती है कि किवाड़ लगा कर फौरन इन्तजाम करना चाहिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—महसूस करती है इसीलिए तो कहा कि सरकार आदेश दे रही है।

श्री श्रीदास गोयल—म्युनिसिपैलिटी इस काम को पूरा नहीं करेगी तो क्या इसे डिपार्टमेंटली पूरा किया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—म्युनिसिपैलिटी नहीं करेगी तो किया जायगा।

प्रश्न संख्या ४०६

श्री उत्सव लाल शर्मा की समाज कल्याण विभाग में असिस्टेन्ट डाइरेक्टर के पद पर नियुक्ति

श्री भैरू सिंह—क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;—

(क) समाज कल्याण विभाग के असिस्टेन्ट डाईरेक्टर श्री उत्सव लाल शर्मा की इस पद पर नियुक्ति कितने समय के लिए हुई थी ?

(ख) क्या उनकी इस नियुक्ति का अप्रूवल जन सेवा आयोग द्वारा हो गया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) श्री उत्सव लाल शर्मा को सहायक संचालक के पद पर एडहोक बेसिस पर नियुक्त किया गया है।

(ख) उनका अप्रूवल लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है।

श्री गुरूदयाल सिंह संन्धु—इसकी मंजूरी किसके द्वारा दी गई है ?

श्री अध्यक्ष—और कोई सवाल पूछिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ६ महीने से अधिक नियुक्त हुए हो गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऐक्स्टेन्शन दिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—किस ग्रेड पर रखा गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—एक्च्युअल डेट तो नहीं बता सकता परन्तु वही पे स्केल जो वहां था, वही यहां है।

प्रश्न संख्या ४०७

श्री अध्यक्ष—श्री विशंभर नाथ जोशी ।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

प्रश्न संख्या ४०८

सवाई माधोपुर में ढूंढे (खंडहर मकानात) नगरपालिका के सुपुर्द करने सम्बन्धी

श्री श्रीदास गोयल—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. नगर सवाई माधोपुर में कितने ढूंढें खंडहर मकानात हैं ?

२. क्या सरकार इन ढूंढों को नगरपालिका के सुपुर्द करना चाहती है ?

३. क्या सरकार को जानकारी है कि ढूंढों की वजह से गंदगी, चोरी इत्यादि को बल मिलता है ?

श्री दामोदर लाल व्यास—अध्यक्ष महोदय प्रश्न साफ नहीं है, ढूंढों से माननीय सदस्य को क्या मुराद है, सरकारी बिल्डिंग्स के खण्डहर या प्राइवेट मकानात के खण्डहर ? इस लिए जवाब देने में अधिक कठिनाई है। यदि माननीय सदस्य अलहदा साफ प्रश्न करें तो उत्तर दिया जा सकता है।

(हंसी)

श्री श्रीदास गोयल— माननीय अध्यक्ष, जब सवाल यहां एडमिट हो गया तो इस के लिए यह कहना कहां तक उचित है कि साफ नहीं है ? मैं निवेदन करूं कि सवाई माधोपुर में जितने ढूंढे हैं चाहे प्राइवेट या सरकारी, उनसे मुराद है, सब का जवाब दिया जा सकता था, सब के लिए नहीं तो कम से कम सरकारी ढूंढे हैं उनके सम्बन्ध में तो जवाब दिया जा सकता था। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि सवाल बिलकुल साफ है और इसको आगे के लिए पोस्टपोन किया जाय।

श्री दामोदर लाल व्यास—सवाल को अगर मुलाहिजा फरमायेंगे तो ढूंढों के बारे में सवाल पूछा है। किस तरह के ढूंढे, यह इसमें बिलकुल नहीं लिखा है। ढूंढों म्युनिसिपैलिटी के सुपुर्द करने का मतलब मैं नहीं समझ सका हूँ, उस लिए मैंने निवेदन किया कि साफ सवाल पूछें।

श्री श्रीदास गोयल—कितने ढूंढे सवाई माधोपुर में हैं इससे प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के ढूंढों से मुराद है……………

श्री अध्यक्ष—If the Government feels any difficulty in replying to the questions which might be ambiguous, they can write to this office as a protest that on this ground the question should be rejected, instead of raising this objection before the House, I would like that the objections should be raised before me so that the question concerned may be disallowed.

श्री दामोदरलाल व्यास—I am sorry, Sir, but because I got the information very late, I could not inform you.

श्री अध्यक्ष—But this information was available that the question was ambiguous.

श्री दामोदरलाल व्यास—As a matter of fact, the replies are received from the Districts originally. We got them a day or two earlier, and because the question it self is ambiguous there cannot be any reply.

श्री अध्यक्ष—If the merits of the case are gone into, I see no ambiguity in it.

श्री दामोदरलाल व्यास—It is not possible to know which "Dhundhas" he means.

श्री अध्यक्ष—All the demolished or tottered houses.

श्री दामोदरलाल व्यास—Certainly they are not the property of the Government. I do not think he means to ask about these.

श्री श्रीदास गोयल—Mr. Speaker, Sir, the Revenue Minister was himself knowing all these Dhundhas and when he visited the place he was asked about these. He said, "I will try and look into the matter"

There are so many Dhundhas, whether private or Government owned and the Minister. when he went there, himself asked about these houses...

श्री अध्यक्ष—Is there no Municipality ?

श्री श्रीदास गोयल—There is, and the Municipality requested him and he gave an assurance that he will issue orders and that he will improve

[श्री श्रीदास गोयल]

the town so that this nuisance may be stopped. The matter is under consideration for the last ten years.

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय सदस्य वहां जितने ढूंढ़े हैं उनकी फहरिश्त ही चाहते हैं तो अगली टर्न पर पेश कर दूंगा। ढूंढों के लिए सरकार क्या कर रही है, यह भी चाहेंगे तो जवाब अर्ज कर दूंगा।

प्रश्न संख्या ४०६

समाज कल्याण विभाग की श्रीमती भण्डारी (लेडी वेलफेयर ऑफिसर) व श्रीमती त्रिपाठी (सोशियल वेलफेयर आफिसर) की नियुक्तियों के आधार

श्री भैरूसिंह :—(१६) क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) समाज कल्याण विभाग, जयपुर में श्रीमती भंडारी लेडी वेलफेयर आफिसर व श्रीमती त्रिपाठी सोशियल वेलफेयर आफिसर की नियुक्ति कितने समय के लिये कितने वेतन पर की गई थी ?

(ख) ये नियुक्तियां किसने, क्यों और किस आधार पर की ?

(ग) क्या जन सेवा आयोग द्वारा इनकी नियुक्ति की स्वीकृति ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—(१) श्रीमती अनुपमा भंडारी एम. ए. लेडी वेलेफेयर आफिसर की नियुक्ति २००–२०–३००–२०–४०० की वेतन शृंखला में २०० रु० मासिक वेतन पर तीन मास के लिये की गई थी। उन्होंने २२ मार्च, सन् १९५५ को अपना कार्य भार संभाला।

(२) श्रीमती सुमन आर. त्रिपाठी एम. ए. की नियुक्ति सोशियल वेलफेयर आफिसर के पद पर राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड में १६०–१०–३३० की वेतन में १६० रु० मासिक वेतन पर दिनांक ८ अगस्त, १९५५ से की गई है। इनकी नियुक्ति अस्थाई है।

(ख) श्रीमती भंडारी की नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की गई है व श्रीमती त्रिपाठी की नियुक्ति राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्वीकृति से की गई है। इन दोनों की नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की गई है।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ग) श्रीमती त्रिपाठी की नियुक्ति की स्वीकृति राज्य सेवा आयोग द्वारा नहीं ली गई है क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। इसका संबन्ध केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से है जिसकी स्वीकृति ली जा चुकी है। लेडी वेलफेयर ऑफिसर के पद पर नियुक्ति के लिये राज्य सरकार द्वारा राज्य सेवा आयोग को लिखा जा चुका है।

श्री गुरुदयालसिंह संधुः—क्या यह सही है कि श्रीमती त्रिपाठी रहना नहीं चाहती ?

श्री रामकिशोर व्यासः—आप कह सकते हैं ? मुझे मालुम नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या यह सही है कि उसके पति को भी बुलाया जा रहा है और दबाया जा रहा है ?

श्रीअध्यक्ष—इन घरेलू मामलों को आप ही जानते हैं। नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ४१०

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला झालावाड़ में खोले गये हाई स्कूलों के लिये उचित भवनों का प्रबन्ध।

श्री भैरवलाल कालाबादल—क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला झालावाड में कितने हाई स्कूल कौन कौन से स्थानों पर खोले गये ?

(ख) क्या जितने हाई स्कूल चल रहे हैं वहां पर बिल्डिंग पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो सरकार बिल्डिगों के प्रबन्ध के लिये क्या विचार कर रही है ?

(ग) क्या खानपुर हाई स्कूल की बिल्डिंग सरकार की तरफ से बनाई गई है ? यदि हां, तो इसके बनाने में सरकार द्वारा कितने रूपये खर्च हुए हैं ?

(घ) क्या इस इमारत में खानपुर की जनता ने भी श्रमदान अथवा संपत्तिदान दिया है ? यदि हां, तो कितना धन जनता द्वारा लगाया गया और कितना धन सरकार द्वारा ?

(ङ) क्या इस बिल्डिंग का कार्य पूरा हो गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुख्य मंत्री।

(क) कहीं नहीं।

(ख) जी नहीं। स्कूल भवन निर्माण के विषय में अन्य स्थानों के साथ २ इसका भी ध्यान रक्खा जायगा।

(ग) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(१) प्रधान, हाई स्कूल निर्माण समिति, खानपुर द्वारा २८,१४५ रू० का सम्पतिदान।

(२) जनता द्वारा २,००० रू० का श्रमदान।

(३) सरकार द्वारा डवलपमैन्ट स्कीम के तहत ५,००० रू० की आर्थिक सहायता सन् १९५४–५५ में तथा ५,००० रू० की सन् १९५५–५६ में।

(ङ) जी नहीं।

प्रश्न संख्या ४११

श्री अध्यक्ष—श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। प्रश्न संख्या ४१२

प्रश्न संख्या ४१२

राजस्थान में गत छः माह से खाद्यान्नों के भावों में बढ़ौतरी के कारण सरकारी विक्रय केन्द्र खोलने संबंधी शासकीय कार्यवाही

श्री जगतसिंह झाला—क्या खाद्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में गत छः माह से खाद्यान्नों के भावों में बढ़ौतरी का क्या कारण है?

(ख) सरकार ने किन किन भावों में कितना कितना अन्न कब कब खरीदा?

[श्री जगतसिंह झाला]

(ग) क्या सरकार सस्ते भाव से खाद्य पदार्थों के विक्रय हेतु सरकारी विक्रय केन्द्र खोलने का विचार रखती है ?

श्री **रामकिशोर व्यास**—(क) राजस्थान में गत छः माह के खाद्यान्नों के भावों के बढ़ोतरी का कारण यह है कि राजस्थान से खाद्यान्न अधिक मात्रा में विभिन्न प्रदेशों को भेजा जाता है। इसके अलावा गत वर्ष वर्षा देर से होने के कारण कई जगह खरीफ फसल की उत्पादन कम हुई थी।

(ख) राज्य सरकार द्वारा गत छः माह में कोई अन्न नहीं खरीदा गया।

(ग) राजस्थान के निकटवर्ती और राज्यों में भारत सरकार द्वारा सस्ता खाद्यान्न बेचा जा रहा है। इससे आशा है कि राजस्थान में खाद्यान्न बाहर जाना बन्द हो जायेगा और भाव और नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सरकार खाद्यान्न की स्थिति से जानकारी रखती है और भारत सरकार से खाद्यान्न की मांग भी कर रखी है। इसलिये आवश्यक होने पर सस्ते खाद्यान्नों की दुकानें अवश्य खोलेगी।

श्री **गुरुदयालसिंह संधु**—क्या सरकार के प्रयत्नों के बावजूद भी....

(घंटी)

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४१३

महाराजा कॉलेज जयपुर में विद्यार्थियों की संख्या देखते हुए नियमानुसार व्यवस्था करना

श्री **श्रीदास गोयल**—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) महाराजा कालेज, जयपुर में विद्यार्थियों की क्या संख्या है ?

(ख) यूनिवर्सिटी के नियमानुसार अधिक से अधिक क्या संख्या होनी चाहिये ?

(ग) क्या सरकार उक्त नियमानुसार व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—(क) २८०६।

(ख) युनिवर्सिटी ने इस संबंध में कोई सीमा तो निर्धारित नहीं कर रखी है मगर उसने आम तौर से यह कहा है कि १५००, १६०० के अन्दर संख्या होनी चाहिये।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीदास गोयल—जब युनिवर्सिटी ने १५००-१६०० की परम्परा मान रखी है कि इससे अधिक विद्यार्थी नहीं हो तो इससे अधिक संख्या बढ़ाने में लड़कों को पढ़ाने में कठिनाई होती है उसको मिटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि इस पर विचार किया जा रहा है और कार्यवाही की जावेगी। जब से यहां कामर्स कालेज अलग हो जावेगा विद्यार्थियों की संख्या में कमी हो जावेगी।

श्री श्रीदास गोयल—संभवत: आने वाले सेशन से शुरू हो जावेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आने वाले सेशन में तो बहुत जल्दी होगा। एक वर्ष में हो सकता है इतनी बड़ी इमारत का निर्माण करना है। ऐसी उम्मीद करके चल सकते हैं।

श्री तेजमल बापना—क्या यह इमारत गवर्नमेन्ट बनाएगी या पब्लिक बनाएगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एक उद्योगपति हैं जो दो लाख से चार लाख के बीच में आधा खर्चा देने के लिये तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४१४

थांवला (त० डेगाना) में मलबा की रकम बर्तन, चाय सेट, चारपाई इत्यादि में व्यय करना

श्री भोपालसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. क्या थावला तहसील डेगाना में मलबा की रकम बर्तन, चाय सेट, चारपाई वगैरा खरीदने में खर्च करदी गई है ? यदि हां, तो किसकी मंजूरी से ?

२. क्या तहसीलदार को इतनी रकम खर्च करने के अधिकार हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष मुझे खेद है कि इस प्रश्न का जवाब अभी ...ीं आया है इस लिये नहीं दे सकता अगले वक्त दे दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४१५

पांच वर्ष से अधिक सेवा काल वाले रसद विभाग के कर्मचारियों को कमी में लाना

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग व रसद मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. रसद विभाग के कुल कितने कर्मचारी, जिनकी ५ वर्ष से अधिक की सर्विस थी कमी में लाये जा चुके हैं ?

२. उक्त कर्मचारियों में से किन किन को अन्य विभागों में स्थान दिये जा चुके हैं और कितने अभी बेकार हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—१. कोई नहीं। २. यह प्रश्न नहीं उठता। ३. यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—कितने कर्मचारियों को पांच वर्षों में कमी में लिया गया ? क्या कोई भी व्यक्ति कमी में नहीं लिया गया समझा जावे ?

श्री रामकिशोर व्यास—कमी में कोई नहीं लिया गया।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे बहुत से लोग रसद विभाग के मौजूद हैं जिनको कमी में लिया गया है।

श्री रामकिशोर व्यास—ये सरप्लस हैं।

श्री चांदमल मेहता—अभी भी रसद विभाग से सरप्लस व्यक्तियों को वेतन मिल रहा है।

श्री रामकिशोर व्यास—हां ठीक है।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने कर्मचारी हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तहकीक नहीं कहा जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—है या नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास—अनुमान से ऐसे ५० व्यक्ति होंगे जैसा मेरा ख्याल है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उनको न तो सरप्लस होने के नाते तनख्वाह मिलती है न कोई काम मिलता है और इसके लिये वे लोग कई मर्तबा माननीय मंत्री महोदय से मिल चुके हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—जैसा मैंने कहा कि सरप्लस हैंड जरूर हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरप्लस को तनख्वाह नहीं मिल रही है।

श्री रामकिशोर व्यास—जैसी उनकी योग्यता होती है उनके अनुसार उनको तनख्वाह दी जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह पूछना चाहता हूँ कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिये बराबर कोशिश की है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४१६

टोंक के सार्वजनिक वाचनालय के लिये नये भवन का निर्माण

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या टोंक में कोई सार्वजनिक वाचनालय है ?

(ख) यदि हां, तो उसमें कुल कितनी पुस्तकें हैं ?

(ग) क्या उन पुस्तकों पर आधुनिक ढंग से पुनः वर्गीकरण व संख्या अंकित की जा रही है ?

(घ) क्या इस पुस्तकालय का भवन अपर्याप्त है ?

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु कोई नया भवन निर्माण करा रही है या कोई मकान किराये पर लेने की योजना है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) जी हां

(ख) उसमें लगभग १०,२७३ पुस्तकें हैं।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रावराजा सरदारसिंह—किस ऑफिसर द्वारा इसका वर्गीकरण हुआ है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—लाइब्रेरी के लिये अलग ब्रांच है।

श्री रावराजा सरदारसिंह—क्या यह सही है कि इसके लिये सरदार हाई स्कूल के हैडमास्टर को तैनात किया गया था?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हो सकता है कि उनको यह काम सौंपा गया हो।

श्री रावराजा सरदारसिंह—क्या उनको काम करने के लिये कोई ठेका दिया गया या कुछ पैसे तय किये गये या उन्होंने वालन्टरी काम किया?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि यह इस प्रकार का प्रश्न है जिसकी जानकारी प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। यह भी मैं जानकारी करके जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ४१७

सन् १९५५ में अतिवृष्टि के कारण कोटा डिवीजन में कृषकों की फसल को हानि एवं उससे राहत

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(अ) क्या सन् १९५५ में अतिवृष्टि की वजह से कोटा डिविजन में किसानों की फसल को हानि हुई है?

(ब) यदि हां, तो किस किस जिले में किस तहसील में कितनी कितनी हानि पहुँची है?

(स) क्या राजस्थान सरकार द्वारा इन जिलों में कोई राहत दी गई है?

(द) यदि हां, तो किन किन तहसीलों में और किस किस रूप में?

(य) यदि नहीं, तो अब सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठायेगी?

श्री दामोदरलाल व्यास—(अ) सन् १९५५ में इस खन्ड के प्रायः सभी जिलों के किसानों को अतिवृष्टि से हानि हुई।

(ब) हानि इस प्रकार हुई,

बूंदी जिले में	तहसील नैनवा में	३०,५१५ रु०
	तहसील तालेड़ा में	६७,८४ रु०
झालावाड़ जिले में	सब तहसीलों में जुआर तिल व कपास में चार आने से आठ आने तक नुकसान हुआ।	
कोटा में	तहसील अन्ता में	६ आने से १० आने तक.
	तहसील छबड़ा में	६ आने से ८ आने तक.
	तहसील बारां में	६ आने से १० आने तक.
	तहसील लाडपुरा में	६ आने से ८ आने तक का.

(स) किसानों को राहत देने के लिये जिला बूंदी को तहसील नैनवा में ३०,५१५ रु० व तहसील तालेड़ा में ६,७८४ रु० की थाम देने की सिफारिश आई। जिला कोटा में तहसील अन्ता में ६,६१७ रु० १२ आ० ६ पा० व तहसील लाडपुरा में २२,११२ रु० ८ आ० जुमला ३९,३४६। १५। ६. के थाम की सिफारिश आई है और जिला झालावाड़ में २५,००० रु० थाम की सिफारिश आई हैं।

(द) जिला बूंदी में नियमानुसार फसल खरीफ में नुकसान होने पर थाम के अलावा छूट की आवश्यकता नहीं है। जिला झालावाड़ में भी छूट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जुवार तिल व कपास कम होने से भाव ऊंचे हो गये और काश्तकार ने बआसानी लगान अदा कर दिया: जिला कोटा में थाम दिये जाने की स्वीकृति विचाराधीन है।

(य) प्रश्न नहीं उठता।

श्री कंवरलाल जेलिया—जो सिफारिशें कमिश्नर और कलेक्टर द्वारा आई हैं उस पर गवर्नमेंट ने क्या निर्णय लिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने जैसा कि अर्ज किया जहां के लिये ससपेन्शन की रिकमन्डेशन आई वहां के लिए ससपेन्ड करने के आर्डर्स दिये जा रहे हैं।

राज श्री हिम्मतसिंह—लाडपुरा के लिए जो २२ हजार की सिफारिश की है वह क्या रेमिशन दिया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—रेमिशन कहीं नहीं दी जा रही है ससपेन्ड किया जा रहा है ?

राज श्री हिम्मतसिंह—लाडपुरा में खरीफ की फसल के आँक क्या थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरे ख्याल से तहसील लाडपुरा में खरीफ की फसल ६ आने या आठ आने तक के दरमियानमें नुकसान हुआ होगा।

राज श्री हिम्मतसिंह—मैं यह पूछ रहा हूं कि काबिले वसूल रकम फसल खरीफ की क्या थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह फीगर्स इस समय मेरे पास अवेलेबल नहीं हैं अगर आप अलग से पूछेंगे तो जवाब दिया जा सकता है।

राज श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह समझती है कि ससपेंशन जो दिया जा रहा है उसके लिए यह ख्याल किया, क्या आयन्दा सालों में वह वसूल होने की स्थिति होगी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके बारे में जो नियम हैं वह देख लीजिये किस प्रकार ससपेंड किया गया, अमाउन्ट वसूल किया जाता है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या राजस्व अधिकारियों द्वारा समय पर जांच नहीं की गई इसलिये रिपोर्ट में देरी हो जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जांच होने पर ही तो रिपोर्ट आई है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि जिन तहसीलों का माननीय राजस्व मंत्री ने जिक्र किया उसके अलावा भी अन्य तहसीलों में नुकसान हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जो सूचना डिवीजनल कमिश्नर से प्राप्त हुई है, वह मैंने आपको बतादी। इसके अलावा भी अगर माननीय सदस्य कोई सूचना दें तो जानकारी की जा सकती है।

राज श्री हिम्मतसिंह—क्या सिर्फ पटवारी की जांच के ऊपर ही विश्वास कर लेते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—पटवारी, तहसीलदार और कलेक्टर तक जाकर जांच करते हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—नुकसान होने के कितने अरसे बाद कार्यवाही होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तहसीलदार द्वारा नुकसान की रिपोर्ट आते ही कार्यवाही शुरू कर दी जाती है।

श्री कंवरलाल जेलिया—जब सरकारी अधिकारी द्वारा नोटिस में लाया जाता है तो इस सम्बन्ध में क्या सजगता बरती जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—I don't follow, Sir सरकारी अधिकारी की जांच से ही तो इस परिणाम पर पहुँचे हैं। सरकारी अधिकारी द्वारा जांच कराई जाती है।

प्रश्न संख्या ४१८

अलवर जिले में १९५५-५६ में चूना पत्थर कंकर के ठेकेदार एवं उन्हें शासकीय कार्य निर्माण हेतु ठेके

श्री घासीराम—क्या उद्योग व व्यवसाय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—
(क) अलवर जिले में सन् १९५५-५६ के लिये चूना, पत्थर और कंकर के तहसीलवार कौन कौन ठेकेदार हैं और किस किस ठेकेदार के कितने कितने रुपये के ठेके कितने कितने सालों के लिये हैं ?

(ख) चूना पत्थर और कंकर पर ठेकेदार को कितना महसूल फी सैकड़ा लेने का का अधिकार है ?

(ग) अलवर जिले में ये ठेके क्या हर साल नीलाम होते हैं ? अगर हां तो सन् १९५६-५७ के लिये ठेके नीलाम कब हो रहे हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि तिजारा तहसील के ठेकेदार १) सैकड़ा महसूल वसूल कर रहे हैं ? यदि हां तो किस अधिकार से और यदि ज्यादा वसूल किया है तो उसको वापिस लौटाने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

(च) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त ठेकों की मियाद बढ़ाई जा रही है ? यदि हां तो मियाद बढ़ाने के क्या कारण हैं और किस किस ठेकेदार की मियाद बढ़ाई जा रही है ?

(छ) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त ठेकेदारों में से कुछ ठेकों का बकाया है ? अगर हां तो किस किस ठेकेदार का कितना कितना और किस किस साल का है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) व (ख) अलवर जिले के सन् १९५५-५६ के चूना, पत्थर और कंकर के ठेकेदारों की सूची संलग्न है तथा तहसील वाईज ठेकों का द्रव्य व समय भी उनके सामने अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ग) चूना पत्थर और कंकर पर रोयल्टी। मृत खनि लगान की दर निम्न है।

	पत्थर	कंकर बजरी
दो बैलगाड़ी	एक आना	दो आना
चार बैलगाड़ी	दो आना	चार आना
लोरी डेढ़ टन	दो आना	छः आना
लोरी तीन टन	चार आना	छः आना
लोरी ५ टन	छः आना	सवा रुपया
प्रति ऊंट	दो पैसा	एक आना
प्रति गधा	दो पैसा	एक आना
प्रति पाडा	दो पैसा	एक आना

(घ) १. हां

(२) ठेके इस वर्ष २ वर्ष के लिये तारीख १६।३।'५६ से उत्तरोत्तर तिथियों को नीलाम किये गये हैं।

(ङ) नहीं

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) नहीं

(ज) प्रश्न ही नहीं उठता।

(झ) हां निम्न ठेकेदारों में द्रव्य अविशिष्ट हैं।

नामखान	द्रव्य बकाया	सन्
श्री नारायणदास लोहिया		
सोनावा	६७२६,७,०	१६४७
धोबी गड्टा	१०५०,०,०	१६५१
लस्करखान बरखवाड़ा	३५५०,०,०	१६५४.५५
श्री सुखलाल ठेकेदार राजगढ़		
पत्थर कंकर मुरड आदि	२८६४	१६५५
तहसील लक्ष्मणगढ़		
श्री विष्णुदत्त भार्गव अलवर	२५५०	१६५३.५४
कंकर बजरी, मुरम तहसील अलवर		

श्री घासीराम—फी सैकड़ा क्या महसूल दिया जाता है, क्या दर है?

Page No 30

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने जवाब में पढ़ कर सुना दिया कि किस हिसाब से दिया जाता है।

प्रश्न संख्या ४१६

बारा मल्टी पर्पज स्कूल में साइन्स कोर्स पहले के सामान चलने का आदेश

श्री लालबहादुर सक्सेना—(अ) क्या बारा मल्टी पर्पज स्कूल में साइन्स कोर्स जो पहले चलता था फिर चलने का आदेश दिया गया है ?

(ब) अगर नहीं, तो कब तक दिया जावेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(अ) जी हां।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ४२०

आमेर तहसील का लगान मोजूदा सैटलमेन्ट में निश्चित होने के आधार

श्री अंगदराम—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) आमेर तहसील का लगान मौजूदा सेटिलमेंट में कितना कायम हुआ है ?

(ब) सेटिलमेंट से पहले कितना लगान था ?

(स) जागीरों की रकम इस में कितनी जोड़ी गई है ?

(द) मौजूदा सेटलमेन्ट में जमीन की क्लासेज किस बेसिस पर रखी गई है ?

(ब) आमेर तहसील जैसे रेगिस्तान के टीबों में चाही अलिया अव्वल बारानी अलफ अव्वल रखने का क्या आधार है ?

(फ) देहात के एक छोटे से ऐरिया के अन्दर एक कोठी आलिया और उसके पास ही की अव्वल रखने का क्या आधार है ?

(ज) इस प्रकार की शिकायतों पर गवर्नमेन्ट क्या सोच रही है ?

(भ) क्या आमेर तहसील की सर्किल रेट पास वाली तहसीलों के बराबर करने की कार्यवाही हो रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(अ) ठिकाना सामोद के १५ गावों को छोड़कर आमेर तहसील का लगान ७६१००६) रुपये निर्धारित हुआ है ।

(ब) बन्दोबस्त के पहिले खालसे का लगान १,२४१७३) रुपये था । जागीरदारों ने अपनी पहले की जमा के आंकड़े नहीं दिये हैं ।

(स) बन्दोबस्त में जागीर का लगान ६०६२१८) रुपये कायम हुआ है ।

(द) जमीन की क्लासेज उसकी मौके की हालत, सिचाई के सा..न, प्राकृतिक बनावट उपज शक्ति, आबादी से फासला, तथा जंगली जानवरों द्वारा फसल का नुकसान इत्यादि बातों को मध्यनजर रखते हुये कायम की जाती हैं ।

(य) आमेर के रेगिस्तान के टीबों को ज्यादा चाही अलिफ बारानी, व बारानी अलिफ, व बारानी अव्वल, नहीं रक्खा गया है । दर्जे अलिफ में बहुत ही कम रक्खा गया है । मौके की हैसियत के मुताबिक आता है, और उससे मतलब यही है कि उस इलाके में वह चक अच्छा है ।

(फ) विस्तृत सूचना प्राप्त होने पर जैसे कोठी का नाम, व गांव मिलने पर उत्तर यदि जा सकता है ।

(ज) भूमि वर्गीकरण की शिकायत होने पर महकमे बन्दोबस्त द्वारा वे शिकायतें बाद जाँच व मुआइने मौका सुनी जाकर रफे की जाती हैं । महकमे बन्दोबस्त के फैसलों की निगरानी व अपील महकमे राजस्व मन्डल में होती हैं । और वहीं से ऐसी हिदायतों का अन्तिम निर्णय होता है । सरकार द्वारा इस प्रकार के निर्णय नहीं होते ।

(भ) हर तहसील की सूरत अलग अलग है । और वह मुमकिन नहीं कि सब तहसील के रेट एक से हो हो सकें । (फिलहाल आमेर तहसील के रेट कम करने की बाबत कोई आदेश जारी नहीं हुआ है ।)

श्री अंगदराम—जमवा रामगढ़ में जहां छः रूपया है पर बीघा वहां आमेर २० रु. बीघा है इसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बीस रुपया बीघा तो आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं जमवा रामगढ़ की जमीन में और आमेर की जमीन में फर्क है सिर्फ तहसील मिली हुई होने से एक तरह का लगान हो, यह कोई उचित नहीं ।

श्री अंगदराम—कुशलपुरा में २० रुपया बीघा है जब कि जमवा रामगढ़ से वह जमीन मिली हुई और एक ही कांकड़ है फिर इतना फर्क क्यों ?

Page No 32

श्री दामोदरलाल व्यास—आपने कुशलपुरा गांव के बारे में बात बताई उसके बारे में जानकारी हासिल करूंगा।

श्री अध्यक्ष—This is the effect of the number of the question!

प्रश्न-संख्या ४२१ व ४२२

श्री मोटाराम (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ४२३

राजस्थान दलित वर्ग उत्थान विभाग द्वारा राजस्थान की प्राइवेट संस्थाओं को सहायतार्थ धन राशि

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

गत-वर्ष-राजस्थान बैकवर्ड क्लासेज वेलेफेअर डिपार्टमेंट द्वारा राजस्थान की किन किन प्राइवेट संस्थाओं को कितना कितना रुपया सहायतार्थ दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—गत वर्ष १९५४.५५ में निम्न संस्थाओं को सहायता दी गई

अ. अनुसूचित जन जातियों के हितार्थ

राजस्थान सेवा संघ डूंगरपुर	९२,९३४ रु० १२ आ०
गांधी आश्रम कुशलगढ	११,४९२ रु० ४ आ०
आदिवासी सेवक समिति बारापाल	३०० रु०
विश्व विद्यापीठ, उदयपुर बदराना	१,७०० रु०
भील सेवा मंडल बांसवाडा	१,८०० रु०
कस्तूरबा नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट टामटिया	१,५०० रु०
महिला मंडल, उदयपुर	६,९६० रु०
महिला आश्रम, भीलवाड़ा	२,१०० रु०
योग	१,२१,७८७ रु०

Page No 33

[श्री रामकिशोर व्यास]

आदिवासी हरिजन एवं अन्य ए पिछड़ी जातियों के हितार्थ

बांसवाडा जिला सेवा संघ परतापपुर	३०,३५५ रु० ६ आ०
बापा सेवा सदन सरदारशहर	२,२२८ रु० ०
भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर	५,००० रु० ०
बनस्थली विद्यापीठ, निवाई	१२,०३८ रु० ०
विद्याभवन, उदयपुर........	
	योग ५३,६२१ रु० ६ आ०

अनुसूचित जातियों के हितार्थ

राजस्थान सेवा संघ बीगोद	१,२८६ रु० ४ आ०
खारीटांट सर्वोदय संघ शाहपुरा	१,६७३ रु०
हरिजन सेवक समिति प्रतापगढ	१,४३६ रु० ४ आ०
हरिजन सेवक संघ उदयपुर	७,६५६ रु० १५ आ०
शान्त सेवा कुटीर, बांसवाडा	१,५६५ रु० ११ आ०
राजस्थान हरिजन सेवक संघ, भीलवाड़ा	२५,७३३ रु० ८ आ०
श्री कृष्ण छात्रावास, सीकर	७,५५७ रु० ६ पा०
गांधी विद्यालय, सूरजगढ	७३३ रु०
हरिजन सेवक संघ, अलवर	७४२ रु०
मोहन्स स्कूल, टोंक	७६३ रु०
राजस्थान दलित वर्ग संघ जयपुर	७,३०५ रु० ८ आ०
महिला शिक्षा सदन हटुन्डी	६०७ रु०
हरिजन उद्योग शाला कस्तूरबा आश्रम देहली	४,५५० रु० ० आ०
	६१६७८ रु० २ आ० ६ पा०

विमुक्त जाति के

राजस्थान विमुक्त जाति सेवा संघ, जयपुर	४६,८४३ रु० ७ आ०
	४६,८४३ रु० ७ आ०

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या यह सही है कि लोक कला मण्डल भी हरिजन संस्था है ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह आदिवासियों की संस्था है।

प्रश्न संख्या ४२४

खेरतल मन्डी में नजूल की भूमि में पिछले पांच साल में बनी दूकानें

श्री घासीराम—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) खेरतल मण्डी (अलवर) में कितनी जमीन नजूल की है और ये जमीनें किनके अधिकार में कितने समय से हैं ?

(ख) मण्डी के बाहर और अन्दर जो दुकानें बनाई जा रही हैं वे किराये पर दी गई हैं या कीमतन ?

(ग) जो दुकानें पिछले पांच सालों में बनी हैं वे किस किराये पर या कितनी कीमत पर दी गई हैं ?

(घ) क्या जिन लोगों ने दुकानें बनाई हैं या बना रहे हैं उन्होंने पहिले सरकार से इजाजत ली है ? यदि नहीं, तो वगैर इजाजत बनाने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) खेरतल मण्डी में १७ बीघा व ३ बिस्वा जमीन नजूली है, इस भूमि के एक बराबर के १०४ प्लाट बनाकर नजूल कार्यलय द्वारा इनको सन् १६४० ला० १६४६ में नीलाम किया गया था, जो प्रथक प्रथक खरीदारों ने खरीद किये थे, और तभी से उन खरीदारों के कब्जे में है, इन प्लाटों पर दुकानें बन चुकी हैं ।

(ख) मण्डी के बाहर और अन्दर जो दुकानें इन १०४ दुकानों के अतिरिक्त बनी हैं उनकी भूमि न तो किराये पर दी गई है न कीमतन, बल्कि शरणार्थियों ने जमीन पर नाजाजिब कब्जा करके दुकानें बना ली हैं, इसके बारे में यह निश्चय हुआ है कि इस बात का लिहाज करके कि यह लोग शरणार्थी हैं, और उन्होंने अपनी रकम लगा कर दुकानें बनाई हैं, वे इनसे जमीन की कीमत वसूल करके जमीन इनको बेच दी जावे । इस बारे में कीमत तय करने की कार्यवाही जारी है ।

(ग) पिछले पांच वर्ष में कोई दुकानें नजूल की नहीं बनी हैं, इसलिये उन्हें किराये पर व कीमत पर देने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता ।

(घ) १०४ प्लाट जो नजूल द्वारा नीलाम किये गये थे उन पर बनी हुई दुकानें मन्जूरी से हैं, १२६ दुकानें बिला इजाजत नजूली भूमि पर बनाई गई हैं, जिसके विषय में उत्तर प्रश्न (ख) में दिया जा चुका है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:—यह कबतक वसूल हो जावेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास:—ज्योंही वसूली की कार्यवाही शुरू की जावेगी।

प्रश्न संख्या ४२५

सरकार द्वारा राजस्थान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना उसके सदस्य एवं उसकी बैठकें

श्री कंवरलाल जेलिया:—क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार द्वारा राजस्थान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की जा चुकी है ?

(ख) यदि हां, तो इसकी घोषणा कब हुई, इसकी सदस्य संख्या कितनी है और सदस्यों के क्या क्या नाम हैं ?

(ग) उक्त बोर्ड की अब तक कितनी बार बैठकें हुई हैं ?

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने इस योजना के तहत जिला समाज कल्याण बोर्ड भी स्थापित कर दिये हैं और वे कार्य करना प्रारम्भ कर चुके हैं ?

(ङ) क्या फिर भी असिस्टेन्ट डाइरेक्टर, समाज कल्याण के विभाग को सरकार द्वारा रखा जावेगा ?

(च) क्या सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि सम्बन्धित जिला अधिकारी ही उक्त समाज कल्याण बोर्ड के सारे कार्य सम्पन्न कर सकें ?

श्री रामकिशोर व्यास:—(क) हां। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राज्य सरकार की सम्मिलित स्वीकृति से राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई है।

उक्त बोर्ड की स्थापना दिसम्बर, सन् ५४ में हुई। इसकी सदस्य संख्या ६ रक्खी गई है और वर्तमान में इसके निम्नलिखित सदस्य हैं :

१।	श्रीमती महारानी गायत्री देवी	अध्यक्षा।
२।	श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल	उपाध्यक्षा।

[श्री रामकिशोर व्यास]

३। श्रीमती कमला कुमारी श्रोत्रिय सदस्या।

४। श्रीमती नारायणी देवी वर्मा सदस्या।

५। श्रीमती रतन देवी शास्त्री सदस्या।

६। श्री भगवत सिंह मेहता सदस्य।

७। श्री गंगासहाय पुरोहित सदस्य।

८। श्री गौरीशंकर आचार्य सदस्य।

(ख) इसकी आज तक कुल ११ बैठकें हुईं।

(ग) इस योजना के तहत तो नहीं लेकिन अनुसूचित जातियों के हितार्थ जिला समाज कल्याण बोर्ड स्थापित किये गये हैं। इन बोर्डों ने काम शुरू कर दिया है।

(घ) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। वैसे सहायक संचालक और जिला बोर्ड का कार्य भिन्न है।

(ङ) जिला समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जिलाधीश हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ४२६

ग्राम बड़ाखेड़ा (तहसील पाटन) के बीच में चलने वाली चक्की को बन्द कराने सम्बन्धी शासकीय कार्यवाही

महाराज श्री केशरी सिंह:—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम बड़ा खेड़ा, तहसील पाटन, जिला बूंदी में ग्राम के बीचों बीच जो चक्की चलती है उसे बन्द कर दिये जाने के लिये कलेक्टर, बूंदी ने आदेश दे दिया था?

(ख) क्या यह भी सही है कि इस चक्की के चलने के कारण पास के मंदिर की दीवारें फट गई हैं?

(ग) यदि हां, तो चक्की आज दिन तक क्यों चल रही है?

श्री रामकिशोर व्यास:—(क) हां।

(ख) इस चक्की के चलने के कारण मन्दिर की दीवारें फटने बाबत कोई सूचना नहीं मिली।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ग) सन् १९५३ में श्री भंवरलाल निवासी खेड़ा का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ कि इस चक्की के चलने से किसी को कोई नुकसान नहीं था और यह पहले शिकायत की गई थी वह निराधार व पार्टीबन्दी की वजह से थी। इस पर जिलाधीश बूंदी ने तहसीलदार द्वारा मामले की जांच करवाई और मालूम किया गया कि इस चक्की के चलने से किसी आसपास के मकानात को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है और चक्की चलते रहने में कोई हर्ज नहीं अतः चक्की का हटाया जाना मौजूदा स्थान से मुनासिब नहीं समझा गया।

महाराज श्री केशरीसिंह:—क्या सरकार ने जांच कराई थी कि चक्की के कारण दीवार नहीं फटी।

श्री रामकिशोर व्यास:—मैंने कहा न कि ऐसी कोई सूचना नहीं मिली और यह भी कहा कि जिलाधीश ने तहसीलदार द्वारा मामले की जांच करवाई तो मालूम हुआ कि इस चक्की के चलने से किसी आसपास के मकानात को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है।

महाराज श्री केसरीसिंह—भंवरलाल शर्मा के कहने से जो हुक्म कलेक्टर का हुआ वह भी मुल्तवी किया गया क्या यह सही नहीं है?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने यह कहा न कि कलेक्टर ने जांच कराई थी, तहसीलदार?

महाराज श्री केशरीसिंह—तो क्या चक्की का शहर के बाजार के अन्दर रहना ठीक है?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो वहां की म्यूनीसिपैलटी के हाथ में है।

महाराज श्री केशरीसिंह—वहां म्यूनिसिपैलटी नहीं है, ग्राम पंचायत है।

श्री रामकिशोर व्यास—वह देख लें, एक ही बात है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—यह चक्की बिजली से चलती है या डीजल से?

श्री रामकिशोर व्यास—डीज़ल से।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—क्या डीज़ल इन्जिन की आवाज नहीं निकलती?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके कान्सीक्वेन्सेज जो होंगे वे तो होंगे ही।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—ऐसी हालत में यह गांव के अन्दर कैसे रक्खी जा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—चक्की तो गांव के बीच में ही चाहिये ताकि सभी आटा पिसवा सकें।

श्री हिम्मतसिंह—क्या इसे गांव के एक कोने में नहीं हटाया जा सकता।

श्री रामकिशोर व्यास—यह वहां के लोग तय कर देंगे।

प्रश्न संख्या ४२७

जिला कलेक्टर को देहात में तेल घाणी लगाने की आज्ञा देने के अधिकार सम्बन्धी

श्री जयसिंह—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि जिला कलेक्टर को देहात में तेल घाणी के लगाने की आज्ञा देने का अधिकार नहीं है और जनता को उसके लिये जयपुर आना पड़ता है।

(ख) यदि हां, तो सरकार इस कठिनाई को शीघ्र ही कबतक दूर करने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो क्या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) हां, जिलाधीश की पॉवर से चलाने वाली तेलघाणी के लगाने की आज्ञा देने का अधिकार नहीं है। यह प्रतिबन्ध छोटे उद्योग धन्धे वालों द्वारा चलाये जाने वाली बैलघाणी के प्रोत्साहन देने के लिए रक्खा गया है तांके तेलघाणी का काम करने वालों को आघात नहीं पहुँचे।

(ख) ग्रामोद्योग तेलघाणी से तेल निकालने वालों को पनपाने की नियत से यह रोक लगाई गई है इसलिए यह प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

श्री जयसिंह—कलेक्टर को अधिकार होने से इस उद्योग को ज्यादा ठेस लगती है या आपके पास यह अधिकार रहने से ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—रीजन्स बता दिये कि इन कारणों से रोक लगाई है और कुछ पूछें सप्लीमेन्टरी।

(कुछ विराम के अन्तर) श्री भैरूंसिंह।

Page No 39

प्रश्न संख्या ४२८

अप्रेल, १९५५ से फरवरी, ५६ तक कस्बा मालपुरा (जिला टोंक) में बेची गई भूमि की दर प्रति गज

श्री भैंरू सिंह—(१६) क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) १ अप्रेल, १९५५ से १५ फरवरी, ५६ तक कस्बा मालपुरा, जिला टोंक में कितनी कितनी जमीन किस किस व्यक्ति को किस किस दर से कितने कितने रुपये में बेची गई ?

(ख) क्या यह सही है कि रादहारी के पास वाली जमीन १ रुपया ४ आने गज के हिसाब से बेची गई जबकि उसके पास वाली जमीन २२ रुपया गज के हिसाब से बेची गई है ? यदि हां, तो क्यों और किसको ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) सूची सदन की मेज पर रक्खी गई है।

(ख) जी हां। डा० श्री तकू राम की बेड़े की यह जमीन जो इनकी मकबूजा थी सन् ५२-५३ में इनको मकान बनाने के लिये एलॉट की गई थी। जिन व्यक्तियों के कब्जे में भूमि पहले ही थी उन्हें नियमानुसार १।) प्रति वर्ग गज के हिसाब से दी गई, और जो भूमि किसी के कब्जे में न थी, वह नीलाम की गई। उसकी बोली आपस में जिद होने के कारण २२॥।≈) एवं २२।।-) प्रति वर्ग गज तक लगी परन्तु अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

उनको जमीनें जो दी गई वे अलावा केशोराम के और पांच सरावगियान के सबको सवा रुपया फी वर्ग गज के हिसाब से दी गई और ये जमीने उनके ही पजेशन में थी।

(ख) जिन व्यक्तियों के कब्जे में पहले ये जमीनें थीं उनको नियमानुसार सवा रुपया प्रति वर्ग गज के हिसाब से और जो जमीनें किसी के कब्जे में नहीं थीं वे नीलाम की गईं और २२ रुपया ग्यारह आने और २२ रुपया नौ आने प्रति वर्ग गज तक आपस में बोली लगाने पर दी गई हैं। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

श्री भैंरू सिंह—जिन व्यक्तियों को दी गई वे किस किस दर से दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि दो के सिवाय सब को सवा रुपया प्रति वर्ग गज के हिसाब से दी गई है।

श्री भैंरू सिंह—जिन दो आदमियों को दी गई उनमें क्या रेट रक्खी गई ?

श्री अध्यक्ष—अभी सवाल का जवाब बतलाया तब आप हाजिर नहीं थे अब सवाल ऐसा पूछ रहे हैं इसका कोई बेस नहीं।

श्री भोपालसिंह—एक सवाल पूछ लिया गया उसका जवाब दे नहीं रहे हैं, जान बूझकर टालमटोल कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में वह था और उसका जवाब देने से सरकार टालमटोल कर रही है। मेरा ४१४ वां प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—सब का जवाब दे दिया गया, सुना नहीं आपने। पोस्टपोन कर दिया गया था नेक्स टर्न पर।

श्री भोपालसिंह—क्या याद दिलाना पडेगा इसके लिये ?

श्री अध्यक्ष—नहीं, नहीं, खुद ही आ जावेगा।

श्री छीतरलाल शर्मा। अल्पकालिक प्रश्न।

श्री छीतरलाल शर्मा—मेरा प्रश्न इस प्रकार है ···· ···

श्री अध्यक्ष—यह पढ़ा हुआ समझ लिया जावे।

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

ग्राम पंचायत तहसील (जिला बूंदी) के पंच सरपंच व उप सरपंच का चुनाव

श्री छीतरमल शर्मा, (३०)—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि १८–१–५६ को ग्राम पंचायत अलोद, तहसील हिन्डोली जिला बूंदी के पंचों और ५–२–५६ को इस पंचायत के सरपंच व उपसरपंच का चुनाव करके नतीजा गजट में प्रकाशित करने हेतु वहां के निर्वाचन अधिकारी (इन्सपेक्टर ग्राम पंचायत, जिला बूंदी) अपनी रिपोर्ट चुनाव के नतीजों की सरकार के विभाग में १५–२–५६ को पेश कर चुके हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त चुनाव का नतीजा अभी तक सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित नहीं कराया गया है ?

(ग) यदि कराया गया है तो किस तारीख के गजट में प्रकाशित हुआ है और गजट में प्रकाशित न हो सका है तो प्रेस में किस तारीख को भेजा जा चुका है ?

[श्री छीतरलाल शर्मा]

(घ) क्या यह सही है कि उपरोक्त पंचायत के चुनाव के कागजात माननीय मंत्री की पेशी में आज तक नहीं आये हैं ?

(ङ) क्या यह सही है कि उपरोक्त पंचायत अलोद के पहले के पंच और सरपंच ही अब तक कार्य पंचायत का कर रहे हैं ?

(च) यदि नम्बर ङ का उत्तर 'हां' में है तो इनका अब तक कार्य पंचायत करने को क्या सरकार वैधानिक मानती है ?

(छ) क्या यह सही है कि ५–२–५६ को होने वाले अलोद पंचायत के सरपंच के चुनाव में श्री बजरंगलाल उम्मीदवार को सरपंच चुना गया है और दूसरा उम्मीदवार श्री किशनलाल ६० वोटस से इस सरपंच के चुनाव में परास्त हुआ है ?

(ज) क्या यह सही है कि सरकार विधान के विपरीत श्री बजरंगलाल को सरपंच घोषित न करके परास्त व्यक्ति श्री किशनलाल को कामयाब सरपंच घोषित करना चाहती है ?

(झ) यदि नम्बर 'ज' का उत्तर 'हां' में है तो इसके क्या कारण हैं ?

(ट) क्या यह सही है कि उपरोक्त चुनाव के कागजात माननीय वित्त मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा ने स्वायत शासन विभाग से मंगवाकर अपने पास रख छोड़े हैं और इसी कारण चुनाव का नतीजा गजट में प्रकाशित नहीं हो पाया है ?

(ठ) यदि नम्बर 'ट' का उत्तर 'हां' में है तो क्या परास्त व्यक्ति श्री किशनलाल कांग्रेस पार्टी बूंदी, का सदस्य और वित्त मंत्री जी का खास व्यक्ति होने के कारण इस पंचायत के सरपंच के चुनाव के कागजात सरकार द्वारा रोके जा रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री):—(क) जी हां; रिपोर्ट आ चुकी है।

(ख) जी हां।

(ग) वह उपसरपंच के चुनाव करके १७. ३. ५६ को प्रेस में विज्ञप्ति के लिए भेजा गया है और सरपंच का अब भेजा जा रहा है।

(घ) जी नहीं।

Page No 42

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(ङ) नई पंचायत को कार्य करने के लिए आदेश जा चुके हैं।

(च) जब तक नई पंचायत कार्यभार नहीं सम्हाल लेती है तब तक पुरानी पंचायत वैधानिक रूप से कार्य कर सकती है।

(छ) जी हां।

(ज) बजरंगलाल का चुनाव अवैधानिक था इसलिए किशनलाल का चुनाव घोषित किया गया है।

(झ) पंचायत के कानून के अनुसार तहसील पंचायत का जो पंच या सरपंच होता है वह ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं हो सकता है।

(ट) जी नहीं।

(ठ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ड) जी हां। यह कहा गया था कि उपसरपंच के चुनाव की घोषणा करके गजट में प्रकाशित होने के लिए भेज दिया गया है। सरपंच का प्रश्न बाकी है।

(ढ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ण) इसका कारण 'झ' बताया जा चुका है।

महाराज श्री केसरीसिंह--सरपंच का नाम गजट में भेजने में इतनी देर क्यों हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--उसमें कुछ चूक थी इसलिए लॉ डिपार्टमेंट को भेजकर निर्णय किया गया है।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या भूल या चूक थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—भ[illegible]ा था कि किसको किया जाय और किस को नहीं।

महाराज श्री केसरीसिंह—चुनाव में निर्वाचित कौन था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उसका जवाब मैं दे चुका हूं आपको कि दो आदमी खड़े हुए थे। एक बजरंगलाल था और दूसरा किशनलाल। बजरंगलाल का चुनाव अवैधानिक है इसलिए उनको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है।

महाराज श्री केसरीसिंह—अवैधानिक होने का कारण क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने जवाब दिया कि वैधा क्यों है ?

श्री छीतरलाल शर्मा—रिटर्निंग आफिसर ने डिक्लेयर किसको किया था ?

श्री गुप्ता—रिटर्निंग आफिसर ने इतना लिखकर भेजा था कि इतने वोट इसके आये हैं और इतने उसके, लेकिन मेरा यह एतराज है कि श्री बजरंगलाल तहसील पंचायत का सरपंच है इसलिए ग्राम पंचायत का सरपंच डिक्लेयर नहीं किया जा सकता।

श्री वेदपाल त्यागी—चुनाव होने के पश्चात क्या गवर्नमेंट को यह अधिकार है ? यदि किसी को कोई एतराज था तो उसके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन करता। गवर्नमेंट को, मैं समझता हूँ, कोई अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट ने किस अधिकार से चुनाव के नतीजे को रोका है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—गवर्नमेंट को अधिकार है।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या वह बता सकते हैं कि कौन से कानून के तहत और कौन सी धारा के तहत यह अधिकार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप पंचायत एक्ट मुलाहिजा कर लीजिये।

श्री वेदपाल त्यागी—मैं समझता हूँ कि आप जानते होंगे ? आपने रोका है।

श्री बद्री साद गुप्ता—आप कानून जानते हैं। आप कानून की किताब पढ़ सकते हैं

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या निर्वाचित सरपंच वहां से रिज़ाइन नहीं कर सकता है। वह रिज़ाइन कर देंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—तहसील पंचायत के जो पंच या सरपंच हैं वे ग्राम पंचायत के पंच या सरपंच नहीं हो सकते हैं। यह कानून की दफा ५६ (४) के अन्दर है।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या यह सत्य है कि तहसील पंचायत से इस्तीफा दे दिया है उसके बाद नाम रोका गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चुनाव....(अस्पष्ट)

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या यह सही है कि चुनाव में खड़े होने के समय यह आब्जेक्शन हुआ था कि वे वहां पंचायत में खड़े नहीं हो सकते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरी समझ में नहीं आया।

श्री छीतरलाल शर्मा—मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि क्या चुनाव के वक्त में रिटर्निंग आफिसर के सामने कहीं चर्चा हुई थी कि तहसील पंचायत में होने के कारण वे यहां सरपंच खड़े नहीं हो सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मेरी जानकारी में नहीं है। दफा५६(४)के मुताबिक जो आदमी तहसील पंचायत का पंच या सरपंच हो वह ग्राम पंचायतों के अन्दर सरपंच नहीं हो सकता। तहसील पंचायत के सरपंच हैं इसलिए ग्राम पंचायत में खड़े होने का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री किशनलाल शाह—क्या ऐसा व्यक्ति जो तहसील पंचायत का पंच है केन्डीडेट के तौर पर खड़ा नहीं हो सकता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता-लीगल इन्टरप्रिटेशन है। वेकेन्ट डिक्लेयर हो जायगा यह कानून है।

श्री छीतरलाल शर्मा—अगर तहसील का सरपंच है तो जो अयोग्यता का सेक्शन है उसमें कहीं यह पंच होने की अयोग्यता में दाखिल है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने दफा बतलाई है, ग्राम पंचायत में वह आलरेडी सरपंच मौजूद है, एक जगह है तो दूसरी जगह कैसे हो सकता है।

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या रिटर्निंग आफिसर ने ऐसा निर्णय किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उसकी रिपोर्ट आ चुकी है उसी के आधार पर हुआ है।

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या वहां से आब्जेक्शन के आधार पर निर्णय होकर नहीं आया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उन्होंने रिपोर्ट करके भेजा है कि गवर्नमेंट आवश्यक कार्यवाही करे।

श्री छीतरलाल शर्मा—जिस वक्त में वे खड़े हुए थे उस वक्त में आब्जेक्शन होकर निर्णय दिया है या नहीं रिटर्निंग आफिसर ने ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मैंने आपको निवेदन किया है कि वे खड़े हुए थे और जो आदमी इलेक्शन में गिर गया तो उन्होंने यह रिपोर्ट की कि यह परिस्थिति है कि इतने २ वोट आये हैं। यही कह कर गवर्नमेंट के पास भेज दिया।

श्री वेदपाल त्यागी—रूल्स के आधीन जिस वक्त चुनाव होता है उसी वक्त रिटर्निंग आफीसर यह घोषित करता है कि कौन कौन चुना गया। क्या ऐसी घोषणा की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है।

श्री वेदपाल त्यागी— Report cannot be a declaration. Unless the declaration is made by the Returning Officer there cannot be any declaration by the Government.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—काउंटिंग करके भेज दिया है। वह सबके सामने हुआ है।

श्री वेदपाल त्यागी—Can the Government work as Returning Officer ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रिटर्निंग ऑफिसर का सवाल नहीं है, चुनाव में खड़े नहीं हो सकते थे अब इसके अन्दर प्वाइन्ट रह क्या गया है ?

श्री हिम्मतसिंह—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न साफ है। पूछा यह जा रहा है कि चुनाव के वक्त रिटर्निंग आफिसर ने घोषणा की या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—That is correct.

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या यह सही है कि वहां रेडियो पर एलान कर दिया गया था कि बजरंगलाल सरपंच के चुनाव में कामयाब हुए हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह उत्तर मैं दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष—वह साफ नहीं है तभी तो पूछ रहे हैं। This is not clear whether the Returning Officer declared somebody as elected Sarpanch, that is the question and the Government has to answer in 'yes' or 'no'.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया कि जो चुनाव हुए उस वक्त एक आदमी को इतने वोट आये दूसरे के इतने वोट आये, उसकी मिसल हमारे पास लगाकर भेजी है।

श्री त्यागी—That report has got to be made under rules, and he has sent that report under the rules, but he has got the right to declare at the spot as to who was elected. Whether he made declaration on the spot or not ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मेरी जानकारी में नहीं है कि डिक्लेयर किया या नहीं। लेकिन जो काउन्टिंग हुआ उसकी रिपोर्ट दी है।

श्री मानसिंह महार—यह सवाल बिलकुल क्लियर था कि डिक्लेरेशन हुआ वह इस में कह दिया यह कहां तक वाजिब है? यह बिल्कुल क्लियर है कि वहां पर एलान या घोषणा तो कुछ न कुछ अवश्य हुई होगी कि ये इलेक्टेड हुए या नहीं हुए, तो इस वजूहात से नहीं हुए। ऐसा कुछ होता है उसका जवाब आना चाहिए।

श्री हिम्मतसिंह—क्या मंत्री महोदय पहले इस बात को तलाश करेंगे कि इसका डिक्लेरेशन हुआ या नहीं, इसके बाद अपना निर्णय लेगें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसके बारे में मैं कह चुका हूं।

श्री अध्यक्ष— The decision has been declared.

श्री छीरतलाल शर्मा—क्या यह सही है कि रिटर्निंग आफिसर ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि श्री बजरंगलाल ६० वोट से कामयाब हुए हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उसके खडे होनेका प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है तो फिर कामयाबका सवाल क्या है?

श्री छीतरलाल शर्मा—वोटिंग होने पर ६० वोट से वे जीते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैने जवाब दे दिया कि यह बात ठीक है।

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या गवर्नमेंट को इसके अन्दर रुकावट डालने का कोई अधिकार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अधिकार है और अधिकार के मुताबिक ही किया गया है। कानून आप देख लें कि कानून में है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—नो, नो।

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या गवर्नमेंट ने पाया है कि रिटर्निंग आफिसर····

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, यह गलत-जवाब दिया जा रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह बात आप गलत कह रहे हैं। गवर्नमेंट को अधिकार है कानून की दफा १२ में कि कोई आदमी दो जगह से इलेक्टेड हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट नहीं डिक्लेयर कर सकती हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—I throw a challenge to the Government to show the provision. There is no such law or rule that when one person is declared elected dy the Returning Officer his election is withheld otherwise then by an election petition, or the....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह ऐसी बात नहीं है वह कानून ऐसा है।

श्री छीतरलाल शर्मा—क्यासरकार·······

सदन में कुछ अवमानकर्त्ताओं द्वारा सदन के कार्य में बाधा एवं उनका विरोध

(इस बीच में दर्शक दीर्घा में से ६-७ दर्शकों ने खड़े होकर 'कानून गलत है', 'सुखाड़िया सरकार धोखेबाज़ है' इत्यादि नारे लगाने शुरू कर दिये और दर्शक दीर्घा से सदन में आ गये। उनको वाच एन्ड वार्ड के स्टाफ द्वारा हटाया गया)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, उन सब के नाम नोट किये जांय कि किन्होंने पास इशू किये थे।

श्री अध्यक्ष—These persons should be detained.

(सदन में कुछ कोलाहल होने के कारण)

श्री अध्यक्ष—Order Please!

भू-स्वामी संघ के आन्दोलन सम्बन्धी गृहमन्त्री द्वारा दिये जानेवाला वक्तव्य (स्थगित)

श्री रामकिशोर व्यास—अध्यक्ष महोदय, कल दो, इस किस्म के प्रस्ताव आये थे और इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये आज के लिए निवेदन किया था जिसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन फिर भी कई कारणों से आज मैं उत्तर देना उचित नहीं समझता और उसके लिए जिन महानुभावों ने स्थगन प्रस्ताव भेजे हैं वे भी मुझसे सहमत हैं, इसलिए एक दो रोज बाद यदि आवश्यकता हो तो उस पर........

श्री शम्भूसिंह—यदि आवश्यकता हो और किसी प्रकार की आंच आने में कोई दिक्कत न हो तो कल उत्तर मिल जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—T orrow or day af ter tomorrow ?

श्री अध्यक्ष—I think there is no such hurry about it as the Member says.

राजा श्री हिम्मतसिंह—But I hope the mass arrests will not continue.

श्री रामकिशोर व्यास—It depends all on you.

Page No 48

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्न लिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :

राजा श्री मानसिंह [६८]—दिनांक ६-४-५६ से २३-४-५६ तक।

श्री राधाकृष्ण मारू [११६]—दिनांक ५-३-५६ से १८-३-५६ तक एवं २८-३-५६ से ३०-४-५६ तक।

क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

राजस्थान मोटर वेहिकल्स (संशोधन) विधेयक, १६५६

(विचार-विमर्श एवं पारित)

Yes. Clause by clause censideration of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill.

क्लॉज़ ३

(विराम)

श्री हरिकृष्ण व्यास—

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ३ बिल का अंगभूत स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४ (विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ बिल का अंगभूत स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ बिल में अंगरूप से स्वीकार किया गया।

(विराम)

Page No 49

[श्री अध्यक्ष]

Clause-5 There are no amendments to Clause 5 also.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ५ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ७

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज १ टाइटल एवं प्रीएम्बल

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ टाइटिल और प्रिएम्बल विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ शीर्षक और भूमिका विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री रामनिवास मिर्धा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर वेहिकिल्स टेक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६ (विचार विमर्श एवं पारित)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एन्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रिफोर्म्स और रिज़म्प्शन ऑफ जागीर्स (थर्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५६, को विचारार्थ लिया जाय ?

श्री शम्भूसिंह—इस पर जनरल डिस्कशन होना है।

श्री अध्यक्ष—There is a motion by Shri Man Singh Mahar to the effect that the Bill be referred to a Seclect Committee. Yes, Shri Mahar.

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एन्ड रिजम्प्शन ऑफ (जीर्स थर्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५६, को मेरी राय में सिलेक्ट कमेटी को रेफर करना चाहिये।

[श्री मानसिंह महार]

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर जागीर उन्मूलन कानून बने करीब दो वर्ष हो गये हैं। किन्तु इसका जिस पक्षपात पूर्ण तरीके से इम्पलीमेन्टेशन किया जा रहा है उसको देखते हुए यह उचित हो जाता है कि इस कानून को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करना चाहिए। इसके अन्दर जो यह सुझाव दिया गया है कि बपौती और बख्शीश की जागीरों को भी इसमें शामिल किया जाय, अध्यक्ष महोदय, मेरी यह धारणा है कि इस कानून को पास करके सरकार से हम यह आशा करते थे कि इसके साथ ही जमीन्दारी और बिस्वेदारी को खत्म करने के बारे में भी सरकार कानून लाएगी और इन कानूनों को पास करके सरकार किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं रखेगी। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान जागीरदारी उन्मूलन बिल पास हुए दो वर्ष हो गये लेकिन बिस्वेदारी और जमीन्दारी की तरफ सरकार ने किसी प्रकार का भी कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी।

यह हम काफी समय से देखते आ रहे हैं कि सरकार बहुत कहती है कि हम लैंड रिफोर्म्स की तहत ये सुधार चाहते हैं, वह सुधार चाहते हैं, हम किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो और क्या है? जबकि एक ओर तो आप हर किस्म की जागीरदारी को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी ओर बिस्वेदार और जमीनदार के बारे में....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो अमेन्डमेन्ट की बात है उसके सिद्धान्तों पर चर्चा की जा सकती है। बिस्वेदारों और दूसरी चीजों का कहां प्रश्न है?

श्री मानसिंह महार—बिल्कुल सिद्धान्त के अनुसार बात चाहते हैं तो बिस्वेदारों और जमीन्दारों को इस में एड किया जाय इसलिये मैं कह रहा हूं........

श्री अध्यक्ष—जो विधेयक है उस ही के अंतर्गत आप डिस्कशन कर सकते हैं, इसके अलावा यदि आप और संशोधन करना चाहते हैं कि कोई विशेष व्यवस्था की जाय तो यह नहीं हो सकता। इसके अंतर्गत ही आपको बोलना होगा।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन महोदय, जो विधेयक हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है उसके बारे में बोलते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि बपौती और बख्शीश की जागीर के बारे में जो सरकार की नीति है वह सरासर गलत है। सरकार ने आज तक जागीर रिज्पशन एक्ट का जिस प्रकार से इम्पलीमेन्टेशन किया है वह बहुत ही गलत ढंग से किया गया है। ऐसी सूरत के अन्दर जितनों का नाम पहले के ओरिजिनल एक्ट में आया है उनमें ये दो नाम और जोड़ना उन लोगों के साथ एक प्रकार का अन्याय मानता हूँ। सरकार सिद्धान्त की इस बात को देखे कि पहले जागीर

[श्री मानसिंह महार]

उन्मूलन को सही ढंग से अपनावे, सही ढंग से इम्पलीमेन्ट करे और जब तक सही ढंग से सरकार इम्पलीमेन्ट नहीं करती है तब तक इस प्रकार के एडिशन्स और आल्ट्रेशन करना कतई वाजिब नहीं समझता। मैं यह समझता हूँ कि जागीरदारों के खुद काश्त की समस्या को हल करने के लिये कुछ भी नहीं किया गया। रिहेबिलिटेशन की समस्या को हल करने के लिये कुछ नहीं किया गया। जागीरदारों की सर्विसेज को गवर्नमेन्ट की सर्विस में लेने की बात तै थी उसमें भी सरकार ने जो किया है वह नहीं के बराबर है। ऐसी सूरत में यह आशा करना और दो प्रकार की और जागीरों को इस में शरीक करना मैं वाजिब नहीं समझता, यह मेरा निश्चित मत है।

चेयरमेन महोदय, सरकार की जागीरदारी उन्मूलन की नीति के अन्दर खास परिवर्तन जब तक नहीं आवे तब तक हम लोगों को इस एक्ट के अन्दर जो दो तरह की जागीरों को और जोड़ने को कहा गया है वह अच्छा नहीं है। एक बात इस उद्देश्य की लिखी है उसको भी देख लिया जाय। उसमें लिखा है:

"As a matter of precaution a residuary item covering any other class or tenure of State grant of land is also considered necessary to be inserted in the First Schedule."

एक यह है और इससे पहले लिखा है, "Since these tenures are not specifically mentioned in the First Schedule to the principal Act, difficulties may be experienced as in the case of Khandela in the resumption of these tenures of Jagir lands."

इसके अंदर खंडेले की एक स्पेसिफिक मिसाल दी गई है। चेयरमेन महोदय, इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि जागीरदारी उन्मूलन जिस सिद्धान्त को लेकर किया गया है उस सिद्धान्त को सरकार ने पूरा करने की कोशिश नहीं की है। हाई कोर्ट ने खंडेला के बारे में स्टे ऑर्डर जारी किया था क्योंकि खंडेला शायद नौकरी में दिया हुआ था या और कोई बात थी इसलिये खंडेला को रिज्यम नहीं किया जाय, लेकिन उसी समय सरकार ने एक अमेन्डमेन्ट लाकर चेयरमेन महोदय, खंडेला को रिज्यूम करने का आदेश जारी किया। वह समय हम कुछ हद तक उपयुक्त मान सकते हैं कि इस प्रकार की या और किसी प्रकार की जागीर को लेने के लिये सरकार कुछ कदम उठावे, लेकिन यह तो एक सरकार की ऐसी नीति हो गई आज कल कानून में अमेन्डमेन्ट लाने की। सरकार ने इस प्रकार की नीति अपनाई है कि वह इस बात की ओर ध्यान नहीं देती कि किस समय किस तरीके से अमेन्ड किया जाय। कानून एक ऐसी चीज होती है जिस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिये और गंभीरता से सोचने के बाद इन बातों को इसमें शरीक करना चाहिये। 'जागीरदारी उन्मूलन के संबंध में हमारा एक समझौता पंडित गोविन्दवल्लभजी पंत के समक्ष हुआ

[श्री मानसिंह महार]

था। उस समझौते में बपौती और बख्शीश की जागीर का किसी प्रकार का जिक्र नहीं था। लेकिन यदि उस समय हम लोगों को यह मालूम होता कि बपौती और बख्शीश को इसमें शामील करेंगे तो उन लोगों की क्या समस्याएं हैं उनको भी हम पंतजी के सामने रखते और उनको जो डिफिकल्टीज हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करते और उसका यह नतीजा होता कि जो पंत रिपोर्ट हुई है, पंत एवार्ड आया है, उसमें इनके लिये भी किसी प्रकार का प्रोविजन अवश्य होता और किसी प्रकार के ग्रान्ट की आवश्यकता होती तो वह रखी जाती। जागीरदारी उन्मूलन के बारे में सरकार कहिये या सरकार के भी कांस्टीट्यूशनल हैड कहिये, चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट कहिये इस प्रकार की बातचीत चल रही है। उस बातचीत के दौरान में बहुत मुमकिन है एक आध बात और आ सकती है जिसके कारण इस एक्ट को और अमेन्ड करना पड़े। यह भी हो सकता है कि उसके अंदर परिवर्तन लाने के लिये सरकार कुछ बातें मन्जूर करले। इससे चेयरमेन महोदय, मेरा मतलब यह नहीं है कि सरकार अपनी जागीर पुनर्ग्रहण नीति को बदल ले, नीति बदलने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जागीरदारों को मुआवजा देना, किस प्रकार से उनको रिहेबिलिटेट करना आदि कई प्रकार की बातें हैं जिनको किस प्रकार से अमल में लाया जाय उसके लिये बहुत मुमकिन है इस सरकार को कुछ रद्दो बदल करना पड़े। इस समय यदि छोटी सी बात को बपौती बख्शीश वाली बात को भी यदि आप उस समय तक के लिये रोक दें और बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज कर रख देते हैं तो सदन का समय व्यर्थ में नष्ट नहीं होगा। मैं समझता हूं उस समय तक सिलेक्ट कमेटी और भी मुद्दों पर जिन पर आप किसी प्रकार की बातचीत करके विचार करेंगे उन पर भी विचार कर लेंगे और सदन के समक्ष और भी अमेन्डमेन्ट जोड़ कर आ जायेंगे तो उत्तम बात होगी।

चेयरमेन महोदय, इस जागीरदारी उन्मूलन अमेंडमेंट बिल के बारे में मुझे सदन के समक्ष एक विशेष बात रखनी है। मुझे बड़ा अफसोस होता है चेयरमेन महोदय, जब विस्थापित जागीरदारों की ओर से यह मांग की जाती है कि सरकार हमारी सुनवाई करे, हम बेरोजगार हो गये हैं, हमें रोजगार दें। आज के युग के अन्दर किसी भी सरकार के लिए सर ऊंचा करके चलने की गुंजायश नहीं है जो लाखों आदमियों को बेरोजगार कर दे और रोजगार मांगें तो रोजगार नहीं दे। मेरा निश्चित मत है कि वह सरकार जो अपने इलाके के अन्दर जनता को रोजगार नहीं दे सके वह कोई अच्छी सरकार नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय चेयरमेन, जो बोल रहे हैं सब इर्रिलेवेन्ट है। इस अमेंडमेंट से कोई ताल्लुक नहीं रखता। He should confine his speech exclusively to that Amendment Bill

श्री सभापति—That is right. आप बिल पर ही बोलें, इधर उधर नहीं जायें।

श्री मानसिंह महार—चेअरमेन महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि जागीर उन्मूलन कानून में बपौती और बख्शीश को भी शामिल किया जा रहा है। यह बपौती और बख्शीश की जागीरें हैं वह उनको सर्विसेज़ के उपलक्ष में सुविधाएं दी हैं, उनको सरकार रिहेबिलिटेट किस तरह करे, और सरकार ने अब तक गलतियां की हैं उनको किस तरह सुधारे, इसलिये मैं यह सारी बातें कह रहा हूँ जो इस चीज़ से रिलेवेन्ट हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसमें रिहेबिलिटेशन के बारे में तो कोई अमेंडमेंट नहीं है।

श्री मानसिंह महार—बपौती और बख्शीश का इसमें है तो क्या इसका अर्थ यह लगाया जाय कि उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया जाय, तो क्या उन्हें पाकिस्तान पहुँचा दिया जायगा ?

मन्त्री महोदय को ठीक नहीं जंच रहा है पर माननीय मंत्री महोदय से आशा करूंगा और खास तौर से मुख्य मंत्रीजी से कि वे मेरी बात सुनें, मैं समझता हूं कि जो कुछ हम कहेंगे उसके लिये उनके हृदय में जगह तो कम है पर सुन लेंगे तो हमें संतोष होगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो इस वख्त नेगोसियेशन्स चल रही हैं उनमें इससे सहायता मिलेगी।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जागीरदारों की कम्पेन्सेशन्स की समस्या का हल नहीं किया जाता तब तक बपौती और बख्शीश की जागीरों को लेना सरासर अन्याय है। जिस प्रकार जागीर उन्मूलन कानून का राजस्थान में इम्प्लीमेन्टेशन किया गया है वह पक्षपात पूर्ण हुआ है........

श्री नाथूराम मिर्धा—एक ही बात को २० बार कहने से कोई मतलब हल नहीं होता। एक बार माननीय सदस्य ने कह दिया है बार बार रिपीटिशन से मतलब नहीं, वह बात हम समझ चुके हैं।

श्री मानसिंह महार—I am in possession of the House.

श्री सभापति—(श्री हिम्मत सिंह)—Order Please.

श्री मानसिंह महार—मैं उनको तो इग्नोर करता हूँ। जिसको बेरोजगार किया जाता है, जिसके पेट में से रोटी निकाली जाती है वही कह सकता है कि क्या बात हुई है ? ये लोग जो कि राजपूत कौम को बर्बाद करना चाहते हैं वे इस चीज को क्या समझ सकते हैं, वे इन्टरप्ट कर के भले ही अपने दिल को खुश कर सकते हैं। अब बपौती और बख्शीश को लेने की बात की जा रही है। आज तक की सरकार की पोलिसी फैल्योर हुई है। सरकार कहती है कि पंतजी की राय से हमने जागीरों का उन्मूलन किया है, जिस तरह के गलत आदमियों के साथ आपने समझौता किया उसका नमूना आपके सामने है, शहर में क्या हो रहा है, उससे पता चलता है कि पंत समझौते के साथ कितने आदमी हैं। अगर सही ढंग से समझौता करते, सही आदमियों से बात करते, तो यह नौबत क्यों आती ? पर उस समय जागीरदारों को धोखा दिया गया और आज जब हम यह निवेदन करते हैं कि

[श्री मानसिंह महार]

इस प्रकार इतनी जागीरें आपने समझौते के आधार पर ले लीं है, उनको ले लीजिये, पर और बच गई हैं तो उनको नये समझौते के तरीके पर लीजिये। जब मैं यह बातें सदन में रखना चाहता हूं तो कोई कहता है वाजिब नहीं है, कोई कहता है रिपिटिशन हो रहा है, कोई कहता है इर्रिलेवेन्ट है। मैं यह कहता हूँ जिन लोगों के दिमाग में बात नहीं आये तो उनके दिमाग में वह बात ठोक ठोक कर भरी जायगी। रिपिटिशन उन्हें अच्छा नहीं लगता तो वे अपने कानों में उंगलियां दे लें। जो वाजिब मांग है वह सदन में रखेंगे।

अगर पाकिस्तान से आये हुए मेव कह सकते हैं कि अलवर और भरतपुर में हमारी जमीनें हमें दिला दी जायें, अगर सात वर्ष बाद पाकिस्तान से आये हुए मेव यह मांग कर सकते हैं, तो आज हमारा भी हक है कि हम जिस गांव में रहते हैं उसी गांव के अन्दर हम को भी खुदकाश्त के लिये जमीनें दिलाई जायें। इस पर अगर मंत्री जी कहते हैं, सरकार कहती है कि इस युग में एसी बात नहीं हो सकती तो हम कहेंगे कि आप पक्षपात करते हैं, आप अन्याय करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान के मेव हिन्दुस्तान पर आंच आयेगी तो पाकिस्तान की मदद करेंगे, वे जमीन ले सकते हैं तो आज हमारी जो वाजिब मांग है वह..........

श्री सभापति—विषय पर बोलिये।

श्री मानसिंह—आज हमारी खुदकाश्त की मांग है कि राजस्थान के अन्दर हमारे घरों के नजदीक जमीनें लेंगे। अगर सरकार राजपूतों के साथ न्याय करना चाहती है, राजपूत तो वह कौम है, पाकिस्तान से किसी प्रकार का हमला हुआ तो सरहद पर वह सबसे पहले सर कटायेगी, आज के तथाकथित नेता लोग हैं अगर इस प्रकार का मौका आया तो न जाने कहां मिलेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान ने अगर किसी तरह हिन्दुस्तान की तरफ निगाह डाली तो हम सर कटाने के लिए तैयार होंगे पर यह नहीं कि हमको देश प्रेम की दुहाई दे कर बेवकूफ बनाया जाय। हमें कहा जाता है भाखरा नांगल में जाकर जमीनें ले लो। क्यों ले लें भाखरा नांगल में जा कर जमीनें। अगर बापौती बख्शिश वाले गरीबों को भाखरा नांगल में जमीन देना है तो यहां उनकी लाखों की सम्पत्ति है, मकान हैं उनको सरकार खरीद ले ....

श्री सभापति—इस बिल में खुद काश्त का जिक्र नहीं है, उसका जिक्र क्यों लाते हैं?

श्री मानसिंह महार—उनको क्या खुद काश्त नहीं देंगे, उन लोगों के लिए सब कुछ कर देंगे तो हमको बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसका हैडिंग चैंज कर दें, मन्त्री महोदय इसका हैडिंग राजस्थान जागीर बपौती एन्ड बख्शिश रिजम्शन एक्ट रख देते तो मैं नहीं बोलता। पर क्योंकि उन लोगों को हमारे साथ ढकेला जा रहा है और हम जानते हैं कि हमारे साथ क्या

[श्री मानसिंह महार]

क्या धोखेबाजियां की गई हैं, वही कहीं इनके साथ भी नहीं की जांय, इस लिए यह रिलेवेन्ट है और आउट ऑफ प्लेस भी नहीं है। बपौती और बख्शीश की जागीरें हैं उनको आप लीजिए पर आप उनको सुविधायें दीजिए, जिस तरह हम जागीरदारों के साथ अन्याय किया है उस तरह उनके साथ मत कीजिए। उनको उनके गांवों में खुद काश्त की जमीनें दीजिए, अगर गांवों में नहीं देंगे, भाखरा नांगल में देंगे तो उनकी लाखों रुपयों की सम्पत्ति गांवों में पड़ी है उसका क्या होगा ? अगर उन्हें वहां जमीनें देते हैं तो उनसे बात चीत कर के उनकी यहां की जमीनें मकान वगैरहा खरीद लीजिए। अगर सरकार हमारा इन्तजाम हमारे गांवों में नहीं कर सकती है तो हमारी जमीनें खरीद ले और फिर राजपूत नहीं कहेंगे कि हमको गांवों में, हमारे गांवों में जमीनें दीजिए।

दूसरी बात बपौती और बख्शीश के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि जिनको बपौती बख्शीश में जमीनें मिली हुई हैं, उनकी पीढ़ियां हो गई हैं, उनसे वे गुजर बसर करते हैं, उन्होंने आज तक नौकरियां नहीं कीं और ओवर एज होने के कारण उन्हें नौकरियां मिल नहीं सकती और आज वे सब तरह से अनुपयुक्त हो गये हैं, सरकारी दफ्तरों में जा कर नौकरी के लिए दरखास्त करते हैं तो कहा जाता है कि तुम्हारी उम्र ज्यादा है। सिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को नौकरी में लेने के लिए उम्र ज्यादा बढ़ाई है पर हमारे लिए आप ने कोई प्रबन्ध नहीं किया। आपने हमारी जमीन जायदाद ले ली, हमारी कौम को नष्ट करना चाहते हैं, फिर भी खुशी खुशी जागीरें सरकारके समर्पण की फिर भी हमारे मन्त्री यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं, कि तुम्हारे लिए सर्विस के द्वार खोल देते हैं। बपौती, बख्शीश वालों के लिए यह कर देते कि २५ वर्ष की आयु तक सर्विस में लिया जा सकता है, अभी आर. ए. एस. की परीक्षा हुई उसमें यह रख देते कि जितने जागीदार अपनी जागीरें सरेंडर कर चुके हैं, जो सर्विस करना चाहते हैं वे चाहे तो उनके लिए एज लिमिट १० वर्ष के लिए बढ़ा दी जायगी। मैं एक कोनक्रीट एग्जेम्पल सदन के समक्ष रखना चाहता हूं; सन् १६४३ में मैं जयपुर सेक्रेटेरीयेट में सेक्रेट्री था। मैंने एक वर्ष वहां पर काम किया लेकिन जागीर का काम खराब होने के कारण मैंने नौकरी छोड़ दी और जागीर के काम को संभाला। इसके बाद मेरी जगह बी. सी. मुकर्जी पहुँचे। वे काम करते रहे। आज वे आई. ए. एस. ओफिसर हो गये हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने जो नौकरी छोड़ी वह किस लिए छोड़ी, महेज इस जागीर के काम को ठीक करने के लिए। जागीर के इन्ट्रेस्ट के पीछे। सन् १६४३ में हम लोग यह नहीं सोच सकते थे कि जागीरें समाप्त हो जावेंगी।

श्री दामोदर लाल व्यास—आपने जयपुर लेजिस्लेटिव कौंसिल में खड़े होने के कारण नौकरी छोड़ी थी।

श्री मानसिंह माहर—मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा भ्रम फैलाने वाली कोई बात नहीं होगी। यह गलत कहा जा रहा है और भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं यह कहूँगा कि अगर आप इस बात को साबित करदें कि मैंने लेजिस्लेटिव कौंसिल में खड़े होने के लिए नौकरी छोड़ी तो मैं इस

[श्री मानसिंह महर]

सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और अगर आप साबित नहीं कर सकते हैं तो मैं यह कहूंगा कि झूठ बोलने के नाम पर अपने मन्त्री पद से इस्तिफा दे देंगे। मैं यह आशा करके चलता हूं कि वे मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे।

मैं यह कहूंगा कि हमने नौकरी होते हुए भी नौकरी को जागीरों के खातिर छोड़ा। आज हमारी नौकरियां छोड़ने के बाद जागीरें समाप्त की जाती हैं और हम लोगों को नौकरियों में लेते हुए हमारी सरकार घबराती है और वह इसलिए कि हम लोगों में टेलेन्ट बहुत हैं। अगर थोड़ा बहुत भी द्वार हम लोगों के लिए सरकार खोल दे तो मैं यह कहूंगा कि हमारे मित्रों के कृपा-पात्र लोगों को इधर उधर से जिन्हें लिए जाते हैं लेने में डिफिकल्टी आ जाती है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा। कि यह जो एमेन्डमेन्ट बिल पेश किया गया है इससरकार को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिये और जो नई बातें तय हों उनको इसमें इन्क्ल्यूड करनी चाहिये और उसके बाद ठण्डे दिल और दिमाग से इस पर सोचें और महीने दो महीने में उचित रिपोर्ट आवे उस पर ध्यान दें। जिससे पूर्व जागीर उन्मूलन कानून के बपौती और बख्शीश की जमीनों के लिये अभी सत्याग्रह हो रहा है उस तरह से सत्याग्रह न हो और लोग खुशी खुशी से उनसे इमपार्ट हो जावें और इस प्रकार की दिक्कत हमारे सामने न आने पावे। इस आशय से मैं सदन से निवेदन करूंगा कि दो तीन महीनों का समय इसमें दें ताकि बातचीत जो इस सम्बन्ध में चल रही है उसका भी निर्णय निकल आवे और उसकी भी बातों का समावेश इसमें हो सके।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय चेयरमैन, राजस्थान भूमि सुधार जागीर पुनर्ग्रहण (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६ के विषय में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रेषित करता हूं।

यह कि राजस्थान भूमिसुधार व जागीर पुनर्ग्रहण (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६ जनमत जानने के हेतु दो माह के लिए प्रसारित किया जावे। मेरा कोई यह सिद्धांत नहीं है कि जागीरें समाप्त नहीं हों और इसमें जागीरदारों को कोई तरह की छूट दी जावे। मैं यह कहूँगा कि जागीरें पुनर्ग्रहण करें लेकिन उनके लिये कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिये जिसको आप विशेष रूप से करने में तत्पर नहीं हैं और इसीलिये आज इतना बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है। माननीय चेयरमैन, मैं यह कहूँगा कि कई जगह जागीर की भूमि मौजूद है मगर आप उन लोगों को वह भूमि नहीं दे कर उनके लिये कहते हैं कि आप भाकरा और नांगल जावें वहां पर तुमको जमीन दी जावेगी। मैं इस बारे में निवेदन करूंगा कि जब वहां की भूमि कांग्रेस के सदस्यों को दी जा रही है और कांग्रेस के लोगों को नये नये जागीरदार बनाये जा रहे हैं तो फिर गरीबों को वह जमीन क्यों नहीं दी जाती? कई मिनिस्टर ऐसे हैं जिनको काफी जमीन बता दी गई है। कई एम. पी. माणक्यलाल जी वर्मा और श्री शोभाराम जी हैं उनको उदयपुर और अलवर में भूमि दी गई है तो मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि क्या हमारा उन जमीनों के लिये अधिकार नहीं है मगर हमको यह

[श्री जगतसिंह झाला]

कहा जाता है कि तुम दूर हो जाओ। हमको दूर भेजा जाता है। इसमें आपका क्या रहस्य है? यह साफ बताता है कि आपको एक जाति विशेष के प्रति दुर्भावना और द्वेष है और इस तरह से करके आप इस जाति को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। मैं यह कहूँगा कि इस तरह से इस वीर जाति के लोगों के साथ आपका बर्ताव करना ठीक नहीं है क्योंकि अभी पाकिस्तान हिन्दुस्तान को हर तरह की धमकियां दे रहा है। आप समझते होंगे कि हमको जागीर का लोभ है। हमको जागीर का कोई लोभ नहीं है। जागीरें समाप्त होंगी। यह युग की मांग है इसलिये जागीरदारी प्रथा समाप्त की जावे, लेकिन इस प्रकार छोटी छोटी बपौती और बख्शीश की जागीरों को लिया जा रहा है। मैं यह कहूँगा कि बापौती की जागीरें राजस्थान बना उसके पूर्व की हैं और जिनको उन्होंने उस समय अपने सिर कटा कर स्थापना की है। मैं यह कहूँगा कि दूसरी जगह भी जागीरें समाप्त हुई हैं मगर जहां छोटी जागीरें हैं उनको नहीं ली है। मेवाड़ में भी २००) से नीचे की जागीरें समाप्त नहीं की गई हैं। दूसरी रियासतों में एक हजार की जागीरें को छोड़ा है। मगर यहां पर इतना क्यों किया जा रहा है? कल माननीय राजस्व मन्त्री ने अपने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि ४५०० में से केवल ११०० को ही कुछ रकम मिली है। जब आपने एक ही मसला तय नहीं किया और कांग्रेस मित्रों को आपने वकालत जिये रखा है इस तरह से तो आप हजारों रुपया राज का अन्धाधुन्ध खर्च कर रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि जागीरों को लेना चाहिये। मैं फिर एक बार स्पष्टरूप से कह देना चाहता हूँ कि हमें कोई जागीरों से मोह नहीं है, मगर दुःख इस बात का है कि हम अपने कांग्रेस भाइयों को नये जागीरदार बनाने जा रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से सत्य है और मैं यह कहूंगा कि आप एम. पी., मिनिस्टर, एम. एल. ए. आदि लोगों को सैकड़ों बीघा जमीन दे रहे हैं और उनको नये जागीरदार बना रहे हैं। जागीरदारों के लिये कोई मौका नहीं है। यह आप एक जाति विशेष से दुर्भावना के कारण कर रहे हैं।

एक प्रश्न यह आता है कि जब आप बिस्वेदारी को समाप्त करना नहीं चाहते। इससे भी यह साफ जाहिर होता है कि आप जाति विशेष के प्रति रोष की भावना है। हमें जागीरों की समाप्ति के सिद्धांत को मानते हुए इस चीज पर जोर देना चाहिये कि गांवों की व्यवस्था पुनः विकसित की जाए। अगर आपका यही रवैया रहा जो अभी है तो मैं यह कहूँगा कि आपको कुर्सियां छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि आपके देश में अराजकता फैलती जा रही है और अगर कोई यह कहे कि नहीं फैल रही है तो वह बात मानी नहीं जा सकती। मैं इसलिये निवेदन करूंगा कि आप इस पर ठण्डे दिल और दिमाग से सोचें क्योंकि पब्लिक अब कई तरह से तैयार होती जा रही है। आप पब्लिक के नाम पर राज्य करते हुए लोगों को भूमि देना चाहते हैं और उन लोगों को अपने गांवों में नहीं देना चाहते जो गांवों में रहते हैं। जागीर समाप्त हुई आपको उनको जमीनें देनी चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सैकड़ों मेव चले गये थे और उनकी जमीनों पर शरणार्थियों ने कब्जा कर लिया था उस समय आपने उन लोगों को जमीन से अलग किया और मेवों को जमीन दिलाई। मेव तो बाहर चले गये थे हम तो यहीं के रहने वाले हैं। क्या कारण है कि जहां पर

[श्री जगतसिंह झाला]

हम रहते हैं वहां पर हमको भूमि न दी जावे ? हमें ऐलान कर देना चाहिये कि गोचर भूमि को छोड़ कर जितनी भूमि है वह जागीरदारों को दी जावेगी। और वह जमीन नये कांग्रेस के नये जागीरदार बनने जाने वाले लोगों को नहीं दी जावेगी। जो अभी दी जा रही है और सैकड़ों को दी जा रही है। मैंने बजट के समय भी इसके बारे में कहा था मगर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं यह कहूंगा कि यह जो कुछ किया जा रहा है वह जाहिर करता है कि आपको जागीरदारों से और राजपूत जाति के प्रति प्रतिरोध की भावना है और उसी का यह फल है कि भूस्वामियों का आन्दोलन चल रहा है। मैं यह कहूँगा कि इसको पब्लिक की राय के लिये प्रसारित किया जावे और जनता की राय ली जावे। इसको ठीक रूप से सदन में लाकर बहुमत के बल पर पास कराना उचित नहीं। इतना ही मैं कह कर समाप्त करता हूं।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय सभापति-महोदय, राजस्थान लेन्ड रिफोर्म्स एन्ड जागीर रिजम्प्शन एक्ट में जो यह तीसरा संशोधन आया है उस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। जिन महानुभावों ने इस बिल को जनमत के लिये प्रसारित करने व सिलेक्ट कमेटी में भेजने हेतु प्रस्ताव किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

इस बिल में बपौती और बख्शीश इन दो प्रकार की जागीरों को लेने का सवाल है। इसके अलावा भी यह एक ऐसा वेग टर्म है टेन्योर का जो स्टेट ग्रान्ट है उसको भी शिलड्यूल में एन्टर कर दिया जावे यह इस बिल में है। चेयरमेन महोदय, मैं इसका विरोधी हूँ। मैं इस बारेमें स्पष्ट निवेदन कर देना चाहता हूं यह जो तीन टेन्योर्स बढ़ाये गये हैं वे नही बढ़ाये जाने चाहिये मैं इसको बिल्कुल अवैधानिक समझता हूं।

जब पहले पहल लेन्ड रिफोर्म्स एन्ड जागीर रिजम्प्शन एक्ट बना सब प्रकार के टेन्योर जनता के सामने थे, यही टेन्योर उस वक्त भी सरकार के सामने थे, मगर उस समय इनको लेना मुनासिब नहीं समझा इसलिये इनको उस समय बिल में इन्कलूड नहीं किया गया। उस समय ऐसा इनजस्टिस नहीं किया। लेकिन मुझे मालूम नहीं अब ऐसी कौनसी परिस्थिति उत्पन्न होगई है जिसके कारण जो टेन्योर्स पहले इन्क्लूड नहीं थे और जो नहीं किये गये अब क्यों इन्क्लूड किये जा रहे हैं ? मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की टेन्योर्स इसमें इन्क्लूड नहीं की जावे बल्कि एक्स्क्लूड की जावे। इस बिल के स्टेटमेंट आफ ओब्जेक्टस में बताया गया है कि खण्डेला की जागीर को लेने के वास्ते कठिनाई पेश आई इसलिये यह किया गया है। मेरा यह निवेदन है कि खण्डेला को भी क्यों लिया जाना चाहिये ? जब रिजम्प्शन आफ जागीर्स कानून बना था, वह एक समझौते के आधार पर बना हुआ था, ऐसी सरकार की मान्यता है और इस मामले को पंडित पंत के सुपुर्द किया गया था। मैं समझता हू कि जो इब्तदाई शिडूल था, उसमें जिस प्रकार के टेन्योर्स थे पं० पन्त के समक्ष वे रखे गये थे। अब उसके अलावा जब सरकार, और टेन्योर्स को इसमें इन्क्लूड करती है तो यह स्पष्ट रूप से पं० पन्त के समक्ष जो बात हुई उसकी एक प्रकार से अवहेलना हो जाती है। इस प्रकार के टेन्योर

[रावत श्री शम्भूसिंह]

का इसमें रखना न केवल जागीरदार के लिये ही अहितकर है बल्कि यह पं० पन्त के समक्ष भी समझौता हुआ उसकी स्पष्ट रूप से अवहेलना है। जो बातें पं० पन्त के समक्ष नहीं रखी गई उनको अब क्यों बढ़ाया जाय? वैसे भी राजस्थान सरकार के ऊपर पं० पन्त के समझौते को भंग करने का दोषारोपण किया जा रहा है। यह इसका एक और प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो कुछ भी पं० पन्त के समक्ष हुआ उससे आगे बढ़ कर के फिर इस प्रकार के टेन्योर्स को इन्क्लूड किया जा रहा है मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार, पंत समझौते को बारबार कहां तक भंग करती जायगी? मेरा तो यह मत है कि खन्डेला को इसमें नहीं लिया जाय क्योंकि यह पं० पन्त की अवार्ड के विपरीत किया गया है।

मैं आशा करता हूँ कि सरकार अब तो जो समझौता हुआ है उसको बार बार भंग करने की नहीं सोचेगी। पहले भी पंत समझौते में यह बात थी कि पांच हजार से कम की जागीरोंको समाप्त नहीं किया जायगा फिर भी पांच हजार से कम की जागीरों को जब्त कर लिया गया यह समझौते का पहला भंग हुआ। लेकिन फिर इस प्रकार से बार बार तरमीम करके और बार बार जनता की इच्छा के विपरीत करके सरकार क्या मुनासिब हल निकालना चाहती है? मैं यह समझता हूं कि इन टेन्योर्स बपौती और बख्शीश जिन्हें जान बूझकर एक्सक्लूड किया गया था क्यों कि यह रिज्यूम होने के योग्य नहीं थी। न मालुम अब क्या ऐसी बात पैदा हो रही है जो बपौती बखशीश की जागीरें जब्त होने के काबिल नहीं थीं उनको भी अब सरकार इस लिस्ट में लाकर पुनर्ग्रहण योग्य बना देना चाहती है, जब कि सरकार ने जिस वक्त जागीर रिजम्पशन एक्ट मन्जूर किया उस समय यह बात नहीं थी। अब इस वक्त भी जो जागीरें रिज्यूम हुई हैं उनमें से जो विस्थापित हो गये हैं उनके पुनर्वास के लिये भी सरकार अबतक व्यवस्था नहीं कर पाई तो फिर यह नई प्रकार की जागीरें रिज्यूम करके फिर देश में ज्यादा बेकारी क्यों बढ़ाना चाहती है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। इस वास्ते मैं समझता हूँ जहांतक बख्शीश की जागीरों का सवाल है, वह ज्यादातर ब्राह्मणों को या इस प्रकार के अन्य व्यक्तियों को दी गई है जो कदापि रिज्यूम नहीं की जा सकती मगर सरकार इन जागीरों को रिज्यूम करने के वास्ते इस शिडूल में इनक्लूड कर देना चाहती है। इन सारी बातों पर गौर करके मुनासिब यह है कि सरकार इस कानून को या तो वापिस ले ले या कम से कम जनमत जानने के लिये प्रसारित करें।

श्री रूपनारायण शास्त्री—सभापति महोदय, जागीर पुनर्ग्रहण संशोधन विधेयक पर मैं भी अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—चेयरमेन महोदय, आपका अमेन्डमेन्ट है क्या?

श्री रूपनारायण शास्त्री—मैं समर्थन में बोल रहा हूँ। बपौती, बख्सीश के संबन्ध में जो जमवा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री मानसिंह जी महार ने जो इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूं। यह ठीक है कि जागीर

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

पुनर्ग्रहण के सिद्धान्त को मान लिया गया है सिद्धान्त को मान लेने पर भी इस प्रकार की विभिन्नता जरूर हो सकती है ! क्यों कि यह युग की मांग है आप इस वक्त जनतंत्र में कोई भी साम्राज्यवादी या सामन्तवादी नहीं रह सकते, यह मान लिया गया है। शासन में एकसूत्रता लाकर गवर्नमेन्ट के अधिकारों की चेष्टा रह सकती है। उन अधिकारों में दिलचस्पी लीजिये लेकिन जो व्यक्तिगत संपति है उस संबन्ध में मेरा इतना ही कहना है कि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम में कई बार संशोधन किये गये हैं। बार-बार किसी कानून में संशोधन करना हमारे सीमित ज्ञान का परिचय तो देता ही है इसके अलावा यह भी स्पष्ट है कि हम दूरदर्शिता से किसी बात को देख नहीं सकते। अगर हम पहले से दूरदर्शिता से काम लेते तो इस प्रकार के संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी जो सीमित ज्ञान है उसके लिये किसी को क्या दोष दिया जा सकता है ? इस सम्बन्ध में प्रतिदिन जो संशोधन लाये जा रहे हैं उसका एक कारण यह भी है, वह है पक्षपात, जैसा कि अन्य लोगों ने अपने सामने रखा खन्डेला की जागीर जो बहाल बनी हुई है उसके लिए यह है कि वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर विजेता हो गई थी वह आपके अधिकारों से मुक्त हो गई थी एक वर्ष के लिये। लेकिन उसकी समाप्ति के लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है इसी तरह से कल दूसरी बच जायगी तो फिर इसी प्रकार के संशोधन आयेंगे इस तरह से इन संशोधनों में अनास्था दोष आएगा। यह हमारे अल्पज्ञान का परिचायक होगा। उस वक्त अगर किसी जागीर को मुक्त कर दिया जैसा कि हमारा उद्देश्य १९५२ में जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत पांच हजार से कम की जागीरों को नहीं लेने का था उसके अलावा तमाम जागीरें समाप्त हुईं उस वक्त पांच हजार की जागीरों को मुक्त किया गया यह हमारा दृष्टिकोण था। परिवर्तन इसमें क्यों हुआ इसके सम्बन्ध में कोई बात सन्तोषजनक नह बताई जाती। खैर, जाने दीजिये। इसके साथ ही आज बख्शीश ....

श्री दामोदरलाल व्यास—कई बार अर्ज किया कि रिलेवेन्सी इसकी क्या है ?

We are at the moment dealing with only these two amendments.

पर सारी वही कथा पुरानी। मैं अर्ज करूं, जरा रिलीवेन्सी का ध्यान रक्खें। All thir time of the House is being wasted.

श्री रूपनारायण शास्त्री—यह भूमिका तो इसलिए उपस्थित की जाती है कि कोई भी संशोधन लाया जाता है तो वह किसी न किसी परिस्थितिवश लाया जाता है। कुछ परिस्थितियां आपके सामने आईं और उन परिस्थितियोंवश आप इसे यहां लाये हैं तो मेरे कहने का आशय यह है कि वे परिस्थितियां आज भी जारी हैं, आज भी आपकी समझौता वार्ता भूस्वामियों से चल रहा है, इसलिये कहता हूँ कि इसे आप सिलेक्ट कमेटीमें रेफर कर दें। इतने में आपकी सौदा वार्ता भी हो जाती है तो और भी अगर कोई संशोधन लाने की और जरूरत पड़ गई तो वह भी आ जावेगा, अलग अलग बार बार फिर आपको संशोधन नहीं लाने पड़ें यह मेरा कहना है। और इसके अलावा अगर आप उचित समझें तो इसे जनमत के लिये भी प्रसारित कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप

[श्री रुपनारायण शास्त्री]

करेंगे तो आपको बार बार संशोधन भी नहीं लाने पड़ेंगे और सदन का समय भी व्यर्थ नहीं जावेगा। यही मेरा कहना है।

(श्री हिम्मतसिंहजी अटरू, सभापति, पद पर आसीन)

रावराजा श्री सरदारसिंह (उणियारा)—माननीय सभापतिजी, पूर्व वक्ताओं ने जो इसे जनमत के लिये प्रसारित करने और सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की बात कही है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। माननीय सभापतिजी, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह जो एक्ट में आप अमेन्डमेन्ट लाये हैं यह अच्छा नहीं है। अगर इसके बजाय कोई अच्छा अमेन्डमेन्ट लाते तो माननीय मुख्य मंत्रीजी की बड़ी शोभा होती। यह सभी समझते हैं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत अच्छे हैं पर न मालूम क्या कारण है शायद आपकी सराउन्डिंग अच्छी नहीं है या क्या बात है कि आप बड़े लायक आदमी होते हुए भी यह गलती कर रहे हैं। आपको मालूम भी है, कि आजकल क्या हो रहा है? प्रान्त में भूस्वामी आंदोलन हो रहा है तो यह भूख के कारण हो रहा है। ये विचारे छोटे छोटे भूस्वामी भूखे पेट पकड़ कर पहाड़ और जंगलों में छोड़ दिये जाते हैं। पर अगर उनको कुछ रोटी मिल जावें तो फिर ये झगड़े क्यों करें? तो इसलिये इस को माननीय मुख्य मंत्रीजी सिलेक्ट कमेटी में भेज दें और जो उचित समझें इस पर मेम्बर नियुक्त कर दें तो वहां पर अच्छा निर्णय हो जावेगा और मैं यह भी निवेदन करदूं कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने पाकिस्तान वगैरह का उदाहरण दिया कि पाकिस्तान यह करेगा वह करेगा पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को एश्योरेन्स दिलाता हूँ कि राजपूत जाति जब तक भारत में कायम रहेगी कोई पाकिस्तान वगैराह हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता और आपके द्वारा श्री नेहरूजी को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ।

यह तो आपस की लड़ाई है। पहले राजाओं से भी बार बार खाना पीना मांगते थे पर अब आप राज करते हैं इसलिये आप ही उन भूस्वामियों के मालिक हैं, इसलिए आपसे अपने पेट के लिये रोटी नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अगर वे रोटी मांगते हैं तो यह कोई आपको धमकी नहीं देते हैं। हम तो सिर्फ यह कहते हैं कि भरपेट रोटी मिलेगी तो हम और हमारे लड़के बच्चे और सारे कुटुम्ब जीवित रहकर इस भारत की व राजस्थान की रक्षा के लिये तन मन धन से तैयार रहेंगे और अवसर आने पर इसके लिये खून भी बहा देंगे।

तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से यही निवेदन करूंगा कि इस वक्त जो हजारों भूस्वामी आज अपना घर बार छोड़कर, अपने बाल बच्चों के लिये रोटी मांगने के लिये यहां पड़े हैं उनके लिये कोई अच्छा संशोधन लावें। मुख्य मंत्रीजी बड़ी गम्भीरता से सोचने वाले हैं और सारे राजस्थान का भार उन पर है और अब तो इस बृहद् राजस्थान में अजमेर भी मिलने वाला है, इसलिये यह मेरा नम्र निवेदन मैं उनसे करता हूं कि इसमें जल्दी न की जावें और इसको या तो जनमत के लिये भेज दें और नहीं तो सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री भैरूं सिंह (१६)--माननीय सभापति महोदय, राजस्थान लैंड रिफार्मस् एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर के सम्बन्ध में जो संशोधन विधेयक इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है विधेयक द्वारा यह मांग की गई है कि इस कानून के अन्तर्गत जिन जागीरों का पुनर्ग्रहण हो सकता हैं उनमें तीन प्रकार की जागीरें और सम्मिलित की जावें।

पहली जागीर बपौती, दूसरी जागीर बख्शीश और तीसरी इसी प्रकार की और भी जो जागीरें हो सकती हैं वे जागीरें भी इस शिड्यूल में शामिल कर ली जावें। माननीय चेयरमेन, आज यदि सिद्धान्तः इस बात को देखें कि उनको शिड्यूल में सम्मिलित किया जावे या नहीं तो मैं इस बात की ताईद करने वाला व्यक्ति होऊंगा कि भले ही इस शिड्यूल में सम्मिलित ये किये जावें पर शामिल करने से पहले हमें जिन कठिनाइयों का अनुभव इस कानून के दौरान में हुआ है उस जागीर पुनर्ग्रहण के सम्बन्ध में जो अनुभव हमें हुए हैं उनकी ओर भी कुछ विचार करना पड़ेगा।

मैं समझता हूँ कि आज तक इस कानून के सम्बन्ध में जो हमारा अनुभव है वह अनुभव किसी भी प्रकार से सन्तोषजनक नहीं, बल्कि यदि यह कहें कि उस अनुभव के आधार पर हम यदि इस पूरे एक्ट में ठीक प्रकार से कोई संशोधन प्रस्तुत करें तो वह उचित होगा।

माननीय चेयरमेन, बपौती, बख्शीश या अन्य इसी प्रकार की कई जागीरें समाप्त की जावें लेकिन इससे पूर्व हम किस प्रकार की उनके बारे में व्यवस्था कर रहे हैं इसकी ओर जरा ध्यान देना पड़ेगा। जहां पर जागीर पुनर्ग्रहण का प्रश्न पैदा होता है, हम एक वर्ग, जो वर्ग कई वर्षों से इस जागीर के कारण एक विशेष प्रकार का फायदा, प्रिविलेज भोगता आया था, हम आज उसे एक वर्ग से वह प्रिविलेज छीन रहे हैं, हम किसी भी व्यक्ति का जो उसका धन्धा है, प्रिविलेज है, जो उसका कमाई का साधन है, जो उसके जीवन निर्वाह का उपाय है, उनको हम प्रगतिशील कानून की आड़ में छीनें, उन साधनों को छीनें, उनके जीविका के उपायों पर हम एक दूसरे प्रकार का दृष्टिकोण अपनावें इससे पहले हमें यह भी सोचना होगा कि हम इसके एवज में उनके लिए उनकी जीविका के लिए दूसरी व्यवस्था करने जा रहे हैं वह व्यवस्था किस प्रकार से और किस हद्द तक ठीक है।

माननीय चेयरमेन, दो साल का हमारा अनुभव हुआ। १८ फरवरी, ५२ को जागीर पुनर्ग्रहण का कानून राजस्थान में हमने सर्व प्रथम लागू किया उस समय भी ताकीद में कानून बनाने के कारण कुछ ऐसी खामियां इसमें रह गई थीं जिनको दूर करना आवश्यक था और उनको दूर करने के लिये नेगोसियेशन करके हमने व्यवस्था करने का एक रास्ता निकाला। मैं यह कहूँ कि उस नेगोसियेशन में स्पष्टतया यह जाहिर होता था कि जिनको ज्यादा संख्या में इससे नुकसान होने वाला है उनका हमने उनका कोई ख्याल नहीं रक्खा उनको किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया, उनका किसी प्रकार का जीविका उपार्जन का प्रबन्ध नहीं किया और यदि मैं यह

[श्री भैरूंसिंह]

कहूँ कि उनका कोई ख्याल नहीं रक्खा गया तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और उसी का परिणाम हम आजतक भुगतते आ रहे हैं।

नेगोसियेशन के बाद संशोधन पेश किया उसके द्वारा यह व्यवस्था की कि राजस्थान में पांच हजार से ऊपर वाली और नीचे वाली कुछ को छोड़कर सब प्रकार की जागीरें समाप्त होंगी। साथ ही यह भी व्यवस्था की कि जो जागीरदार भूमिहीन होगा, जो जागीरदार जागीरहीन होगा, साधन हीन होगा, उनको हम रिहेबिलिटेट करने के बारे में किस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। जागीर रिजम्प्शन एक्ट में टीनेन्सी एक्ट में भी व्यवस्था की कि उन लोगों को खुदकाश्त की भूमि दी जावे। शायद उस बारे में यह भी कहा कि जो कुछ हमने भूमि देने के सम्बन्ध में व्यवस्था की है वह अपर्याप्त है। इस सदन में मैंने प्रश्न पूछा था और राजस्थान के मुख्यमन्त्री ने यह उत्तर दिया था कि राजस्थान लेन्ड रेवेन्यू एक्ट के मातहत जिनके पास खुदकी खुदकाश्त के लिये जमीन नहीं है उनको किसी दूसरे काश्तकार की जमीन दिलाने के बारे में जो व्यवस्था की है उसको हमने टीनेन्सी एक्ट में समावेश किया है। इन दोनों प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी काश्तकार को बेदखल करके भी अगर देने की जरूरत पड़ी तो दी जायेगी। पर मैं कहूं आजतक किसी भी काश्तकार को बेदखल करके एक बीघा जमीन भी जागीरदार को नहीं दिलाई। बेदखली के इस प्रश्न पर अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि यह कह कर इस प्रश्न को किसी तरह से तोड़ मरोड़ कर कुछ कहलाना मैं नहीं चाहता। लोग यह कहें कि शायद मेरी बेदखली से यह मतलब हो कि सामूहिक रूप से बेदखली करके जागीरदारों को जमीन दें, पर मैं इसके लिए कुछ नहीं कह रहा हूं। यह तो आपके प्रावधानों में निहित है। पर बेदखली का जैसा भी रूप स्वीकार किया है उसके लिये मैं कहूं कि किसी भी एक व्यक्ति को इस तरह से भूमि नहीं दिलवाई गई और यह इस बात की दलील है कि यह सारी बातें बेदखल करके भी भूमिहीन को भूमि दिलाने की बात आडम्बर स्वरूप ही है। भूमि दिलाने की उनकी मंशा नहीं है, बल्कि सात आठ प्रोवीजनों को रखकर आडम्बर के रूप में यह बात रक्खी है कि जागीर रिजम्प्शन एक्ट में भी इतनी अमुक अमुक प्रकार की भूमियां खुदकाश्त के रूप में दी जा सकती हैं और इस प्रकार की भूमियां देने की व्यवस्था टीनेन्सी एक्ट में भी की गई है। मैं कहता हूं कि यह दोनों ही अपर्याप्त हैं, छोटे छोटे जागीरदारों को दुख देने का एक षड़यन्त्र है।

माननीय चेयरमेन, आगे चलकर यदि यह कहूँ कि आज जिन लोगों के साथ में हम इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं वे लोग कौन हैं, उनकी समस्या किस प्रकार की है इसका पता लगायेंगे तो जैसा कि एक प्रश्न मैंने उपस्थित किया था इसी सदन में और उसके जवाब में माननीय राजस्व मन्त्री जी ने बताया था कि आज दो वर्ष में लगभग ५,००० जागीरों को समाप्त कर चुका हूँ। पांच हजार जागीरों का पुनर्ग्रहण हुआ है। उसी प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह बताया था कि करीब २ हजार लोगों को उसमें अन्तरिम मुआवजा मिल चुका है। बाकी केसेज अभी तक पड़े हुए हैं। माननीय चेयरमेन, यह कहना बड़ा सरल है, सुलभ है। यह कहा जा सकता है

[श्री भैंरू सिंह]

कि ३ हजार लोगों के अन्तरिम मुआवजे के केसेज़ पड़े हुए हैं उनके कागजात पूर्णतया ठीक प्रकार से जांच होकर इस बात का तय नहीं कर सके हैं कि कितना अन्तरिम मुआवजा दिया जाय ? लेकिन इसके एक पहलू से इनकार नहीं किया जा सकता कि सन् ५४ से सन् ५६ तक ५,००० जागीरों को समाप्त किया उनमें से दो हजार के करीब लोगों को मुआवजा दिया। बाकी के तीन हजार लोगों के मुआवजे के कागजात जागीर कमिश्नर के कार्यालय में या कलेक्टर्स के कार्यालय में पड़े हुए हैं। लोगों को अन्तरिम मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। मैं समझता हूँ यह सरकार के लिए शर्म की चीज है। सन् ५४ में उनके पास खाने का जरिया नहीं है उन लोगों की जांच चल रही है यह कह कर ५६ तक किसी प्रकार मुआवजा, पुनर्वास अलाउन्स या अन्तरिम मुआवजा नहीं देना मैं समझता हूं उन लोगों के साथ जबरदस्त अन्याय होगा। आज जिस व्यक्ति को एक महिने तनख्वाह नहीं मिलती है तो वह सब्र करता है दूसरे महिने नहीं मिलती है तो वह बोलता नहीं है, लेकिन तीसरे महीने भी नहीं मिलती है तो उसको चिल्लाना पड़ेगा उन लोगों के खिलाफ, तनख्वाह नहीं देने वालों के खिलाफ, उसको सत्याग्रह करना पड़ेगा। उसको वह प्रयत्न सामने रखने पड़ेंगे कि जिन प्रयत्नों से वह सरकार या तनख्वाह नहीं देने वाले लोगों को तनख्वाह देने के लिए मजबूर कर सके। इसी प्रकार की व्यवस्था, माननीय सभापति, इस एक्ट में गई थी। इस एक्ट का जिस ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उस एक्ट के मातहत जिस प्रकार की कार्यवाही हुई है वह कार्यवाही हम किसी प्रकार से बर्दाश्त करने वाले नहीं है। मुआवजे के कागजात कभी तहसील में, कभी कलेक्टर के यहां, कभी कमिश्नर के यहां, डोलते फिरते हैं वह केवल इसलिए कि उन्हें जल्दी से जल्दी कोई अन्तरिम मुआवजा नहीं मिल जाय। वे उसके पीछे डोलते फिरते हैं। आज उस कानून में इस प्रकार की व्यवस्था कर दें कि अन्तरिम के कागजात इतने समय के अन्दर अन्दर तय हो जायेंगे, इतने समय में अन्तरिम मुआवजा मिल जायगा, तो कम से कम वे व्यक्ति जिनके इस प्रकार के जीवन निर्वाह के साधन छिन गये हैं वे किसी प्रकार से संतोष कर लें कि हमारी जागीरें ली हैं तो जागीरों के एवज में साधन प्रदान किये जाने वाले हैं, कि उन साधनों के आधार पर हम अपने जीवन निर्वाह के साधन जुटा पायेंगे, लेकिन वे जल्दी से जल्दी मिल जांय। आज उस व्यवस्था का शब्दों में जरूर सुधार है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट करने में जितनी कठिनाइयां पैदा की गई हैं उन कठिनाइयों को दूर नहीं किया गया तो मैं कहूंगा कि हमको अन्तरिम मुआवजा नहीं मिल सकेगा। इन सब को, माननीय चेयरमेन, यह कहें....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—चेयरमेन महोदय, कई बार इस बारे में निवेदन किया जा चुका है। मैं समझने में असमर्थ हूँ कि यह जो अमेन्डमेंट्स हैं वे जागीर रिजम्पशन बिल पर हैं लेकिन यहां तो जैसे जनरल डिबेट हो रही है उस प्रकार की बात हो रही है।

श्री सभापति—जागीर रिजम्पशन बिल पर जनरल डिबेट तो नहीं है। विषय पर ही बोलें।

श्री भैरूं सिंह—मैं थोड़े में ही अर्ज कर दूं कि इस संशोधन विधेयक में बपौती, बख्शीश माफक जागीरों को समाप्त करने की व्यवस्था की जा रही है। दोनों जागीरें हैं उनमें शामिल की जा रही हैं जो कि जागीर रिजम्शन एक्ट हमने पास कर दिया है वह लागू है। इस बात को जनरल डिबेट समझें, चाहे किसी प्रकार से समझें या जो जागीर रिजम्शन एक्ट है उन पर लागू होगा। उस जागीर रिजम्शन एक्ट में कानून की कमी है। कानून लागू करने की कमी है, और उन कमियों की ओर सदन का ध्यान दिलाकर इन दोनों को शामिल करने की जो बात होगी वह उचित नहीं होगी। इसलिए सदन का ध्यान आकर्षित करने की मैं चेष्टा करता हूँ।

श्री सभापति—ज्यादा विस्तार से रखने की आवश्यकता नहीं।

श्री भैरूं सिंह—ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता की विशेष प्रकार की कठिनाइयों की ओर सदन का ध्यान, सदन के नेता का ध्यान और सरकार के मन्त्रीयों का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि आज राजस्थान में इस एक्ट के कारण एक विशेष परिस्थति बनी है। उस विशेष परिस्थति को सुलझाने में सदन का सहयोग होगा। मंत्रीगण सहयोगी अवश्य होंगे। इसलिए इन बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ।

बपौती और बख्शीश इन जागीरों में भी जागीर एम्प्लाइज होंगे, इनके नौकर होंगे इनके पेन्शन होल्डर्स होंगे, इनके परवरिश पाने वाले होंगे। उन परवरिश पाने वालों के लिए वही व्यवस्था लागू होगी जो व्यवस्था हमने जागीर रिजम्शन एक्ट में बना रखी है। आज तक के जो जागीर रिजम्शन एक्ट के अनुभव हमारे सामने आये हैं उनसे ऐसा पता लगा है कि जिन जागीरदारों का या तो सरकार के मंत्रियों से अच्छी पटती थी, या जिन जागीरदारों को सरकार में अच्छी तरह हस्तक्षेप हो सकता था या जिन जागीरदारों का सरकार के ऊपर प्रभाव था, उन जागीरदारों के कुछ मुलाजिम सरकार की सर्विस में लिए गए हैं, बल्कि यह कहें कि कुछ में से बहुत गिने चुने आदमियों को उन सर्विसेज़ में लिया गया है ऐसा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बल्कि राजस्थान के पूरे प्रांत में जहां जागीरों को समाप्त किया है वहां उन लोगों के धन्धे छीने गये हैं जो लोग जागीरदारों के यहाँ नौकर थे। जिन लोगों को किसी भी प्रकार का धन्धा मिल सकता था उनका धन्धा छीन लिया। अगर धन्धा छीनने की आवश्यकता थी तो इस प्रकार की व्यवस्था करते कि जागीर रिजम्शन के बाद जो लोग बेकार हो गये हैं उन बेकार लोगों को जल्दी से जल्दी धन्धा मिल जायगा लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन को अवहेलना की जा रही है। मैं यह कहूँ कि लोग अपने निजी लोगों को सरकारी सर्विस में फंसाने की चेष्टा कर रहे हैं उस वक्त यह बात लगती है कि जिन लोगों का काम धन्धा आपने छीन लिया है वे लोग किसी भी रूप में प्रायरिटी पाने के अधिकारी हैं, उन लोगों को धन्धा नहीं दें और उन लोगों को धन्धा दें जिनका कि प्रायरिटी पाने का अधिकार नहीं है, उन लोगों को सुपरसीड करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उन लोगों को उसी प्रकार नौकरी मिलती है। उनको नौकरियां में करने से ऐसा लगता है कि जो व्यवस्था इस कानून में की गई है वही व्यवस्था बख्शीश और बपौती ऐसी जागीरों के संबंध में लगी हुई है तो वह इस प्रकार से अन्याय संगत होगी।

[श्री भैंरू सिंह]

उसी प्रकार पेन्शन होल्डर्स हैं। नपौती वाले पेन्शन होल्डर्स हैं, बख्शीश वाले पेन्शन होल्डर्स हैं। उन लोगों की जागीरों को इस शिड्यूल में शामिल करें उसके पहले यह सोचना पड़ेगा कि आज तक जो जागीरों के पेन्शन होल्डर्स हैं उनकी क्या हालत हुई है। मैं यह कहूं कि राजस्थान सरकार ने जिन जागीरों का पुनर्ग्रहण किया और उनके जागीरदारों से डीलिंग किया वह इस प्रकार से किया कि उन्होंने सोचा कि काफी पेन्शन होल्डर्स की लिस्ट कलेक्टर्स के सामने पेश करदी तो जो मुआवजा मिलने वाला है उस मुआवजे में से सारी की सारी पेन्शन की रकम काट लेंगे। जितने जागीरदारों के पेन्शन होल्डर्स थे उनकी सर्विसेज़ के बारे में कोई खास पैसा नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने लिस्ट पूरी की पूरी नहीं दी, और सरकार की ओर से इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई कि पेन्शन होल्डर्स सरकार के सामने अमुक तारीख तक किसी प्रकार अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने और आवेदन पत्र प्रस्तुत का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला और जो जागीरदार थे उनकी लिस्ट पेश करें। कइयों की पेन्शन नहीं की और कई जागीरें सन् ५४ में खत्म हुई हैं और आज ५६ खत्म हो रहा है इन दो साल के अन्दर जागीरों के जो पेन्शन होल्डर्स हैं वे आज भी जयपुर और जिस जगह की वह जागीरदार है उसके बीच में गाड़ी में जाते फिरते हैं और सरकार को और जागीरदारों को रोते हैं।

माननीय चेयरमेन, यदि यह कहूँ कि ऐसे पेन्शन होल्डर्स अपंग हैं, यदि मैं यह कहूं कि ऐसे पेन्शन होल्डर्स अपाहिज हैं, यदि मैं यह कहूं कि ऐसे पेन्शन होल्डर्स जो मेन्टली और फिजिकली अनफिट हैं, या यह कहूं की वे शारीरिक और तन्दुरुस्ती के न होने के कारण कोई धन्धा नहीं कर सकते हैं तो उन लोगों को जयपुर और जोधपुर के बीच में और जोधपुर से जैसलमेर के बीच में उनके पेन्शन के कागजात को जल्दी डिस्पोज कराने के लिये इस प्रकार घुमायें तो किसी प्रकार वह न्यायसंगत नहीं होगा। जिन लोगों ने लम्बे अर्से तक सर्विसेज़ की हैं और उनको कोई नुकसान न पहुँचाने के लिये उनके लिये पेन्शन की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाय। तहसीलदार हर तहसील में जाकर एक दिन में तसदीक कर सकता है, एस. डी. ओ. तसदीक कर सकता है, कलक्टर तसदीक कर सकता हैं लेकिन ५४ से लेकर आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। मैं आपको बताऊं कि मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर सीकर से बातचीत की और उनकी भी ऐसी मंशा है। इन पेन्शन होल्डर्स के केसेज़ को लेकर एक दफा नहीं कई बार राजस्थान सचिवालय के अधिकारियों से मिले, ए०जी० से मिले, जागीर कमिश्नरसे मिले, लेकिन कुछ मेरे प्रयत्नों से भी केसेज डिस्पोज ऑफ नहीं हुये। मैं समझता हूँ कि जहां एक ऐसा कलेक्टर ऐसा कहता है कि इन केसेज का जल्दी से जल्दी डिस्पोज हो, लेकिन वहां एक ऐसा कलेक्टर भी हो सकता है कि जो इसमें रूचि न ले और विशेष प्रकार से उन पर ध्यान न दे तो बाकी के लोगों को पेन्शन मिल सकती है, वह असम्भव है। अतः नपौती और बख्शीश वालों को पेन्शन की व्यवस्था कर रहे हैं वह अपर्याप्त है और इसलिये मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस तरह लोग अपाहिज हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, जिनके पास और कोई धन्धा नहीं है, जागीरें हैं, उनसे जो कुछ आमदनी होती थी उससे उनका जीवन निर्वाह होता था। इन जागीरों का रिजम्पशन हुआ, इन लोगों को मेंटीनेन्स होल्डर्स के तरीके पर जागीरदार धन दिया करते थे, आज उनको

[श्री भैंरू सिंह]

मेंटीनेन्स होल्डर्स के नाम पर एक पैसा नहीं मिला है । कई जागीरदारों के मेंटीनेन्स होल्डर्स थे, कइयों ने जागीरों की सर्विसेज, की थी और उस कारण उनको धन दे रहे थे । कई लोग अपाहिज हैं, धन्धा नहीं कर सकते हैं इसलिए उनको निश्चित धन राशि माहवारी के नाम से दी जाय, लेकिन जागीरें रिज्यूम होने के बाद आज तक किसी मेंटीनेन्स होल्डर्स को, जिसने सिवाय अधिक कोशिश की और पेन्शन दिलाने वालों के चंगुल में फंसकर भले ही लिया हो, लेकिन आमतौर पर तो उनके मेंटीनेन्स की कोई व्यवस्था नहीं की गई ।

श्री सभापति (राज श्री हिम्मत सिंह)—बेहतर है कि आप प्रोसिजर पर ही बोलें और इधर उधर की डिटेल्स में न जांय ।

श्री भैंरू सिंह—माननीय चेयरमेन, डिटेल्स करीब करीब समाप्त होने में हैं । सदन का कुछ ध्यान आकर्षित करते हुये जो जागीर रिजम्प्शन के विषय में हैं उनपर विशेष तौर पर ध्यान दें । अन्त में एक चीज और कहकर चेयरमेन महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करूं तो ठीक होगा ।

राजस्थान फौज का जिस समय एकीकरण हुआ तो हमने फौज के अन्दर छंटनी की थी और मैं यह कहूँ कि फौज के एकीकरण के कारण कम से कम रिटैन्चमेंट में राजस्थान के भूस्वामियों को नौकरी से अलग होना पड़ा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । सरकार की जिम्मेदारी, इस बात की जिम्मेदारी नहीं है कि वह भूस्वामियों की जागीरें खत्म कर रही है, जागीरें तो खत्म कर रही है लेकिन उसकी इस बात की जिम्मेदारी तो है कि फौज के लोगों में किसी प्रकार का असन्तोष न बने और उसको दूर करने की किस प्रकार की व्यवस्था है । लेकिन बदकिस्मती से राजस्थान के ६० हजार फौजियों में से, मैं यह कहूं कि प्रिजुडिस्ड हाथों में ऐसे पड़ गये हैं कि उनको किसी प्रकार से धन्धा मिलने वाला नहीं । धन्धा तो गया दूर, उन्होंने जमीनों में जो इन्वेस्टमेंट किया था, इस तरह से किया था कि वे जब लड़ाई में गये थे, फौज में नौकरी करते थे और अपने घरों पर आमदनी भेजते थे, उसमें किसी ने कुंआ बनाया,तालाब बनाया, किसी ने जमीन की पैदावार को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया और फौज से निकलने के बाद, सरकार द्वारा रिट्रेन्च होने के बाद उन्हें पता लगता है कि उनकी जमीनों पर दूसरों का कब्जा हो गया और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ऑर्डिनेन्स आगया । चाहे जिसका दो महीने का कब्जा हो, चाहे जिसका एक महीने का कब्जा हो, चाहे जिसका एक दिन का उस जमीन पर कब्जा हो, इधर रिट्रेन्चमेन्ट होता है, फौजी लोग अपने गांवों को जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स ऑर्डिनेन्स लागू हो गया है, उसके कारण चाहे जिसका दो महीने का कब्जा हो, चाहे जिसका एक महीने का कब्जा हो, चाहे एक दिन का कब्जा हो उसको उस जमीन से बेदखल नहीं कर सकते । उस इजेक्टमेन्ट पोलिसी को समाप्त कर रहे हैं, जहां किसी काश्तकार को बेदखल करके असंतोष पैदा नहीं करना चाहते, चाहे काश्तकार का उस जमीन पर एक दिन का कब्जा हो, दो महिने

[श्री भैरू सिंह]

का कब्जा हो या एक फैसला का कब्जा हो, वहां हमें यह सोचना पड़ेगा कि फौजियों में भी किसी प्रकार का असंतोष व्याप्त न हो, आज की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां देखते हुए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपसी टर्म्स बिगड़े हुए हैं, और यदि आवश्यकता हुई तो हम फौजियों को किस प्रकार से प्रेरणा देंगे, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि फौजियों के प्रति, देश की रक्षा की जिम्मेदारी के प्रति जितना संतोष उनमें व्याप्त करा सकें, करें लेकिन भोमियों और फौजियों की आड़ में जो शिकार किया गया है वह किसी प्रकार उचित नहीं है। अन्त में मैं यह निवेदन करते हुए कि बख्शीश और बपौती की जागीरें मानी जाती हैं, जागीरें अवश्य खत्म होनी चाहिये और शिड्यूल में सब सब्स्टीट्यूट करते हैं तो ठीक है लेकिन सब्स्टीट्यूट करनेसे पूर्व यह देखना होगा कि जो कटु अनुभव हमारे सामने आये हैं उन अनुभवों के आधार पर और अनुभव रखने वाली जनता की राय और जानने के लिये इसको जनता के सामने प्रस्तुत करें तो कोई अनुपयुक्त नहीं होगा। एक हजार की जागीरें जयपुर, जोधपुर में समाप्त नहीं हुई, पुराने राजस्थान में २०० रुपयों की जागीरें समाप्त हुई सरकार का एटीट्यूड नहीं मालूम कि इन बपौतियों और बख्शीशोंके बारे में क्या है? आज कानून बना कर कल खत्म करने वाले हैं, लेकिन ऐसी जागीरें बहुत कम हैं। बख्शीशों की कमी है, बपौतियों की कमी है। उनको शामिल कर, इस कानून में जितने अभाव रहे हैं उनको समय लेकर दूर करने की चेष्टा करेंगे और वे तब ही दूर हो सकते हैं जब कि जनता को मौका दें और अन्त में मैं सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव किया है उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री छतरसिंह—इस पर जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस बिल में बपौती और बख्शीश की जागीरों को खत्म करने का प्रयत्न किया गया है जब कि जमीन्दारियों को नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि यह जाति विशेष के साथ व्यवहार किया जा रहा है। जमीन्दारी उन लोगों के पास है जो हमारी सरकार के साथ सहानुभूति रखने वाले हैं और उस पर कोई कानून लाने के लिये सरकार तैयार नहीं है। उस पर पहले भी सदन में जिक्र हो चुका था। पहले हमारे सामने ५२ का एक्ट आया और उसके बाद ५४ का एक्ट आया और ५४ का एक्ट हमारे कई माननीय मित्रों की रजामंदी से तय किया गया था। उसमें पाँच हजार से नीचे की जगीरों को खत्म किया गया और आज की जो परिस्थिति आयी है, वे हजारों आदमी आज यहां सत्याग्रह के लिए आये हुये हैं और अगर बपौती और बख्शीशों की जागीरों को भी खत्म किया जाता है तो यह साफ जाहिर होता है कि एक तरफ तो सरकार उसको निपटाना चाहती है और दूसरी तरफ बख्शीशों और बपौतियों की जागीरों के आदमियों को उस सत्याग्रह में शामिल कराना चाहती है। इसलिये मैंने निवेदन किया कि ५२, ५४ में पांच हजार की जागीरों को खत्म किया गया और उनको रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट और बसाने की व्यवस्था नहीं की गई तो फिर क्या कारण है कि यह अमेन्डमेन्ट लाया गया। मैं यह नहीं कहता कि जागीरें खत्म नहीं की जायं लेकिन उनको अच्छी तरह से बसा नहीं सकें तो क्या कारण है कि

Page No 70

[श्री छतरसिंह]

आप इतने जल्दी अमेन्डमेन्ट लाकर बपौती की जागीर को खत्म करना चाहते हैं। आज देखने में आया है कि इत्तला निकाली थी कि जो जागीरें खत्म हुई हैं उनके यहां जो नौकर थे उनको सरकारी नौकरीमें लिया जायगा. लेकिन उनको आज तक नौकरियां नहीं दी गईं और जिन जागीरों को खत्म किया उनके जागीरदार को भी मुआवजा नहीं दिया गया। उन लोगों को मुआवजे की रकम दी गई जो या तो कांग्रेस में मिल गये और मिनिस्टरों से प्रेम रखते हैं या उनको दिया गया जो मिनिस्टरों के सहकारी वकील जो रिश्वत लेते हैं उनको वकालतनामे के नाम पर दिया गया है। बाकी आदमी इसके लिए तड़प रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करें क्योंकि यह जरूरी हो गया है कि २०,००० सत्याग्रहियों को आप बंदी करना चाहते हैं और आप दूसरी ओर आग फैलाना चाहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

श्री गोपीलाल यादव—जमींदारी के बारे में उन्होंने कुछ बातें कही हैं, उनका मैं जवाब देना चाहता हूँ।......

श्री मोहनलाल सुखाडिया—पहले जवाब हो जाने दीजिये।

चेयरमेन महोदय, यह जो बातें अभी सदन के समक्ष आई हैं मैं समझता हूँ जो बहस इस बिल को लेकर हो रही है वह इसका खुद का तथ्य है उससे बहुत दूर चली गई। यह बिल एक बहुत ही औपचारिक तरीके का है जिसमें बपौती और बख्शीश की जागीरों को जागीर विधेयक में शरीक करने की बात है। अब हम मूल एक्ट को देखें तो पुण्यार्थ, धर्मार्थ आदि ऐसी सारी जागीरें पहले ही से इसमें शरीक हैं। यह पहले डेफिनिशन्समें कमी मालूम होती थी उसकी पूर्ति करनेकी बात है। नई पोलिसी ऐसी लागू करने की बात हो जिसके जरिये से अमुक श्रेणी के जागीरों को लेने का फैसला किया जा रहा हो तब तो कोई बात भी हुई कि बहस खडी करनी पड़े लेकिन आज छोटी जागीरों को लेने के लिये मौजूदा एक्ट में प्रोविजन है। उसके तहत में पुण्यार्थ धर्मार्थ आदि हर तरह की जागीर दी जा सकती है और बहुत सी दूसरी तरह की जागीरें जिनकी संख्या ४३ या ४४ है, जिनमें माफी वगैरह सब आ गईं उनका समावेश है तो मैं नहीं समझ पाया कि नीति की कौनसी बात है जिसके लिये बहस की बात आती। केवल टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर जो बात शामिल करनी थी वह की जा रही है, जो बात रह गई थी उसको शरीक किया जा रहा है। मैं आशा करता था कि इस बहस में सदन के माननीय सदस्य किसी प्रकार की और बातों को नहीं लाते तो ज्यादा अच्छा होता।

उन्होंने कहा कि बहुत से जागीरदारों को मुआवजा नहीं दिलाया, पंत एवार्ड को भंग किया गया सरकार की ओर से। मैं, चेयरमेन महोदय, कहना चाहता हूँ कि आज जो लोग एजिटेशन करते हैं या जो खड़े होकर यहां कहते हैं किवे यदि इस बात के लिये तैयार हैं कि जो कुछ पंतजीने कहा और जो कुछ पंतजी कहेंगे उसको मानने के लिये तैयार हैं तो मैं वादा करता हूं कि सेन्ट परसेन्ट

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

सरकार उस बात को पूरा करेगी और आगे जो उनकी तरफ से सुझाव आवें तो पूरे किया जा सकते हैं लेकिन इन चीजों को तोड मरोड कर यह कर दिया, वह कर दिया, यह कहने की आज जो मुआवजे के बारे में बहस की गई उसको मैं समझता हूं। जिस समय राजप्रमुख के भाषण पर बहस हुई थी उसके बाद बजट पर जनरल डिस्कशन हुआ था उस समय भी, और और मौकों पर भी इस के बारे में काफी चर्चा हुई है। उस वक्त मैंने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बताया था कि कितने लोगों ने दर्ख्वास्तें दी थीं और उनमें से कितनों को मुआवजा मिल चुका। मैं समझता हूँ उस वक्त स्पष्ट तौर से बताया था जिन्होंने दर्ख्वास्तें नहीं दीं, आज हम लोग स्पष्ट तौर से देने का प्रयत्न नहीं कर सकते। हो सकता है कि कुछ को मुआवजा नहीं मिल रहा है लेकिन इसके लिये जिम्मेदार हम नहीं हैं। उन लोगों को मुआवजे का फार्म नहीं भरने दिया जाता है और कहा जाता है कि फोर्म मत भरो और यदि भर दिया तो जागीर रिजम्पशन में शरीक हो जाओगे। एक तरफ तो फोर्म नहीं भरे और उसकी वजह से मुआवजा नहीं मिले तो उसका दोष गवर्नमेंट पर लगाया जाय! यह सच है कि कई लोगों ने फोर्म भरे। मैंने बताया था कि ६ महीने का समय गुजरने के बाद एक्ट के माफक उनको मुआवजा दिया जा सकता है। इस प्रकार की दर्ख्वास्तें शायद १६०० आई, उनमें से १२०० या १३०० को मुआवजा दिया जा चुका है, यह मैंने पहले निवेदन किया था। दूसरों की दर्ख्वास्तें नहीं आई और उन्होंने इंटेरिम कंपेन्सेशन के फार्म नहीं भरे। जो कानून में रियायतें दी गई हैं उनका फायदा उठाना था। बहुत सी बातें कही तो जाती हैं लेकिन जो लोगों को तकलीफ होती है उसको दूर करने का रास्ता नहीं बताया जाता। अब यह कहा जाता है कि टिनेन्सी एक्ट में किसानों से जमीन लेकर देने का प्रोविजन किया है उसके अनुसार किसी को भी जमीन नहीं देते हैं। टिनेन्सी एक्ट में प्रोसिजर दिया हुआ है कि यदि जमीन किसानों के कब्जे में है और अमुक आमदनी से ज्यादा है तो उस हालत में एस. डी. ओ. के पास दर्ख्वास्त देकर जमीन ली जा सकती है। मैं समझता हूं, यह कहा जाता कि इतनी दर्ख्वास्तें दीं और जमीन नहीं दी तो कोई बात समझ में भी आती। लेकिन यदि कोई दर्ख्वास्त नहीं दे और उसको जमीन नहीं मिले तो उसका संबन्ध भी सरकार से किस तरह से है? मैं यह निवेदन करूं तो गलती नहीं होगा कि आज बहस की बात जो खड़ी होती है उसका मूल कारण यह है कि कानून में जो रियायतें दी गई हैं उनका जिस प्रकार से लाभ उठाना चाहिये उस तरह से लाभ नहीं उठाया जा रहा है। जिस पक्ष में लाभ हो सकता है उस पक्ष में नही लिया जाता है, केवल निगेटिव पक्ष पर जोर दिया जाता है। उसी के कारण स्थिति ऐसी होती है। बहुत से लोग नहीं जानते कि कहां दर्ख्वास्त देनी चाहिये, क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये। उन लोगों को समझाना चाहिये। मैं निवेदन करूं कि कंपेन्सेशन के लिये एप्लाई करने का पीरियड एक्सपायर हो गया। गवर्नमेंट ने इन्डिविज्युअल लोगों को लिख कर भेजा है कि आपने फोर्म नहीं भरे और पीरियड एक्सपायर हो गया है लेकिन अब भी दर्ख्वास्त दें तो कंपेन्सेशन दिया जा सकता है। जितनी बातें जागीर डिपार्टमेंट कर सकता है उतनी ज्यादा से ज्यादा की जाती हैं।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

इस अमेन्डमेन्ट के एक क्लॉज पर बहस हो रही है लेकिन दूसरा क्लॉज जागीरदारों के हित में है जिसमें 'मार्जिनल एडजस्टमेन्ट का प्रोविजन है। प्राइमरी कंपेन्सेशन वर्क आउट करने में दिक्कत होती थी उसको दूर करने के ख्याल से यह लाया गया है।

इनके अलावा और बातें भी कही गई आन्दोलन के बारे में। इसमें मैं इस वक्त पड़ना उचित नहीं समझता। उसका क्या औचित्य है, क्या औचित्य नहीं है, क्या होना चाहिये, क्या नहीं होना चाहिये, इन बातों में पड़ने का मौका इस समय नहीं है।

रिहेबिलेटेशन का सवाल कई बार उठाया जाता है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कहना चाहता हूं कि यदि छोटे व्यक्तियों के पास कोई साधन नहीं है, रिहेबिलिटेशन का जरिया नहीं है तो उनके लिये सरकार पहले भी सोचने के लिये तैयार थी और आज भी तैयार है। हम यह मानकर चलते कि आज राजस्थान के लोगों के पास जरिये नहीं हैं तो साथ में बैठकर सोच-विचार किया जाय। ये बातें खाली सदन में बहस करने से तय नहीं हो सकती क्योंकि अलग अलग इलाकों की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। कई बातें सामने आयेंगी, उन सब को अच्छी तरह से देखकर उन पर विचार किया जा सकता है।

लेकिन वह प्रश्न ऐसा है जिसके सम्बन्ध में हमने कभी यह नहीं कहा कि रिहेबिलिटेशन के बारे में हम कभी सोचना नहीं चाहते। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहता हूं कि रिहेबिलिटेशन की समस्या है छोटे आदमियों की, वह अलग प्रश्न है जिसे सरकार सुलझाना चाहती है। पर आज इस प्रश्न को उलझा कर जो तथ्य हैं उनसे दूर होते हुए चला जाता है। एक मामूली अमेंडमेंट जिसमें कोई पौलिसी का सवाल इन्वोल्व्ड नहीं होता, जो श्रेणियां पहले से की गई हैं, उनमें नाम मात्र का फर्क है, उसमें यह कहा जाय कि ऐसा हो जायगा, मैं तो समझता हूँ, ऐसे प्रश्न पर टची होकर भी नहीं चलना चाहिये। बड़ी बातें हैं उनके लिये भूस्वामी संघ के लोग हैं, उनसे हमने कहा है, आप चाहते क्या हैं? आपकी मांगें क्या हैं? और वे इस प्रयत्न में हैं कि वे अपनी बातें रखना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में बीच में कुछ भी कहूँ तो उचित न होगा।

आज गवर्नमेंट की पोजिशन रीयलाइज कोजिये कि उनके बारे में मालूम नहीं है कि उनकी वास्तविक मांगें क्या हैं? क्या प्रश्न है, क्या सोचना है? इसके बिना आगे सोचना मुश्किल हो जाता है। जो तथ्य है उस पर कन्स्ट्रक्टिव तौर पर दिमाग लगाया जाय। जो तरीका रिहेबिलिटेशन के लिये गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है, उसके माफिक कार्यवाही की जाय। पर ऐसा नहीं करके एक ही लाइन पर सारे मामले चलाये जायं, इससे कोई हल नहीं होता। माननीय सदस्य ने जो कहा उनके इस तरह बोलने से तो परेशानी का हल नहीं होगा। वे यह कह सकते हैं कि वे जोर से बोलें।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जब जो सवाल आये उस पर हम कन्स्ट्रक्टिव तौर पर विचार करें. और जो बिल रखा गया है उसमें कोई पोलिसी की बात इन्वोल्व्ड नहीं है, लीगल पोइन्ट से इसको शरीक करने की बात कही है।

मेरे इतना कहने के बाद मैं समझता हूँ, जिन माननीय सदस्य ने अमेण्डमेण्ट रखे हैं वे अमेण्डमेंट रखने वाली बात को वापिस लेंगे और यह एक मामूली बिल है जिसे प्रोसीजरल कहा जाय। मैं आशा करता हूं कि वे अपने अमेण्डमेण्ट वापिस ले लेंगे।

श्री मानसिंह मह्यार—माननीय चेयरमैन, मेरा इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का सुझाव है, इसके बारे में मैं अधिक निवेदन न करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जिस सहानुभूति के ढंग से इस बात का जवाब दिया उससे लोगों को यह महसूस हो सकता है कि वे जिस चीज को बहुत सहानुभूति से विचार करने को तैयार हैं पर हमारा यह दो वर्षों का तजुर्बा है जो यह कह सकता है कि इस सदन में चाहे जो कहा जाय पर वाकई में करने का मौका आता है तो वह बातें कहीं दूर चली जाती हैं।

एक स्पेसेफिक बात मुख्य मन्त्री जी ने फरमाई कि मुआवजे के मामले में वे इतने लिबरल हैं कि इण्डिविज्युअल्स को चिट्ठियां लिखी हैं जागीर-कमिश्नर ने, जिन्होंने कि मुआवजे के फोर्म नहीं भरे हैं। बहुत मुमकिन है जागीर कमिश्नर ने किन्हीं खास व्यक्तियों को चिट्ठियां लिखी हों। सब को आमतौर से चिट्ठियां लिखी हैं इस चीज का मैं खण्डन करता हूँ। मुझे आज तक कोई चिट्ठी नहीं मिली। मुझे मुआवजे का फोर्म नहीं मिला, मैंने मुआवजे का फोर्म नहीं भरा, हालां कि दो वर्ष हुए मेरी जागीर को रिज्यूम हुए। मेरे पास कोई फोर्म नहीं आया मुआवजा भरने का। मैं सदन में उनकी इस बात का खण्डन करता हूं कि आम तौर से इण्डिविज्युअल्स को चिट्ठियां लिखी गई हैं। उनको किसी अधिकारी ने गलत सूचना दी है, वे उसकी जांच करवायें।

उन्होंने फरमाया कि मुआवजे के लिये यह करते हैं वह करते हैं, पर प्रेक्टिकल बातों में जाय तो मैं माननीय मुख्यमन्त्रीजी से आशा करूंगा कि हम किस तरीके से उनके कथन पर विश्वास कर सकते हैं। तीन वर्ष जागीर अबोलिशन कानून को पास हुए हो गये, मुआवजा लेने के फोर्म तक नहीं छप सके हैं, हालां कि मुआवजा लेने की तारीख आ गई है, जिन्होंने फार्म भरे हैं उनको मुआवजा दीजिये, मुआवजे की तारीख आ गई है, तब तक आपके फार्म्स तैयार नहीं हुए हैं फिर भी आप यह समझते हैं कि आप हमारे केस को बड़ी सिम्पेथेटिक्ली डील कर रहे हैं। मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि ये छोटी छोटी बातें इस बात का सबूत हैं कि दावे तैयार नहीं हैं, बान्ड्स तैयार नहीं हैं तो क्या देंगे और दूसरी तरफ फोर्म्स अभी तक छपे नहीं हैं। कहने को कह सकते हैं कि हमने इन्डीविज्युअल्स को चिट्ठियां लिखी हैं

[श्री मानसिंह महार]

और मुआवजे भी दे दिये हैं, बहुत मुमकिन है जिन आदमियों की आप तक पहुँच है उनको आपने दे दिये हों पर आम जागीरदार जैसी फोर्म में बात कहते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। आपने जिस सहानुभूति से मुआवजा देने की और फोर्म्स के लिये इण्डिविज्युअल्स को चिट्ठियां देने का फरमाया उसका मैंने खण्डन कर दिया है।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा उससे बड़ी आशाएं बंधी हैं, हमें इस बात की खुशी हुई है कि अभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहते हुए बहुत कुछ कह दिया है। हमें आशा नहीं थी कि सरकार इस प्रकार की बातों को करने को तैयार है, इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। पर मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जागीर मामले के कानून के पचडे में मत बहिये, आप इस बात को आधार बनाइये कि आप एक आदमी की सम्पत्ति को लेते हैं, लेने के बाद आपका फर्ज हो जाता है कि जिस प्रकार सरकार उसे खुश कर सके, उसी प्रकार उसे खुश करना चाहिये। इस प्रकार मुआवजे के फोर्म्स भरने की चिट्ठियां लिख कर हम पर अहसान नहीं कर रहे हैं। आप बखशीश बपौती नहीं दे रहे हैं। आपको पहले जागीरदारों को बधाई देनी चाहिये। आप बार बार कहते हैं, राजाओं ने त्याग किया। क्या त्याग किया, पच्चीस-पच्चीस लाख रुपये देते हैं उनको। हमको एक कौड़ी पैसा देने को तैयार नहीं हों, जागीरें हमने शांतिपूर्वक सम्हला दी हैं, हमारी पोजीशन भिन्न रह जाती है, लोग कह सकते हैं कि महार जागीरें रखने के पक्ष में है। दो वर्ष हो गये मुझे तो जागीर आपके सुपुर्द किये हुए। मेरे इन्टेन्शन में किसी तरह का फरक है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता।

[illegible] आप इस सवाल को सहानुभूतिपूर्वक देखें और इस पहलू को सही ढंग से देखें और आज की आपकी बातों से मुझे जरूर महसूस हुआ कि आप इस कोशिश में हैं पर आपके नीचे के जो कर्मचारी हैं वे गड़बड़ कर रहे हैं, आप उन कर्मचारियों में भी रद्दोबदल कीजिये।

श्री सभापति—आप नई बात कहिये।

श्री मानसिंह महार—बिलकुल नई बात है।

आपने प्रत्येक जागीरदार को चिट्ठी लिख दी है, आपको खुश करने की गरज से, जिसने आपको यह गलत खबर दी है, उनके खिलाफ एक्शन लें।

रीहेबिलिटेशन के बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया उसके बारे में चेयरमैन महोदय, यह अर्ज करूंगा कि खुदकाश्त की समस्या, मैं यह समझता हूं कि आप लोगों ने ही जटिल बना दी है। अगर सरकार चाहती है कि इस समस्या का सही ढंग से हल किया जाय तो सही ढंग से सही लोगों के साथ समझौता करके सही हल किया जा सकता था।

[श्री मानसिंह महार]

मैं आज भी इस बात को मान कर चलता हूँ कि खुद काश्त के संबन्ध में राजस्थान में न भूस्वामियों को, न राजपूतों को और न काश्तकारों को नाराज करने की जरूरत है। अगर आप इसका हल सही ढंग से करना चाहें तो हो सकता है। आप एक तरफ तो लोगों को दिखाते हैं कि भूस्वामियों को जमीनें दे देते हैं और कहते हैं कि हम इस समस्या को सहानुभूति पूर्वक हल करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की नियत तो साफ है पर नीचे वाले लोग गल्ती करते हैं। मैं यह कहूँगा कि यह भी मामला अहम मामला है, इस पर भी ध्यान देना चाहिये। आप तो खुद काश्त की बात कहते हैं, मैं यह कहूंगा कि आपने आज तक एक भी जागीर रिजम्शन के केस को ठीक तरह से पूरा नहीं किया है, आप पंत समझौते को इम्पलीमेंट नहीं करते। आज जितनी गडबडी होती है और आन्दोलन करने की जरुरत आई है वह राजस्थान जागीर रिजमशन एक्ट के संबन्ध में पंत का जागीरदारों से समझौता हुआ उसको इम्पलीमेंट नहीं करने के कारण है। अगर इस पर शुरु से चलते और इम्पलीमेंट करते तो आज यह दिक्कत पेश नहीं आती। इसलिये आप पंत समझौते को इम्पलीमेंट ठीक तरह से करें। आप कहते हैं कि कम्पेन्सेशन दिया है। आप पूछते हैं, इतना चाहिये और इतना होना चाहिये। आप इन्डिविजुअल केसेज को लेकर सब जागीरदारों को नुकसान पहुँचाते हैं। मैं यह कहूँगा कि जागीरदारों के जो बीड थे उनको पंत रिपोर्ट में जागीरदारों के खुद काश्त में रखा और कहा कि वे उनकी खुद काश्त में रहेंगे। यह बात पंत रिपोर्ट में थी।

श्री सभापति—यह नई बात कह रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—यह इसलिये कही जाती है कि इसका संबन्ध आगया। लेकिन जागीरदारों के खुदकाश्त में नहीं रख कर इन बीड़ों को लेने की बात कही, इससे हमको अन्देशा हो जाता है।

यह चन्द बातें कह कर मैं आशा करता हूं कि उन्होंने जिस सहानुभूति के बारे में बात कही और यह बताया कि समझौते के बारे में बात, चीत चलने का फरमाया उसके लिये भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं यह कहूँगा कि जब बातचीत चल रही है तो मैं समझता हूँ कि बातचीत का नतीजा दूर नहीं हो सकता। इस एमेन्डमेंट को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना अनुचित नहीं होगा क्योंकि यह कोई पेचीदा मामला तो है नहीं कि पास नहीं होने से बहुत नुक्सान होगा यह कोई जरुरी नहीं है कि इसको आज ही पास किया जाना चाहिये।

दूसरी बात माननीय चीफ मिनिस्टर ने फरमायी कि यह जागीरदारों के हित में है। यह बात मेरे दिमाग में कनफ्यूजन पैदा करती है कि वह किस प्रकार से जागीरदारों के हित में है। अच्छा यह होता कि वे इस बात को साथ ही साथ फरमा देते कि यह किस तरह से जागीरदारों के हित की बात है। मगर यही कहा गया कि यह बात जागीरदारों के हित में है, इतना कह देने से कि यह जागीरदारों के हित में है मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि

Page No 76

[श्री मानसिंह महार]

कोई भी आदमी इतना बेवकूफ नहीं होगा कि उसके हित की बात होगी, उसको आगे सरका देगा। आप बता देते कि इन इन बातों में हितकर है तो अच्छा था।

इसके बाद मैं यहां चन्द शब्द निवेदन करूंगा कि आप जागीर रिजम्शन एक्ट को सही तरीके से अपनावें। आपने यह फरमाया कि जिसको किसी प्रकार की ग्रीवेन्स हो वह खुली अदालत में जाए। मैं यह कह देना चाहता हूं कि हम लोग अदालतों में गये हुए नहीं है। अगर भू स्वामी अदालत में जाने लगें तो वहां फिरते फिरते उनके जूते ही टूट जावेंगे और कुछ नहीं होगा। आप इस प्रकार का काम कीजिये कि एक पर्टिकुलर कमेटी बना दीजिये, जो कमेटी बने उसमें तहसीलदार या एस. डी. ओ बैठ जावे और जो सजेशन आवें उनको एस. डी. ओ. वाजब समझे उनके लिये सरकार से इजाजत मांग ले, यह सरकार वाजिब समझ कर आज्ञा दे। आप यह समझते हैं कि काश्तकार अदालतों में जावे, यह नामुमकिन बात है। आप हमसे हमारी ही चीज ले रहे हैं और फिर हमसे ही कहते हैं कि राय लेनी हो तो अदालत में जाइये। अगर ऐसी ही बात थी कि हम अदालतों से ही फैसला करवाते तो फिर पंत रिपोर्ट और पंत का फैसला क्या होता है। आप यह कहते हैं कि आपने जो पंत की मोहर-छाप लगाई है उसको बलाएं ताक रख दिया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। पंत रिपोर्ट और समझौते में ५ हजार से नीचे वालों को सुविधाएं दी गई हैं। यह चीफ मिनिस्टर मान कर चलते हैं। मैं यह कहूँगा कि यह सब बातें मानते हुए भी सही तथ्यों की ओर नहीं चलते हैं। मैं यह मानता हूँ कि जागीर रिजम्शन एक्ट का संशोधन आया है उसको आज सिलेक्ट कमेटी में भेजने का मुख्य कारण यह है कि सरकार की तरफ से पंत फैसले का सही तरह से इम्पलीकेशन नहीं हो रहा है। अगर माननीय मुख्य मंत्री हमको समझना चाहें तो एक घन्टे, दो घन्टे, १० घन्टे समझ सकते हैं और मैं बता सकता हूं कि जागीरदारों और आपको निकट आने में क्या क्या मुशिक्लें हैं। मैं इतना ही कह कर सदन के सदस्यों से निवेदन करूं कि मेरा यह सिलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रश्न है समर्थन करेंगे और जो खामियां रह गई हैं उन्हें दूर करने के लिए और नई बातें जोड़ कर सिलेक्ट कमेटी इसको हाउस में पेश करेंगी, इसमें सहयोग देंगे।

श्री जगतसिंह झाला:—माननीय चेयरमैन, मैंने जो संशोधन रखा वह यह था कि इसको जनता की राय के लिए प्रसारित किया जावे। जो जागीरें जागीर रिजम्शन एक्ट के तहत में आती हैं उन्हें भूमि दिलाने के लिए भाकरा और नांगल की तरफ भूमि बताई जाती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब हमारे यहां पड़ोस में भूमि मौजूद है तो हम नहीं चाहते कि आप उन जमीनों को हमें नहीं दें और कांग्रेस पार्टी के लोगों को दें। जब कांग्रेस के लोगों को यहां पर भूमि मिल सकती है तो मैं यह कहूंगा कि हमको भूमि हमारे यहां पर ही क्यों नहीं मिल सकती है मेरे पास भूमि नहीं है, मुझे तो भूमि नहीं मिलती ; मगर एक मिनिस्टर साहब, है मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं उनका नाम बता सकता हूं वे यहां पर मौजूद नहीं हैं, वे अपने ही गांव में अपने लड़के के नाम से भूमि प्राप्त कर लेते हैं और उनको दे सकते हैं। मैं समझता हू कि आप लोग

Page No 77

[श्री जगतसिंह झाला]

अच्छी तरह से समझ गये होंगे कि किस मिनिस्टर को दी गई है। जब आप दूसरे लोगों को देते है तो फिर हमको दूर भूमि बताना स्पष्ट जाहिर करता है कि आपकी बुरी भावना है और खास कर एक जाति के प्रति बुरी भावना प्रतीत होती है। इसलिये मैंने यह कहा है कि इसको पब्लिक की राय के लिये प्रसारित किया जावे और पब्लिक की राय आने पर इस पर कार्यवाही की जावे। जब मेव लोग बाहर चले गये उस समय उनकी भूमि पड़ी थी और शरणार्थियों के कब्जे में थी। जब मेव वापिस आये तो वह भूमि उनको वापिस दिलाई गई। जब मेवों को जमीन वापिस दिलाई जा सकती है तो कोई कारण नहीं कि हमको भूमि हमारे गांवों में या पड़ौस के गांवों में नहीं दिलाई जावे। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप इसको स्पष्ट कर देते तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन आपने एक शब्द भी इसके बारे में नहीं कहा। मैं आशा करता था कि आप इस पर कुछ कहेंगे। मगर आपने नहीं कहा, यह आपकी मर्जी। अगर आप बहुमत के आधार पर इसको पास कराना चाहते हैं तो कराइये, यह आपकी मर्जी है। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि पब्लिक में इसको प्रसारित करने का खास मतलब यह था कि खास मसले को हम हल करना चाहते थे। अगर आप इसको सिलेक्ट कमेटी में रखते हैं तो मैं अपना यह प्रस्ताव वापिस लेने के लिये तैयार हूँ।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री मानसिंह महार (वि० सं० ९७) ने प्रस्तुत किया है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे, मंजूर किया जाए।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

दूसरा प्रस्ताव श्री जगतसिंह झाला का है कि इसको पब्लिक ओपिनियन के लिये प्रसारित किया जावे। क्या सदन की स्वीकृति है?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९५९ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया जाता है।

(कुछ विराम के अनन्तर)

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं प्रस्ताव करता हूं कि लेन्ड रिफोर्म्स एन्ड रजिम्पशन ऑफ जागीर्स (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५९ को पारित किया जाय।

श्री सभापति—इस पर संशोधन हैं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—That is not in order & not in time

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्षजी मैं थर्ड रीडिंग पर बोलना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष—और समय खराब करना है....

श्री मानसिंह महार—यह इतना महत्वपूर्ण बिल है जागीरदारों के लिये और भूस्वामियों के लिये कि इसके थर्ड रीडिंग पर बोलने की इजाजत देनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—पहले इस पर बहस हो चुकी है।

श्री मानसिंह महार—मैं मुद्दे जो उठाऊंगा उन पर इलुसिडिशन चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से। बहुत सी बातें कहनी रह गई हैं जो बहुत अहम बातें हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मुझे केवल पांच मिनिट के लिये इजाजत दीजिये।

माननीय उपाध्यक्ष, इस विधेयक के बारे में थर्ड रीडिंग पर बोलते हुए सदन के माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि यह बड़ा ही पक्षपातपूर्ण कानून है। इस कानून को पारित करने के पहले हम लोगों को यह देखना है कि सरकार की नीयत साफ है कि नहीं। इसके बारे में मैंने पहले भी कुछ निवेदन किया था इस समय जो खास तौर से निवेदन करना चाहता हूँ वह है सर्विसेज के बारे में। इस बारे में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जागीरों के जितने भी कर्मचारी हैं जागीरों के और इन टिकानों के....

श्री दामोदरलाल व्यास—ये इर्रिलेवेण्ट बातें हैं।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, यह इसी के स्कोप में है। मैं सदन के समक्ष यह बातें रखना चाहता हूं कि बपौती और बख्शीश को लिया गया तो उनके नौकरों की क्या हालत होगी वह मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। जबतक मैंने पूरी बात नहीं कही उसके पहले ही माननीय मंत्री जी कह गये कि यह इर्रेलेवेन्ट है जब कि उनकी हर बात इर्रेलेवेन्ट होती है तो वे मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता।

[श्री मानसिंह महार]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस बिल को पारित करने से पहले सदन को इस बात के लिये तय करना चाहिये कि जिन बेचारे जागीरदारों की बपौती और बख्शीश लेने जा रहे हैं उन जागीरों के अन्दर जो गरीब कर्मचारी हैं उनका क्या होगा ? सरकार उनको विस्थापित कर देगी उनके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं रहेगा और वे इस काबिल नहीं बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े ओहदों पर जाकर काम कर सकें। ऐसी स्थिति के अन्दर अगर इस बिल को पारित करना है तो हमें यह गुंजाइश रखनी होगी उनके नौकरों को सरकारी नौकरी दें। यह नहीं होना चाहिये कि सरकार के जो कृपा पात्र हैं उनको तीन हजार की जागीरों पर भी डेढ़ सौ रुपये की तनख्वाह का कामदार मन्जूर कर लें। इस बात की मेरे पास मिसाल मौजूद है जो गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं भूस्वामियों में ६० प्रतिशत ऐसे आदमी हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। उसी प्रकार बपौती और बख्शीश वाले जागीरों में भी पढ़े लिखे नहीं हैं। उनके पास कोई प्रतिनिधि नहीं कि सदन में आकर उनकी मांगे रख सके और यहां कह सके। ऐसी सूरत में माननीय सदस्यों के लिये और सदन के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि यह भूस्वामियों का मामला नहीं, उन गरीब और आम आदमियों का मामला है। वे बेचारे गरीब आदमी बेरोजगार हो जायेंगे। उनकी रोटी छिन जायगी इसलिये सदन को कुछ कन्सीडर करना चाहिये।

आपने जिस समय जागीरें लीं बड़े बड़े आश्वासन दिये थे।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो ही मिनिट। आप लोगों ने जब हमारे से जागीरें ली थी बड़े बड़े वादे किये। आप लोगों के नौकरों को जगह दी जायगी, इसके सम्बन्ध में मैं अपना निजी अनुभव बताता हूँ मेरा करीब २५ हजार का सेटल्ड ठिकाना है उसके कामदार को ६० रुपया माहवार तनखाह दे रहे हैं। उसमें भी पचासों बातचीत की जाती है। उधर दूसरे कृपापात्र जागीरदार हैं जिनकी करीब २५०० की जागीर है लेकिन उसके कामदार को १५० रुपया दे रहे हैं। आप इसकी जांच करा लीजिये। मैं दावे के साथ कहता हू आप जांच करा लीजिये....

श्री **दामोदरलाल व्यास**—आप नाम तो बता दीजिये ?

श्री **मानसिंह महार**—सदन में वह पहले भी रेफर हो चुका है आप नाम फिर भी जानना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह से नोट कर लें उदयसिंह नाम है। आप फिर से जांच कराइये। नाम भी पूछा जाता है लेकिन जब यहां पर नाम प्रगट कर दिया जाता है तो हालत यह हो जाती है उस पर और मोहर लगा दी जाती है कि तुम्हारे खिलाफ सदन में बात कही गई अब तो आप कनफर्म्ड किये जाते हैं उनकी प्रेस्टिज बढ़ जाती है यह हमारी सरकार की नीयत और हालत है। अगर माननीय मंत्रीजी वास्तव में मैंने जो सूचना दी है उसकी जांच कराने को तैयार हों तो वे सदन के अन्दर घोषणा करें कि तीन दिन के अन्दर अन्दर वे सही तथ्यों को सदन के सामने रख देंगे।

[श्री मानसिंह महार]

तो हमारे कोऑपरेशन करने का मतलब हल हो सकता है कोऑपरेशन का सवाल तो उनके साथ हो सकता है जो न्याय, सत्य और अहिंसा को मानते हैं आप तो इन चीजों से दूर भागने वाले लोग हैं आपसे क्या आशा करें। कहने के लिए नाम तो पूछा जाता है लेकिन जब नाम दिया जाता है तो मौन, फिर यदि इसके बारे में कुछ कहा जाता है तो पकड़ में आजाते हैं, आप चाहें तो मैं इस प्रकार के हजारों नमूने पेश कर सकता हूं।

जागीरों के पुनर्ग्रहण के संबन्ध में सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि इसमें जागीरदारों के साथ रियायत की गई। हम आप से यह कहना चाहते हैं कि हम आपकी रियायत के भूखे नहीं हैं। केवल आप वही काम कीजिये जो नियम के अनुकूल हो, वही कीजिये हमें आप कुछ दे रहे हैं तो वह रियायत नहीं। हमारे से कुछ लेकर आप दे रहे हैं यह रियायत नहीं। आपने जो हमारे लिये यह रियायत का शब्द प्रयोग किया, यह हम हमारा अपमान समझते हैं। आपको इन शब्दों को वापिस लेना चाहिये। रियायत उसको कहते हैं जो आप से भीख मांगते हैं। हम तो सरकार से अपना हक मांगते हैं। यह सरकार का कर्तव्य है कि हरेक के हित की रक्षा करे। आज के युग में प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि जिससे कुछ ले रहे हैं उसे कानून के अनुसार जो कुछ भी राइट्स हो उसके सेफगार्ड किया जाना चाहिये। जो सरकार जनता के हकों की सुरक्षा नहीं कर सकती उनके राइट्स को सेफगार्ड नहीं कर सकती, ऐसी सरकार को रहने का हक नहीं है।

तृतीय वाचन पर बोलते हुए मैं सरकार को यह इम्प्रेस करूंगा कि बपौती और बख्शीश की जागीरें हैं उनके गरीब नौकरों को आप इमदाद दीजिये, वहां जो नौकर हैं वे बिल्कुल विस्थापित हो जायेंगे। आप जानते हैं इनमें से कई नौकर ऐसे हैं जो अन्धे हैं फिर भी जागीरों की तरफ से दस पन्द्रह रुपये जो कुछ भी होता है माहवार मिलता है। अब वे कहां जायेंगे किस तरह अपना भरण पोषण करेंगे ....

श्री मथुरादास माथुर—अन्धे को नौकर नहीं रख सकते।

श्री मानसिंह महार—(जारी रखते हुए) जो चीफ व्हिप फरमा रहे हैं वह मुझे सुनाई नहीं दिया। लेकिन उनको जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है क्यों कि उनकी जबान से मोती बिखरते हैं। अगर सुनता तो जरूर माकूल जवाब देता।

अभी मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि उन्होंने यह कहा आप बन्द कर दें, यह बात अगर कही गई है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी हमदर्दी के लिये यहां कोई स्थान नहीं। वे तो चाहते हैं कि जागीरदार लोग पाकिस्तान चले जांय तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन वे यह अच्छी तरह से जान लें कि हम लोग पाकिस्तान जाने वाले नहीं। वह दिन भी आजायगा कि जब आप लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। लेकिन हम कभी भी नहीं जायेगें। हम राजपूत हिन्दुस्तान के वफादार

[श्री मानसिंह महार]

सेवक हमेशा से रहे हैं और आज भी हैं और आयन्दा भी उसी वफादारी से देश की सेवा करने वाले हैं। यह मैं आज सदन के अन्दर घोषणा कर देना चाहता हूं। हमें मरना कबूल है लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं जायेगें। लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि यदि आपको ऊंचे ऊंचे पदों का लोभ मिले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप लोग इस देश के साथ विश्वासघात करने में पीछे नहीं रहेगें यह मेरी निश्चित धारणा है।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को क्यों पारित न किया जाय, इसके बारे में चन्द बातें कहना चाहता हूं।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बपौती आदि के सम्बन्ध में अमेण्डमेन्ट आया है, मैं आशा करूंगा कि सदन इसको पारित नहीं करेगा, क्योंकि यह बड़ा ही खतरनाक बिल है और इसके अन्दर अगर हम लोग, भूस्वामी लोग यह कहते हैं कि इस पर विचार करिये, सिलेक्ट कमेटी में बैठकर विचार करिये, सोचिये तो मुझे समझ में नहीं आता इसमें सरकार को क्या दिक्कत आती है ? अगर वे कहें कि इसमें वेस्ट ऑफ टाइम होगा तो वह नहीं होता है। मैं यह कहूंगा कि आज वे स्वयं बड़ी बड़ी बखशीसें और बपौतियां कायम कर रहे हैं। वे अगर हमारी बखशीसें और बपौतियां को लेना चाहते हैं तो आज जो इस सरकार ने नई नई बपौतियां और बखशीसें की हैं उनको भी खलास किया जावे। अगर उनको खलास करें जिस तरह कि वर्माजी ने कहा कि ४७ के बाद जिन लोगों ने मकान बनाये वे उन्हें सम्पत्तिदान में दे दें। तो पहले इसको आप करके दिखाइये। कुछ आप करके दिखावेंगे तो हम भी मान लेंगे। एक तरफ तो नई नई जागीरें खड़ी कर रहे हैं। सबको अपनी अपनी पार्टी वालों को जयपुर में नये नये प्लाट दे दिये हैं। जिन पर बंगले और कोठियां खड़ी हो रही हैं और फार्म खुल रहे हैं। पहले इसको तो खतम कर लो। एक तरफ तो ये नई नई जागीरें और बखशीसें आप पनपा रहे हैं (घंटी) और दूसरी तरफ हमें कहते हैं तो ये दुतरफा बातें देखकर हमें अफसोस होता है। कहते हैं वे तो नई जागीरें होंगी और हम कहते हैं तो कहते हैं, बैठ जाइये। इससे बढ़कर शर्म की बात क्या होगी। अब ये लाख लाख के बंगले कहां से आ गये। हमारी जागीरें सारी काट काट कर ले गये और दूसरी तरफ नई नई जागीरें और बखशीसें आप कायम कर रहें हैं और अब ये बखशीसें और बपौतियां भी आपको नहीं सुहाई उन पर भी हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इन नई नई बखशीसों पर हाथ साफ करिये न। ये तो रिश्वतों से बनी हैं यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जब कि वे पुरानी बखशीसें या बपौतियां तो हमने अपना खून बहाकर प्राप्त की हैं, हमारे बुजुर्गों ने देश के लिये और प्रान्त के लिए अपने सिर दिये हैं। ये तो सरासर रिश्वतों से खड़ी की गई बखशीसें और बपौतियां हैं। पहले आप इन को खतम करो। इसलिये मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को पारित नहीं किया जावे। और अगर किया जावे तो इन लम्बी लम्बी रिश्वतें खाने वालों के बंगलों को भी खतम किया जावे।

श्री भैंरू सिंह (१६)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय.......

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—No general debate

श्री भैंरू सिंह—मुझे सुनिये तो सही साहब, जनरल डिबेट कर रहा हूं या क्या कह रहा हूं ? बिल को पास नहीं किया जावे····

श्री उपाध्यक्ष—यह तो कह चुके हैं आप ।

श्री भैंरू सिंह—दुबारा भी कहने का अधिकार है । इसके कुछ कारण हैं और उन पर ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—पहले ध्यान में नहीं लाये ?

श्री भैंरू सिंह—ध्यान में तो लाया पर ध्यान में आया नहीं है तो यह मेरी गलती नहीं है । सारी दलीलें उन्होंने रिजेक्ट कर दी हैं तो अब मैं एक नई दलील और दे दूं और वह तो लास्ट है । इस बिल को पास नहीं किया जावे, यह मेरा मत है और वह मत क्यों है माननीय उपाध्यक्ष, यह मैं बताता हूं । जो संशोधन किया जा रहा है यदि उसकी भाषा पढ़कर सुनाऊं तो इसमें वाकई में ऐसा दिखता है जिसके कारण मैं समझता हूं कि सदन मेरी बात को एप्रीशियेट करते हुए इस बिल को पास नहीं करेगा ।

क्लॉज (२) में जो संशोधन किया जा रहा है इसमें वह है—

"राजस्थान लैंण्ड रिफोर्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स एक्ट, १९५२ ।"

जो इसमें आगे मूल एक्ट में निर्दिष्ट किया गया है । शिड्यूल में, मद संख्या ४२ के पश्चात् निम्नलिखित निवेशित की जावेगी और जो सदैव ही निवेशित की हुई समझी जावेगी :

'Bapoti, Bakshish or any oth॰r class of tanure state grant of land'

माननीय उपाध्यक्ष, दिक्कत इस बात की है कि हम इस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं । अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम जिस कानून के द्वारा जिन तीनों जागीरों को इस शिड्यूल में शामिल करके हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि शामिल तो आज करते हैं पर शामिल की हुई समझी जावेगी सन् ५२ से । अब यह सोचना पड़ेगा कि ५२ से लेकर सन् ५६ तक जो हमने नोटिफिकेशन्स इस्यू किये हैं और जो एक्ट में व्यवस्था की है कि इस बिल के मातहत अमुक तारीख

[श्री भैरूं सिंह]

कि अगर किसी को खुदकाश्त के लिये जमीन की जरूरत हो तो दरख्वास्त दो, किसी जागीर में कोई मुलाजिम है तो अपनी मुलाजमत के लिये फलां तारीख तक दरख्वास्त दो, कोई पेन्शन होल्डर है तो अमुक तारीख तक वह दरख्वास्त दे, अगर किसी को कम्पेन्सेशन के लिये दरख्वास्त देनी हो तो वह दे। तो अब जिनको खुदकाश्त के लिये नौकरी के लिये या पेन्शन के लिये दरख्वास्त देनी हैं पर तारीखें चूंकि उस नोटिफिकेशन के मातहत निकल गई हैं तो उनका क्या होगा ? जिनको खुद काश्त की जमीन लेनी है उनका क्या हाल होगा ? उत्तर मिलेगा कि इसमें यह भी व्यवस्था कर रखी है कि जिस वक्त जागीर का रिजम्पशन हो तीन महीने के अन्दर अन्दर वह ऐसा करे या ३१ दिसम्बर, ५५ तक ऐसा करें। ३१ दिसम्बर, ५५ का तो आल्टरनेट निकल गया। अब दूसरा आल्टरनेट रहता है। पर उस बीच में कोई बपौती की या बख्शीस की कोई जागीर उस केटेगरी में शामिल होती है जिसको हमने समाप्त कर दिया था तो ओटोमेटिकली ये जागीरें शुमार की जावेंगी और इसलिये इन लोगों को अधिकार है दरख्वास्त पेश करने की खुदकाश्त की जमीन लेने के बारे में, मुलाजमत के बारेमें और पेन्शन के बारे में, वह छीनलिये जावेंगे। इसलिये निवेदन करूंगा कि हम कानून बना रहे हैं रिट्रोस्पैक्टिव इफेक्ट से इसे लागू करने क, पर इसके एम्पलीकेशन्स भी देखने होंगे।

इतना ही नहीं, मियाद की भी दिक्कत आवेगी। आपने नोटिफिकेशन्स इस्यू किये हैं जिसके द्वारा हमने तारीखें निश्चित कर दी हैं कम्पेन्सेशन का क्लेम सबमिट करने के बारे में तो वह उस तारीख तक जिस तारीख की मियाद है कम्पेन्सेशन का, फार्म सबमिट कर, पर यदि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से खतम करने की व्यवस्था जिस नोटिफिकेशन से अमुक आमदनी की जागीर खतम हो जावेगी उनके बाद यदि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको मानें, तो उनका यह हक भी छिन जावेगा जो उनको मिलना चाहिये था आज। और जो अधिकार अब इस कानून के अन्दर दे सकते थे आज से इसको लागू माना जाकर। पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर तो इन बातों के सम्बन्ध में हम उनके साथ अन्याय ही करेंगे। मेरी समझ में यह नहीं आया कि इसको नये सिरे की चीज क्यों नहीं माना गया ? रिट्रोस्पेक्टिव से ही मानने से कौन सी इनकी दुविधायें दूर हो जावेंगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। दुविधायें दूर करने के स्थान पर आप मोल ले रहे हैं इससे तो। आप कहेंगे कि बपौती वाली और बख्शीस वाली जागीरें हैं कितनी ? ठीक है ये कम होंगी ऐसा कह सकते हैं, पर तीसरी प्रकार की जागीरें भी आपने और रक्खी हैं जिसके लिये आपने जिक्र किया है या इस प्रकार की अन्य जागीरें। इसका अगर स्पष्टीकरण नहीं होगा, लोगों के सामने स्पष्ट चित्र के अभाव में धोखा रहेगा और इसके कारण वह कभी भी ऐसा नहीं सोच सकेंगे कि यह नोटिफिकेशन हमारे लिये इस्यू हुआ है या नहीं, खुदकाश्त के लिये दरख्वास्त दिलानी है या नहीं, यह कम्पेन्सेशन के लिये दरख्वास्त देनी हैं या नहीं, तो यह धोखा रहेगा।

हमने एक बतीरा बना लिया है जागीरदारों को उखाड़ कर फेंकने का। इस बतीरे से कोई समाज का भला है या देश का भला है, ऐसा मेरी समझ मे नहीं आता। यह मैं

[श्री भैरूंसिंह]

इसलिये नहीं कह रहा हूं कि आजतक हमने अनुभव कर लिया है इस बात का पर बात बात में हम लोगों ने इसको इस अन्याय को बर्दाश्त किया है । इस तरह से करके वे हम लोगों के साथ कोई न्याय नहीं कर रहे हैं और देश के साथ भी कोई न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं इन चीजों को दोहराना चाहता नहीं, पर इस बात के पक्ष में विश्व के माने हुये नेता की बात सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे आपको पता लग जावेगा कि इन जागीर के सम्बन्ध में, इन इन्डस्ट्रीज़ को, प्राइवेट एन्टरप्राइज के सम्बन्ध में किस प्रकार की नीति रही है और यदि मैं यह कहूँ कि वह अमेरिका का इब्राहीम लिंकन था जिनकी बात के उल्लेख में सदन में करना चाहूंगा तो उचित होगा । बड़ी मेहनत के बाद में इस पेरेग्राफ को निकाल पाया हूँ । में चाहता हूँ कि उन लोगों की जानकारी के लिये जो जागीरदारों को हर प्रकार से नुकसान पहुँचाने के लिये आमादा हो रहे हैं, मैं इसे यहां उपस्थित करूं । अगर इस पेरेग्राफ को वे ध्यान से पढ़ेंगे और उसका मनन करेंगे तो उनके मस्तिष्क में मैं मानता हूं कि एक अच्छे प्रकार का सुधार हो सकेगा । उन्होंने कहा है कि ।

(भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ)

"Property is the fruit of labour. Property is desirable. It is a positive good........."

(अश्रव्य)

"Some should be rich shows that others may become rich. Hence it is just to encourage industries and enterprises."

फिर आगे कहा है । .

"Let him not, who is house-less, pull down the house of another.

(अश्रव्य)

Let him work deligently,

(अश्रव्य)

So that his own shall be saved from violence and......."

माननीय उपाध्यक्ष, वह चीज आज हमारे सामने आई है । हम यह चाहते हैं कि जागीरदार को तबाह कर दो । हम यह चाहते हैं कि जागीरदारों के जो भी जीवन निर्वाह के साधन हैं उनको नष्ट भ्रष्ट कर दें, उनकी प्रोपर्टी को बिलकुल समाप्त कर दें और वह भी इसलिये कि हम प्रोग्रेसिव कहलाते हैं । मैं मानता हूं कि आज के युग में किसी भी प्रकार का एक्सप्लाइटेशन नहीं चलने वाला है । अगर यह जागीरदारों की संस्था एक्सप्लोइटेशन के आधार पर बनी है तो निश्चित रूप से समाप्त होनी चाहिये और समाप्त होगी । पर केवल यह भावना रखना कि उनके जीवन साधन भी समाप्त कर दिये जायं और पूरा पूरा बदला लिया जाय, यह न्याय संगत नहीं होगा । वे दूसरा घर बना नहीं सकें, यह सोचना अन्याय होगा । उस घर को तबाह करने से पूर्व दूसरों के घर भी उस तरह से बनाओ डवलपमेन्ट में लाकर छोड़ो तो उचित होगा । घर से मतलब मेरा जागीरों से नहीं है, धन्धे से है, जीने के अधिकार से है, सुख सुविधाएं जो उनको मिल सकती हैं उनसे हैं । जागीरों का मतलब लेकर तोड़मरोड़ कर समझने की आवश्यकता नहीं है ।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जागीरदारों के प्रति जो नीति अपनाई गई है वह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है । आज आप कह सकते हैं कि रिजम्पशन का जिस प्रकार का कानून

[श्री भैरू सिंह]

बनाया गया है उस कानून से चाहा गया कि जागीरों को खत्म करना है। यह हमारी रियायत है कि हमने मुआवजा दिया है, यह हमारी रियायत है कि हमने रिहेबिलिटेशन करने का प्रयत्न किया है। मैंने इस सदन में एक बार कहा था कि मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं है। आज भी कहता हूं कि मुआवजा नहीं दिया जाय। यह अवश्य हो कि जिन लोगों की जागीरें ले रहे हैं उन लोगों के पुनर्वास की जिम्मेदारी यह उनको अपने ऊपर लें। उनको पुनर्वास किस प्रकार से हो सके, इस बात की जिम्मेवारी अपने ऊपर लें। कम्पेन्सेशन आज भी उनका जमा हुआ है। उन जागीरदारों को जितनी भी स्वतन्त्रता मिल सकती थी, उस स्वतंत्रता के ऊपर एक प्रकार से आघात होगा। आज बड़े जागीरदार कई डरे हुए हैं। वे भूस्वामियों में जाकर बैठने से डरते हैं कि कहीं कोई जाकर मिनिस्टर महोदय से न कह दे कि फलां जागीरदार भूस्वामियों के अन्दर बैठा था, छोटे जागीरदारों से बात कर रहा था तो बहुत मुमकिन है कि कम्पेन्सेशन बन्द कर दिया जायगा, कम्पेन्सेशन देर से मिलेगा। एग्रिकलचर इनकम टेक्स का जो बार बार एड्जर्नमेंट मिलता है वह एड्जर्नमेंट नहीं मिलेगा। वे डर कर आज जकड़े हुए हैं बेड़ियों के अन्दर। आज जो नये प्रकार का सरकार का तैयार किया हुआ ढांचा है उसमें अपने आपको फंसाये हुए हैं। किसी भी समय सरकार के लिए यह आवश्यक होता है कि जिन लोगों को उनके जीवन निर्वाह के साधनों से अलग किया है उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। बदकिस्मती से यदि यह कहूं कि राजस्थान सरकार इस काम में असफल हुई है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इतना कह कर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने वाकई में सेवा की है। वह वाकई में सेवा कर रही है। पुराने जागीरदारों को मिटाकर नये जागीरदारों को बनाने में। इस सदन में पहले भी कई बार उल्लेख आया है कि नये जागीरदार कई सरकार बना रही है। यदि यह कहूं कि नये जागीरदार बनाने में आपका कोई भी विशेष प्रकार का भला होगा ऐसी बात नहीं है। नये जागीरदारों के रूप में वे लोग आज दूसरे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि आपके तख्ते को उलटें। तख्ता उलटने के लिए षडयन्त्र करें। आपको हर ताकत से मिटा सकने का प्रयत्न करें। आज आप इस तरह के गलत काम करेंगे तो लोग दूसरी तरह की प्रेरणा लेंगे आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छी प्रेरणा लेंगे। गलती पर गलती किये जा रहे हैं। एक गलती को रिपीट किये जा रहे हैं तो सरकार के प्रति विद्रोह करें, इस सरकार को खोखला करने के लिए गन्दे से गन्दे तरीके अपनायें तो अपनाने की इसकी जिम्मेदारी दूसरे व्यक्तियों पर नहीं है। गन्दी कार्यवाही करना लोगों को इस प्रेरणा देने वाली चीज है। गन्दी कार्यवाही करेंगे तो गन्दी प्रेरणा मिलेगी लोगों को (घंटी) चाहे सरकार बुरा समझे या भला।

अब यह कहकर इतना अवश्य कहूँगा कि सरकार अपने एटीच्यूड को बदल दे। अगर आप यह समझते हैं कि फौज और पुलिस हमारे पास है उससे हम जागीरदारों को तबाह कर देगें। तीन हजार लोगों को जेल में रखकर आप यह समझते हैं कि उनकी आवाज को बन्द कर देगें तो यह आवाज हृदय से निकली है, (घण्टी) भूखे पेट से निकल रही है, भूखे पेट वालों के नुमायन्दों की है। पेट के अन्दर खाना पीना नहीं होगा तो फौज और पुलिस बेकार होगे। कल जो गिरफ्तारियां की हैं

[श्री भैरूंसिंह]

वे बेकार हुई हैं। परसों जो गिरफ्तारियां की हैं (घंटी) यह ताकत बेकार हुई है, आज जब भूखे पेट वालों को बाहर निकाल दिया है तो वह ताकत (घंटी) बेकार गई। इस तरह की कोई ताकत से भला हो सकेगा समाज का। राजपूत कोई आपके दुश्मन नहीं हैं। वे इस समाज के अंग हैं।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—यह इस बात से रिलेवेन्ट नही है।

श्री भैरूंसिंह—यह बिल्कुल रिलेवेन्ट है इर्रिलेवेन्ट कैसे है?

श्री उपाध्यक्ष—इससे कन्सर्न्ड बात नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—बिल्कुल कन्सर्न्ड की बात है। बपौती और बख्शीश, इन दो प्रकार की जागीरों पर भी जागीर रिजम्पशन एक्ट लागू होगा। तो वह कानून लागू होगा जिससे कई लोग बेघर-बार किये गये हैं।

(घण्टी)

मैं चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस पर बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष—सारा डिसक्शन जनरल पोलिसी के बारे में नहीं होना चाहिए।

श्री भैरूंसिंह—मैं यह अर्ज करूंगा कि यदि मैं जनरल पालिसी पर डिसक्शन कर रहा हूँ, तो भी वह रेलेवेन्ट है। यदि नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप अपना अच्छा एटीट्यूड अपना कर चलें। हमारे सामने जितनी भी कठिनाइयां आई हैं उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए चेष्टा करें। उन कठिनाइयों को ईमानदारी से दूर करने की चेष्टा करें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि राजस्थान में किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं होगा। आज आप इस तरह से सोचें कि हम लोग बहुमत में हैं, बाई इलेक्शन जीते हैं, तो इन चीजों से ताकत का अन्दाजा नहीं लगता है। ताकत का अन्दाजा लगाना है तो ग्रामीणों के पास जाकर देखें कि विधान सभा के बारे में और राजस्थान सरकार के बारे में (घंटी) क्या श्रद्धा है, उस श्रद्धा से लगायेंगे (घंटी) यह इसलिए कह रहा हूँ, माननीय उपाध्यक्ष जी, लेकिन घन्टी का मतलब समझ में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष—इस घंटी का कन्सर्न यह है कि इस बात का कन्सर्न इस बिल से नहीं है। वह जनरल भाषण नहीं है। इससे ताल्लुक की बात करिये।

श्री भैरूंसिंह—हरेक का मौका आता है। जागीर रिजम्पशन एक्ट के वक्त भी मौका आया था और शहर में अब भी मौका आ रहा है। भूस्वामियों का सत्याग्रह.......

श्री उपाध्यक्ष—वह आप अलग से मोशन लाकर करें।

श्री भैरूं सिंह—(जारी) माननीय उपाध्यक्ष, काफी कोशिश की है। आता है, मिनिस्टर महोदय जवाब नहीं देते हैं। जो कुछ अपार्चुनिटी मिलती है, वह इस बिल पर बहस करने के लिए, वह मैं समझता हूँ रेलेवेन्ट है। इसके आधार पर वह अपार्चुनिटी एवेल होनी चाहिए जो कि अपार्चुनिटी मिली है। (घंटी)

दो मिनिट और चाहिए इस अपार्चुनिटी को एवेल करने के लिए।

मैं समझता हूं कि जो कुछ बातें हमने सदन में कही हैं उनसे चाहे मंत्रीजी व नेता किसी प्रकार की मन में शर्म महसूस करते होंगे, करनी भी चाहिए, यदि वे शर्म को महसूस करके इसमें कोई एडजस्टमेंट, नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हरेक में यह चीज बनी रहे कि कायदों को इम्प्लीमेंट करने में वर्ग की भावना, पोलिटिकल पार्टी की भावना, नेता होने की भावना राजपूत होने की भावना, उनसे काम न लें क्यों कि इस प्रकार की भावना जो है वह गड़बड़ पैदा करती है। वह गड़बड़ नहीं हो। यह मेरा केवल माननीय मन्त्रीजी से ही अनुरोध नहीं है, बल्कि सरकार के उत्तरदायी पद पर काम करने वाले जो हैं उन सब व्यक्तियों से है जो कि जागीर रिजम्शनमें यह चीज जोड़कर कानून बना रहे हैं और उस कानून पर अमल करा जाय तो निवेदन करूंगा कि जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ है इस सदन में, वह उस सारे के सारे को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जायगा तो वह बिल्कुल न्यायसंगत चीज नहीं है, क्यों कि इससे हम कई कम्प्लीकेशन्स पैदा करने वाले हैं और कम्प्लीकेशन्स को दूर करने के लिए फिर भी एक एमेन्डमेंट आयेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दुबारा एमेंडमेंट आये या नहीं आये उसके पहले पहल इस विधेयक को सुधार लें और बाद में इस कानून को पास कर दें तो ज्यादा उचित होगा। मेरी दृष्टि में वह अभी तक कम्प्लीकेशन्स पैदा करने वाला है। इसलिए सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस कानून को पास नहीं करे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, जैसे दो भाषण हम थर्ड रीडिंग में माननीय दांता रामगढ से आये हुए सदस्य और जमुआ रामगढ से आये हुए माननीय सदस्य ने किये हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता और न कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि उसका कारण यह है कि उन्होंने खुद ही साबित कर दिया है कि वे भाषण क्यों और किस प्रकार, किस कारण और उद्देश्य से दे रहे हैं ? मगर मैं यह जरूर अर्ज़ करना चाहता हूं उन्होंने यह बताया कि क्लॉज सेकन्ड को रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा रहा है तो इससे कोई खास फर्क या खास नुकसान जागीर सरविसेज पर या उनके कम्पेन्सेशन क्लेम्स की तारीख पर या खास तौर से दरख्वास्तों की तारीख मुकर्रर होने के अन्दर फर्क पड़ने वाला हो, यह बात नहीं है। इस प्रकार के नियम सरविसेज के रिक्रूटमेंट के बनाये गये हैं, उसमें तारीख मुकर्रर की गई थी कि फलां तारीख तक अमुक जागीरदार के मुलाजिम जो राज्य की नौकरी करना चाहते हों वे दरख्वास्त देदें मगर जिस प्रकार की यह बपौती और बख्शीश की जागीरें है इसमें अगर इसी वजह से आगे जाकर तरमीम होगी तो रूल्स को एमेन्ड करने की आवश्यकता हुई तो, माननीय उपाध्यक्ष, उसको एमेन्ड

Page No 88

[श्री दामोदरलाल व्यास]

किया जायगा, महज इसलिये कि इन दो तरह की जागीरों को भी डेफिनिशन में शरीक करने से अगर किसी जागीरदार के मुलाजिम का कोई खास नुकसान होगा तो रूल्स को एमेन्ड करने में ऐजिटेशन नहीं होगा। आवश्यकता के मुताबिक एमेंडमेंट कर दिया जायगा।

आवश्यकता के माफिक उसको अमेन्ड कर दिया जावेगा। बाकी जो बातें उन्होंने कहीं हैं वे खुद कहें, कुछ शहर में यह हो रहा है, वह हो रहा है, प्रोपेगन्डा हो रहा है, उन पर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सरकार की नीति बता दी है और स्पष्ट कर दिया है। मैं समझता हूं कि इसको पारित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एण्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (थर्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५९ पारित हो?

(मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री मान सिंह महार—Noes have it, sir.

एक माननीय सदस्य—Ayes have it, sir.

श्री मान सिंह महार—Noes have it, sir.

श्री उपाध्यक्ष—Show of hands.

श्री मानसिंह महार—डिवीजन बेल को रिंग करिये।

(मत विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जागीर रिजम्प्शन के बारे में थर्ड अमेन्डमेन्ट बिल पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

बिल पारित हुआ।

(राज्य पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

राजस्थान पब्लिक डिमाण्डस रिकवरी (संशोधन) विधेयक, १९५६

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री रामकिशोर व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी (संशोधन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया गया।

श्री रामकिशोर व्यास—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह अमेन्डमेन्ट बिल पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

बिल पारित हुआ।

राजस्थान अभ्यस्त अपराधी (संशोधन) विधेयक, १९५६

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री रामकिशोर व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान हेबिचुअल ओफेन्डर्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान हेबिचुअल ओफेन्डर्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५६ विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया गया।

श्री रामकिशोर व्यास—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह कि यह बिल पारित किया जावे ?

(स्वीकृत)

बिल पारित हुआ।

राजस्थान बन्दी अभिज्ञान विधेयक, १९५६

विचार-विमर्श एवं पारित

श्री रामकिशोर व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान बंदी अभिज्ञान बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान आइडेन्टीफिकेशन ऑफ प्रिज़नर्स बिल, १९५६ विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया गया।

श्री रामकिशोर व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाय

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस बिल को पारित किया जावे ?

(स्वीकृत)

बिल पारित हुआ।

राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज विधेयक, १६५४

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ बिल के पांच खण्ड हो गये हैं। अब उसके आगे विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज ६। इस पर अमेन्डमेन्ट नहीं हैं और क्लाज ७ पर भी अमेन्डमेंट नहीं है। प्रश्न यह है कि खण्ड ६ और ७ विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

खण्ड ६ व ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड ८

(विराम)

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना अमेन्डमेंट मूव नहीं करना चाहता

श्री उपाध्यक्ष—The Question is that clause 8 stand part of the bill.

(स्वीकृत)

Clause 8 is added to the bill

(विराम)

क्लॉजेज़ ६, १०, ११ और १२ में कोई अमेन्डमेन्ट नहीं हैं।

(विराम)

प्रश्न यह है कि ये चारों क्लॉजेज़ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ९, १०, ११ व १२ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज १३

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ १३ में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है : "Substitute the following Clause for clause 13:-

"(1) For purposes of elections to a board there shall be wards provided by order under section 13 A.

(2) The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census and shall, as far as possible, be in the same proportion as the total number of seets for the municipality and its population."

उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा क्लॉज १३ को यदि पढ़ें तो इसमें इस तरह बताया गया

"The State Government may by order published in the Rajasthan Gazette:

(a) divide each municipality into wards"

वगैरह वगैरह, ये बातें दी गई हैं। जहां तक जो मौजूदा धारा इस बिल में है उसका ताल्लुक है, इसमें सरकार ने अपने अधिकार में इस बात को रखा है कि यदि सरकार चाहे तो वार्ड्स बना सकती हैं। इसमें यह लाजमी बात नहीं है कि म्यूनिसिपेलिटी के वार्डस हों ही। मैंने जो अपनी ओर से संशोधन रखा है -उसका मतलब यह है कि वार्ड्स म्युनिसिपेलिटीज के चुनाव के लिये होने चाहिये लाजमी तौर से। इसके बारे में मैं शब्द जो इस्तेमाल किया है उसके स्थान पर मैंने 'शैल' शब्द होना चाहिये ऐसा कहा है। यदि मौजूदा धारा रखी जाय तो उसमें यह बात आती है कि सरकार यदि चाहे कि अमुक स्थान पर वार्ड्स बनाने हैं तो बनायेगी और नहीं बनाने हैं तो नहीं बनायेगी। इसका नतीजा यह होगा कि जो इलेक्शन सही और सच्चा होना चाहिये वह नहीं हो सकेगा और गड़बड़ियां होंगी यह पहली बात है।

दूसरी बात यह है कि जहां इस तरह के वार्डस नहीं बनाने का अधिकारियों ने निश्चय किया तो वहां के वोटर्स हैं वे सही माने में वोट्स नहीं दे सकेंगे यह भी कठिनाई सामने आ सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं यह कहूँगा कि सरवाड़ म्युनिसिपेलिटी के पिछले चुनाव जब हुए तब वार्ड्स नहीं थे। वहां जितनी सीट्स थीं उतने आदमियों का चुनाव सब को करना था और सब

[श्री चांदमल मेहता]

को वोट्स देने थे। लेकिन नोमिनेशन पेपर्स भर दिये। कुल ८ सीट्स थीं किंतु चुनाव लड़ने वाले २५, ३० आदमी हो गये। वोटर्स इतने कम पढ़े लिखे थे कि वे नाम नहीं पढ़ सकते थे इसलिए उनके लिए यह कठिन होगया है कि कैसे वोट दें। उनके लिए इतने आदमियों के निशान याद रखना भी मुश्किल हो गया इसलिये वे सही वोट नहीं दे सके। यह सब देखते हुए यह जरूरी है कि म्युनिसिपेलिटीज को वार्ड्स में विभाजित करना चाहिये।

दूसरी कमी यह है कि सरकार चाहे तो वार्ड्स बना सकती है लेकिन जब वार्ड्स बनायेगी तो नोटिस निकलेगा या नहीं या जैसी मर्जी होगी वैसा ही किया जायगा, इस तरह की धारा इस बिल में नहीं है। पंचायतों के चुनाव का उदाहरण हमारे सामने है। वहां पर किस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। यह जरूरी है कि वार्ड्स बनाने से पहले वोटर्स को मौका दें कि वे आपत्तियां पेश कर सकें और फिर उन आपत्तियों पर विचार करके वार्डस बनायें, इसलिए मैंने धारा १३ ए. इसमें और जोड़ने का सुझाव रखा है जिसमें लिखा है कि नोटिस निकालने के बाद, ओब्जेक्शन्स, यदि कोई हों, उनको सुनने के बाद फिर वार्ड्स बनाये जावें। तो धारा १३ में जो संशोधन किया वह इसलिए कि लाजमी तौर से वार्डस बनें और १३ ए. इसलिए जोड़ने को कहा कि वार्ड्स बनाने से पहले नोटिस निकाला जाय और ओब्जेक्शन्स सुनने के बाद वार्डस फाइनली बनाये जावें, मैं आशा करता हूँ कि मंत्रीजी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

भैंरूसिंह (वि·सं.१६)—उपाध्यक्ष महोदय, धारा १३ में यह व्यवस्था आई है कि जिन कस्बों को म्युनिसिपल टाउन्स घोषित करेंगे उन कस्बों में यदि चुनाव कराने की आवश्यकता हुई या होगी तो इन कस्बों के नाम सरकार गजट में पब्लिश कराकर वार्ड्स में विभाजित करेगी और हर एक वार्ड का एरिया घोषित किया जायगा और हर वार्ड से कितने व्यक्तियों का चुनाव होगा इसका भी उल्लेख होगा और आगे चल कर यह भी कहा गया है कि इसमें इस बात का भी उल्लेख किया जायगा कि शिड्यूल कास्ट की जितनी सीट्स रिजर्व हैं उन रिजर्व सीट्स का इलेक्शन कौन से वार्ड से होगा? उपाध्यक्ष महोदय, देखने में बात उचित मालूम होती है कि हमें किसी म्युनिसिपेलिटी का इलेक्शन करना है तो उस म्युनिसिपेलिटी को वार्ड्स में तकसीम करें लेकिन जहां वार्ड्स में तकसीम करने के बाद हम इलेक्शन को सीधा और सहूलियत वाला बनाना चाहते हैं वहां हम एक भूल कर रहे हैं और वह भूल है वार्ड्स को सिंगल मेम्बर वार्ड्स नहीं बनाने की। हमारे सामने यह अनुभव आया है कि जहां सरकार ऐसा देखती है कि हमारा दल यदि सिंगल मेम्बर कांस्टिट्यूएन्सी से जीतता है तो उस तरह का नोटिफिकेशन शाया किया जायगा और जहां पता चलता है कि यदि सिंगल वार्ड बने तो हमारे दल के लोग हारेंगे तो सिंगल मेम्बर वार्ड नहीं बनाये जायेंगे। आज से तीन चार दिन पूर्व जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल के सम्बन्ध में नोटिफिकेशन शाया हुआ है उसके अनुसार पता चलता है कि यहां सिंगल मेम्बर कांस्टिट्युएन्सीज नहीं बनाई गई हैं। जयपुर की जनता ने एक बार वर्तमान सरकार के स्वायत्त शासन मन्त्रीजी से और भूतपूर्व सरकार के स्वायत्त शासन मन्त्रीजी से और पहले के मंत्रीजी से इस बारे में कहा और कई बार आवेदन पत्र दिये कि जयपुर में सिंगल मेम्बर्स वार्ड्स बनाये जायं

[श्री भैरूं सिंह]

और उसके बाद में इलेक्शन कराया जाय। अभी मन्त्रीजी चाहे ध्यान से नहीं सुन रहे हैं लेकिन उन्होंने एक डेपुटेशन का उल्लेख किया था और कहा था कि उनकी स्वयं की इच्छा है कि सिंगल वार्ड्स बनाकर चुनाव करावें। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति हमारे सामने आई वह और ही तरह की व्यवस्था आई है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और पंचायतों के चुनाव के बारे में सदन में चर्चा आई और तहसील पंचायतों के चुनाव के बारे में भी चर्चा यहां पर आई लेकिन इन सारी चर्चाओं का आशय मैं निकाल पाया हूं, मैं अकेला ही नहीं बल्कि अधिकांश सदस्यों की राय है कि हम जिस वार्ड का इलेक्शन करावें उसमें एक ही व्यक्ति खड़ा होने वाला, सिंगल मेम्बर वार्ड हो और जो लोग ३, ४ मेम्बर्स, एक वार्ड बनने के कारण से नहीं आ सकते वे लोग भी म्युनिसिपेलिटी में आ सकें इसके लिये सिंगल मेम्बर वार्ड बनाने चाहिये। जो व्यवस्था अभी है वह अपर्याप्त है। इस व्यवस्था से जो लोग अनपढ़ हैं, लेकिन पोपुलर हैं, लेकिन जीत सकते हैं, लेकिन दूसरे हिस्सोंको शामिल कर देंगे और बड़े वार्ड बना देंगे और साथ ही साथ दूसरे लोगों से वोट लेने की इच्छा प्रकट करेंगे तो वे पोपुलर लोग जो सिंगल मेम्बर वार्ड से आ सकते थे, वे नहीं आ सकेंगे। इसके अलावा मैं जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल का नक्शा आपके सामने रखता हूं। जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल का इलेक्शन हुआ था। एक एक वार्ड से तीनतीन सदस्य चुने गये। लेकिन जब जनता की तरफ से म्युनिसिपेलिटी के बारे में शिकायत आती थी और उन मेम्बर्स को जाकर कहते थे तो हर वार्ड में तीन मेम्बर होने के कारण जब एक मेम्बर के पास जाकर कहा जाता तो वह कहता कि मेरे अकेले के पास क्यों आते हो, बाकी दो मेम्बर्स हैं उनके पास भी जाओ। जब दूसरे के पास जाते हो तो कहता है कि मैं तुम्हारे हित की ही बात करता हूँ लेकिन तुम बाकी दो मेम्बर्स हैं उनके भी पास जाओ। जब तीसरे के पास जाते तो वह कहता कि मैं अकेला ही नहीं हूँ, बाकी दो मेम्बर और भी हैं उनको जाकर भी कहो। और यह कहकर तीनोंके तीनों सदस्य अपनी जिम्मेदारीसे बचते हैं, जनताकी क्या मांग है वह नहीं रख सकते और फिर भी म्युनिसिपल इलेक्शन्स में खड़े हो कर आ जाते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं जयपुर की मिसाल सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। जयपुर में जिस तरह के वार्ड्स बने हैं, चाहे मन्त्री महोदय यह कहें कि अच्छे दृष्टिकोण से बनाये गये हैं पर जिन्होंने वार्ड्स का निर्माण कराया है वे जानते थे कि विरोधी दल से संख्या में वे कम है इस लिये विरोधी दल आयेगा बड़े बडे वार्डस बन गये तो विरोधी दल के लोगों की संख्या सामूहिक वार्ड में ज्यादा होती हैं और छोटे छोटे वार्ड्स बना दिये तो हमारे लोग जीतेंगे इस लिये तीन चार लोगों का उन वार्ड्स से चुनाव कराने की व्यवस्था की है, यह न्याय संगत नहीं है।

राजस्थान सरकार के लोकल डेवलपमेन्ट विभाग ने परिपत्र निकाला है और यह इन्स्ट्रक्शन्स रिटर्निंग ओफीसर्स को दिये हैं कि जिन कस्बों की संख्या १० हजार से ज्यादा नहीं है वहां सिंगल वार्ड बना कर चुनाव कराये जायं। सारे कस्बे को एक वार्ड नहीं माना। अलग अलग वार्ड्स बनाये तो अलग अलग वार्ड के कुछ ही व्यक्तियों के कुछ ही वोट्स को कोशिश करके अपनी ओर खींचना पड़ेगा। इसमें सरकार की मन्शा यह है कि सारे कस्बे का एक ही वार्ड बनाया जाय तो एक

[श्री भैंरूंसिंह]

व्यक्ति को सारे शहर में भ्रमण करके लोगों को अपनी तरफ खींच कर अपने पक्ष में वोट दिलाने में बहुत अधिक कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय वार्ड्स का जहां सवाल आये, जिस तरह विधान सभा के चुनाव होते हैं उसी तरह म्युनिसिपेलिटीज के इलेक्शन्स में भी उसी उसूल को स्वीकार किया जाय, उसी तरह की व्यवस्था पंचायतों के चुनाव में भी की है, एक मेम्बर के सिंगल वोट कान्स्टीट्युएन्सी की व्यवस्था की है, ठीक समझकर पंचायतों में की, उसी प्रकार की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट्स बोर्ड्स में हुई उस वक्त भी यह कहा कि एक आदमी के लिये एक वार्ड बना रहे, सिंगल वोट कान्स्टीट्युएन्सी रहे। सिलेक्ट कमेटीने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें भी यह बात कही है कि लोगों के मत का ठीक उपयोग हो, इस लिये सिंगल वोट के वार्ड्स बनायें। ऐसी सूरत में म्युनिसिपेलिटीज में भी इसी प्रकार की व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती। इस क्लॉज १३ में है:

"The state Government may by order published in the Rajasthan Gazette:—

(a) divide each municipality into wards for purposes of elections to the board;"

इस चीज में यह स्पष्ट नहीं कि वार्ड्स सिंगल, डबल या दो से ज्यादा लोगों के लिये भी वार्ड्स बन सकते हैं। मैंने पिछले सेशन में अमेंडमेंट प्रस्तुत किया था, इसलिये वह लेप्स हो गया। मुझे आशा थी कि वह आयेगा, पर आया नहीं। आयन्दा कोई संशोधन लाकर इस धारा को सुधारा जाय, और अगर इसे सुधारने की इच्छा हो तो इसे डेफर कर दिया जाय। या उचित समझें तो माननीय मन्त्रीजी स्वयं अपनी ओर से संशोधन प्रस्तुत कर दें। मैं इतना संशोधन चाहूँगा:

(a) divide each municipality into single member wards for purposes of elections to the board;"

यह मेरा संशोधन आवश्यक है, इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर माननीय मन्त्री आपत्ति न करें तो मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। इस संशोधन के बिना इस धारा को स्वीकार किया जाता है तो अनुचित होगा। सरकार की डिफिकल्टी को एप्रीशियेट करते हुए संशोधन के अभाव में भी जो हमारी भावना है उसको इस धारा में इन्कोरपोरेट करने के लिये इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे, यह मुझे आशा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष, क्लाज १३ में जो अमेन्डमेन्ट श्रीचांदमलजी ने रखा है व जो बातें उन्होंने रखी हैं उनको आज तक मानते चले आये हैं। कोई जगह पर छोटी म्युनिसिपेलिटी होती है, इस लिये वार्ड नहीं बनाते हैं। इस लिये उन्होंने जो अमेंडमेंट रखा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं और अगर वे चाहेंगे कि एक्टमें प्रोवाइड कर दिया जाय, तो इसमें प्रोवाइड कर दिया जायगा इसमें कोई आपत्ति नहीं है इस लिये मैं उनके अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करता हूं।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जबानी अमेन्डमेन्ट मूव किया है उसे स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ। जयपुर के बारे में उन्होंने कहा। वार्ड्स बनाने में डिस्प्यूट था इस लिये यह रखा कि पहले जिस तरह वार्ड्स थे वैसे बना कर.......

श्री भैंरू सिंह—सिंगल मेम्बर वार्ड कान्स्टीट्युएन्सी बनाने में आपको क्या दिक्कत है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अब यह खयाल करना कि विशेष प्रकार के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिये वार्ड बनाये जा रहे हैं, यह इस सदन में कहना अनुचित है, बहुत सी जगह सिंगल मेम्बर वार्ड छोटे हो जाते हैं।........

श्री भैंरू सिंह—पंचायतों में इससे भी छोटे वार्ड बन जाते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस लिए मैं समझता हूं कि न तो ऐसा कोई अमेन्डमेन्ट आया है। और न इसके स्वीकार करने का ही सवाल पैदा होता है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता का अमेंडमेंट आप स्वीकार करते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी हां।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो अमेंडमेंट श्री चांदमल मेहता ने क्लाज १३ पर प्रस्तुत किया है। उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ १३ संशोधनानुसार विधेयक का अंग बने।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता। खण्ड १३, संशोधनानुसार विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

श्री भैंरू सिंह—(दांता रामगढ़) माननीय उपाध्यक्ष, ना पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष—अमेंडमेंट स्वीकार हो गया है, चांदमल जी मेहता का अमेंडमेंट पास हो गया है, अभी क्लॉज़ १३ भी, एज सब्स्टीट्यूटेड, पास हो गया है।

श्री भैरूंसिंह—अमेंडमेंट तो पास हो गया, लेकिन यह क्लॉज पास हुआ न समझा जाय माननीय उपाध्यक्ष, क्योंकि 'ना' पक्ष जीता है, 'हां' तो कोई बोला ही नहीं।....

श्री उपाध्यक्ष—इसको आप चाहते हैं ?

श्री भैरूंसिंह—दूसरे चाहें या न चाहें इससे कोई मतलब नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज १३ एज सबस्टीट्यूटेड विधेयक का अंग बने।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री भैरूंसिंह—ना पक्ष जीता।

(तदुपरांत खड़े होकर मत प्राप्त होने पर, सब्स्टीट्यूटेड पास किया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, वक्त हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—अभी थोड़ी देर और चलेगी।

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

"Add a new clause as clause 13A after clause 13:—

'(1) The State Government shall by order, determine—

(a) the wards in which each municipality shall be divided for purpose of elections to the Board;

(b) the extent of each ward;

(c) the number of seats allotted to each ward; and

(d) the number of seats, if any, reserved for the scheduled castes.

(2) The draft of the order under sub-section (1) shall be published for objection for a period of not less than fifteen days and a copy of the same shall be sent to the Board or Boards concerned for comments.

[श्री चांदमल मेहता]

(3) The State Government shall, consider any objection and the comments filed under sub-section (2) and the draft order shall, if necessary, be amended, altered or modified accordingly and thereupon it shall become final."

माननीय उपाध्यक्ष, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था, यह १३(ए) मैंने एड की है इसमें कुछ बातें वही हैं जो १३ में थी। जैसे कि वार्ड के बारे में जल्दी से जल्दी तय करना और दूसरी बातें तय करने के लिये इसका प्रोविजन किया जावेगा। जिससे जो आपत्तियां होंगी उन पर विचार किया जावेगा और फिर वह फाइनल होगी। मैं समझता हूं कि धारा १३ पर मेरा एमेन्डमेंट स्वीकार कर लिया गया है। वही इसको गाइड करता है और मैं आशा करता हूँ कि १३ (ए) मान लिया जावेगा। इसलिये ज्यादा कहने की जरुरत नहीं समझता हूं।

श्री बद्री प्रसाद—माननीय उपाध्यक्ष, क्लाज १३ और १३(ए) में एक ही चीज है इसलिय मुझे इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा १३(ए) जो श्री चांदमल ने रखी है वह विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १३(ए) विधेयक में अंग रुप से जोडा गया।

(विराम)

क्लॉज १४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज १४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज १४ विधेयक में अंग रुप से जोडा गया।

क्लाज १५ श्री चांदमल मेहता

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष, क्लॉज १५ पर मेरा एमेन्डमेंट इस प्रकार हैं :

"(a) "Substitute the word 'ward' for the word 'municipality' occurring after the word 'every' in line two of sub-clause (1)."

[श्री चांदमल मेहता]

(b) Delete the words 'and......such ward' occurring in line two and three of sub-clause (I)."

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में कोई कहने की बात नही है, क्यों कि जब धारा १३ में मेरा अमेन्डमेंट स्वीकार किया गया तो उसी दृष्टि से यह कॉन्सीक्वेन्शल अमेन्डमेन्ट हैं। आशा है माननीय मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर लंगे।

श्रीबद्रीप्रसाद गुप्ता—यह क्लॉज १३ का कॉनसीक्वेन्शल अमेन्डमेन्ट है। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने क्लॉज १५ पर रखा, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १५, संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १५, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज १६

श्री चांमदल मेहता--उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १६ में मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है:—

"(a) Delete the words 'Municipality or' occurring in lines three and five of the clause.

(b) Delete the words 'as the case may be' occurring in line four of the clause.'

इस संबन्धमें भी मुझे कुछ निवेदन नहीं करना है क्योंकि यह भी कोन्सीक्वेन्शल अमेंडमेंट है क्लाज १३ का, इस लिये कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। आशा है माननीय मन्त्री महोदय इसे स्वीकार कर लेगें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह कोसीक्वेन्शयल अमेन्डमेन्ट है, स्वीकार करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने क्लॉज १६ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १६, संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १६, संशोधित रूप से विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज १७

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज १७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज १८

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १८में मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है:-

Substitute the words 'the electoral roll for any ward' for the words 'an electoral roll' occurring in sub-clause (२).

यह भी कोन्सीक्वेन्शल अमेंडमेंट है। जिस आधार पर धारा १३ में संशोधन स्वीकार किया गया उसी प्रकार का यह भी है। आशा है माननीय मन्त्री महोदय इसे स्वीकार कर लेंगे।

Page No 101

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १८ में यह जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है, इसकी आवश्यकता नहीं। जो इस अमेंडमेंट द्वारा चाहा जाता है, वह आलरेडी है।

श्री उपाध्यक्ष—यह अनावश्यक है।

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री इसे अनावश्यक मानते हैं तो मैं सदन से अपने अमेंडमेंट को वापिस लेने के लिये अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष--क्या सदन की अनुमति है कि श्री चांदमल मेहता को अपना संशोधन वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज १८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज १८ विधेयक में अंग रूप, से जोड़ा गया।

क्लॉज १९

श्री चांदमल मेहता--उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १९में मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है:--

"Delete the words 'municipality or' and 'as the case may be' occurring in line one and two respectively of the clause."

यह भी कोन्सीक्वेन्शयल अमेंडमेंट है आशा है, माननीय मन्त्री महोदय इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह १३ का कोन्सीक्वेन्शल अमेंडमेंट है इसलिये इसका स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज १९ पर जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज १९, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज २०

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २० में मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है—

"Delete the words 'municipality or' and 'as the case may be' occurring in the clause."

यह भी कोन्सीक्वेन्श्यल अमेंडमेंट है। आशा है, इसे भी माननीय मन्त्री स्वीकार कर लेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज २० पर जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २०, संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २० संशोधित रूप में विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज २१

श्री चांदमल मेहता— उपाध्यक्ष महोदय, यह एक मेरा छोटा सा अमेन्डमेन्ट है :

"After clause 21 in the heading 'Elections' insert the words 'conduct of' before the word 'Elections."

यह जो क्लॉज २१ के बाद में हैडिंग दिया है वहां मैं यह चाहता हूं कि इलेक्शन्स के पहले 'कन्डक्ट ऑफ' शब्द और जोड़ दिये जांय, आशा है माननीय मंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उपाध्यक्ष महोदय, यह रख लिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि क्लॉज २१ पर जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने रखा है। उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २१ संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

श्री उपाध्यक्षः— क्लॉज २२.

क्लॉज २२

श्री भैंरू सिंह (दांता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। धारा २२ में इस बात की व्यवस्था की गई है कि किसी भी म्युनिसिपलिटी के इलेक्शन्स होंगे, वह

[श्री भैंरू सिंह]

या तो इसमें जिस प्रकार के टर्म्स हैं उस प्रकार से होंगे या जो इसका एक्सटेन्डेड टर्म है, उस प्रकार होंगे। माननीय उपाध्यक्ष, किसी भी म्युनिसिपेलिटी के इलेक्शन्स हो उसमें किसी का कोई मतभेद नहीं लेकिन कोई मतभेद उस समय तय नहीं हो सकते जब कि हम किसी म्युनिसिपेलिटी के चुनाव जो उसकी टर्म है प्रेसक्राइब्ड उसी टर्म पर करवा लें। अगर हम एक्सटेन्डेड टर्म पर म्युनिसिपेलिटी के चुनाव करवाते हैं जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा म्युनिसिपलिटीज के इलेक्शन्स में जो प्रथा और नीति अपनायी गई, सरकार की ओर से जो कार्यवाही हुई है, उसको हमें देखना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई दफा प्रश्न पूछे गये और जो सरकार द्वारा जवाब दिये गये उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान में कितनी ही म्युनिसिपेलिटियां आज ऐसी हैं जिनकी निर्धारित अवधि निकल गई, समय निकल गया, उनको हर तीसरे महिने, हर छठे महिने बिना कारण के एक्सटेन्शन मिलता रहा है। मैं अगर यह कहूँ कि आज राजस्थान में ऐसी म्युनिसिपेलिटियां भी हैं, जो तीन वर्ष के लिये बनायी गई थी, किन्तु उनके आठ वर्ष पूरे होगये किन्तु आजतक उनके चुनाव नहीं हुए। कहीं एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया जाता है तो कहीं नोमीनेटेड आदमी नियुक्त कर दिये जाते हैं। मैं एक मिसाल आपके सामने रखूं, कोटपूतली एक ऐसा स्थान है जिसकी म्युनिसिपेलिटी के इलेक्शन जयपुर स्टेट के द्वारा जिस वक्त म्युनिसिपेलिटी कायम हुई उस वक्त हुये थे। आज करीब ९ वर्ष के बाद करीब एक महिने पहले इस कोटपूतली के इलेक्शन हुए। ऐसा एक ही जगह नहीं कई जगहों के ऊपर समय खत्म हुआ तो देखा अभी अपने जीतने के लिये समय अनुकुल नहीं है, यह देखकर एक्सटेंशन दे दिया जाता है। कहीं यह कह दिया जाता है रिटर्निंग आफिसर ने इलेक्टोरोल्स नहीं छपवाये, वे पब्लिश कराने चाहिये नहीं कराये, कहीं इलेक्टोरोल्स बनने चाहिये, वे नहीं बने, कहीं वार्ड का विभाजन होना चाहिये वह नहीं हुआ अगर विभाजन होगया तो पब्लिश नहीं हुआ और कहीं पब्लिश होगई तो जनता की राय नहीं आई। अगर कहीं जनता की राय आगई, तो सरकार जनता की राय से सहमत नहीं इन सब बातों का बहाना लेकर एक्सटेन्शन देना पडता है। यह नीति तो फिर भी ठीक हो सकती है, किन्तु जो नीति अपनायी गई म्युनिसिपलिटीज को इन कारणों से एक्सटेन्शन नहीं दिया गया बल्कि इसलिये दिया जाता है कि अपने आदमी जीतेंगे नहीं और अगर अपने आदमी जीते नहीं तो म्युनिसिपेलिटी के इलेक्शन बेकार होंगें।

तो चुनाव इस दृष्टि से कराये जावें कि अपने आदमी जीतें, एक गुट्ट के आदमी आवें। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं और वह मजे का ही नहीं है बल्कि सरकार के बुरे इरादों का भी पर्दाफाश करने वाला है। बीकानेर में सुजानगढ की एक नगरपालिका है। उसके चुनाव होते हैं, चुनावों के लिये उस नगर को वार्डों में विभाजित किया जाता है। चुनावोंकी तारीख निश्चित की जाती है, नामीनेशन फार्म भी ले कर भरा लिये जाते हैं। उसमें कांग्रेस दल के कुछ व्यक्ति गलत फार्म भरते हैं इस कारण रिटर्निंग अधिकारी उनको रिजेक्ट करता है। अब जिन लोगों के फार्म रिजेक्ट हुये वे जयपुर आते हैं और माननीय मन्त्रीजी के पास दरख्वास्त पेश करते हैं कि नामीनेशन फार्म गलत तरीके से रिजेक्ट हुये। वे यह भी कहते हैं कि इससे तीन आदमी जनसंघ के निर्विरोध आ रहे हैं। वे आ गये तो म्यूनिसिपल बोर्ड का चुनाव अच्छा नहीं रहेगा। तारीख निश्चित हो गई चुनाव की,

[श्री भैंरूसिंह]

रिटर्निंग अफसर के लोग पहुँच गये। सुबह का वक्त हुआ। चुनाव के लिये लोग मोटरें ले ले कर वोटरों को भी लेने गये कि उसी वक्त एक टेलीग्राम आता है रिटर्निंग अफसर का कि मेरी तबियत खराब हो गई। सारी तैयारी कर ली गई, और उन की तबियत खराब हो गई। अब उस तबियत का नुकसान और किसी को हुआ या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता पर जनता को इसका पूरा पूरा नुकसान हुआ। जो रिटर्निंग अधिकारी साहब तार करते हैं अपनी तबियत की खराबी का वे दूसरे दिन जाकर सरदारशहर की तहसील का मुआयना करते हैं। उन्होंने अपनी बीमारी का रतनगढ के डाक्टर से सर्टीफिकेट नहीं लिया। पर दूर से टेलीफोन आता है नेता लोग चाहते है कि चुनाव को स्थगित किया जावे। रिटर्निंग अफसर कहता है कि चुनाव स्थगित नहीं हो सकता, कोई चारा नहीं। तब जवाब मिलता है कि बीमार पड़ना तो तुम्हारे हाथ की बात है। वह बिचारा तन्दुरस्ती की हालत में भी सरकार के आदेश की तामील करने के लिये बीमार पड़ जाता है।

(घंटी)

बड़ा इम्पोर्टेन्ट मैटर है माननीय उपाध्यक्ष, ऐसी एक नहीं, हजारों बातें में बतास कूंगा कि किस तरह से इनका एक्सटेन्शन करवाते जा रहे हैं। रतनगढ़ के डी. एम. साहब बीमार पड़ते हैं पर बीमार की हालत तो अच्छी है पर बीमार ? कांग्रेस बीमार है और इसलिये वे भी बीमार पड़ते हैं। वहां जनसंघ का आदमी जीत न सके इसलिये यह सब कराया गया। म्यूनिसिपेलिटी का एक्सटेन्शन वो किया जाता है और यह कहकर कि अभी तक इलेक्टर रोल तैयार नहीं हुये, उन्हें तैयार कराकर पब्लिश करना पड़ेगा, लोगों की राय लेनी पड़ेगी। इसके बाद ६ महीने में चुनाव करावेंगे। जनता ने जबर्दस्ती करके सरकार पर जोर डाला। चुनाव हुआ। उसमें जनसंघ के सदस्य हमारे जीत गये पर आज फिर सोचा जा रहा है कि किस तरह से उनको डिस्कार्ड किया जाय ? कई दिन हो गये उन्हें जीते। पर उनके नाम गजट में प्रकाशित नहीं कराते। अगर हो गये तो चार्ज देने में गड़बड़ करेंगे और अगर चार्ज ले भी लिया तो क्या हो गया, जो हारे हुये हैं, आज भी थोड़े बहुत साथी हैं, वह बने रहें। उधर साथियों को बनाये रखने की चेष्टा की जाती है और इधर··············

[घन्टी]

माननीय उपाध्यक्ष, यह मामूली बात नहीं है, यह लोकल बोडीज़ का मामला है।

श्री **नाथूराम मिर्धा**—न तो आपका कोई अमेन्डमेन्ट है और न इसका कोई उससे

Page No 106

[श्री नाथूराम मिर्धा]

सम्बन्ध ही है। जो बहस की जा रही है वही घिसी पिटी बातें हैं जिनको हम बहुत बार सुन चुके हैं।

श्री भैरूंसिंह—मेरी यह समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य किस तरह से एतराज करते हैं उनकी जानकारी में यह होना चाहिये कि इस क्लॉज को पास करने न करने के बारे में हम सुझाव दे सकते हैं, भले ही अमेन्डमेन्ट हों या हमारे अधिकार की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—ब्रीफ में कहें।

श्री नाथूराम मिर्धा--डिलीट करने का प्रस्ताव होता तो ठीक था। यह बहस काफी कर चुके हैं, इसलिए एतराज होना चाहिए। फिर अब इसको लम्बा क्यों कर रहे हैं?

श्री भैरूंसिंह—आपके कारनामे ऐसे बहुत से हुए हैं जिनकी लम्बी सूची है, इसलिए लम्बा हो रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा—उन कारनामों को बताने से क्या फायदा?

श्री भैरूंसिंह—बदकिस्मती यह है कि सुन तो लिया, पर फिर भी वही करते जा रहे हैं, इसलिए कहना चाहता हूं बार बार।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की एक्सटेन्शन करने की मनोवृत्ति बन गई है। उसमें रुकावट आनी ही चाहिए। टर्म एक्सपायर होने के बाद सरटन टाइम में चुनाव करावेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिये। निश्चित होना चाहिये। आजतक म्युनिसिपेलिटियों को एक्सटेन्शन दिया। टर्म एक्सपायर होने के बाद एक्सटेन्डेड टर्म चुनाव करावेंगे। इस का मतलब यह होगा कि अनुकूल वातावरण देखें तभी चुनाव करावेंगे इसलिए निवेदन करना पड़ता है कि सरकार अगर एक्सटेन्शन करे तो एक महीने के लिये कर दे। लेकिन इस कारण से नहीं कि इलेक्टोरोल कम्पलीट नहीं हुई, वार्ड्स नही बने और इस कारण से चुनाव जल्दी नहीं कराये जा सकते। अगर समय पर चुनाव कराने हैं तो टर्म एक बार समाप्त होने से पहले से ही ६ महीने पहले से उसकी तैयारी क्यों नहीं शुरु करते। अगर कोई बोर्ड इस काम में देरी करे तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उस बोर्ड की आगामी चुनावों की तैयार स्वयं करावे। और केवल यह कहना कि चुनावों की तैयारी नहीं हुई और बाद में इस बिना पर ज्यादा एक्सटेन्शन देना न्याययुक्त चीज नहीं होगी। बार बार कहने का तात्पर्य तो यह है कि

श्री भैंरूसिंह]

ऐसा होता है और इसके पक्ष में मैं कहता हूं कि ऐसी कोई भी राजस्थान की म्यूनिसिपेलिटी नहीं है जिसका एक्सटेन्शन न किया हो। जानबूझ कर कोई गड़बड़ी न की गई हो, मिनिस्टर से लेकर रिटर्निंग और पोलिंग अफसर तक एक ही दृष्टिको लेकर काम करते हैं कि किसी तरह से कांग्रेस के लोग जीतकर आवें। जहां जीतकर आने की उम्मीद नहीं, वहां तरह तरह के बहाने करते हैं। यह इलेक्टोरोल तैयार नहीं, यह फलां तैयार नहीं यह वह तैयार नहीं। वे यह नहीं कहते कि हमारी गलती के कारण से चुनाव नहीं हो सके। पर अपनी गलती का बोझा डालेंगे इलेक्टर रोल पर। इस पर और उस पर। मैं पूछता हूं कि अगर इलेक्टर रोल तैयार नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? इस चीज की आड़ लेकर अपने लोगों को एक्सटेन्शन और प्रोत्साहन देने के लिए एक्सटेन्शन दिया जाता रहना यह अनुचित है। इसलिए जो व्यवस्था इसमें की गई है वह असन्तोषजनक है। और इस गलती को समाप्त करने के लिए पूरे क्लॉज को ही डिलीट कर दिया जावे। विरोधी दल के हकों को भी सुरक्षित रखने के लिए सरकार को एक्सटेन्शन लेकर चुनाव कराने के पहले ही इसको रोकने के लिए, इस क्लॉज का पूर्णतः विरोध करें और वे यह बता दें कि इस स्थिति में इस क्लॉज को स्वीकार करने को वे तैयार नहीं हैं।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, कल पर रखिए साहब।

श्री उपाध्यक्ष—दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री मानसिंह महार—दो मिनट में तो पूरा नहीं होगा उपाध्यक्ष........

श्री उपाध्यक्ष—अमेन्डमेन्ट नहीं दिया, इम्पोर्टेन्ट आपने समझी नहीं इसकी।

श्री मानसिंह महार—जब डिलीट ही करावेंगे तो अमेन्डमेन्ट की जरूरत क्या है? मानती तो है नहीं सरकार, ऐसी भावना सरकार की दिखती है।

श्री उपाध्यक्ष—एक बात ही कहिए।

श्री मानसिंह महार—सदन के समक्ष म्यूनिसिपेलिटीज बिल के २२वें क्लॉज को देखने से यह प्रतीत होता है कि यह इन्नोसेन्ट क्लॉज है पर इसकी गहराई में जावें तो मालूम होगा कि सरकार की नीयत इसमें क्या है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज को सदस्यों को मैं एक बार पढ़कर सुना देता हूँ तो वे इसकी गहराई को देख सकेंगे :

[श्री मानसिंह महार]

"General elections (and nominations):— (1) Except as provided in section 30I there shall be genral election (and nomination) to a Bord before the expiry of the term or extended term, as the case may be, of the board under section 11 on such date or dated as the State Government may by notification in the Rajasthan Gazette, appoint on that behalf."

यह जो इसके अन्दर एक्सटेन्डेड टर्म शब्द है यह कुछ चमकाने वाला शब्द है। राजस्थान के अन्दर एक्सटेन्शन देने की हमारी सरकार के लिए आदत सी बन गई है। हमारी भारत सरकार की इस प्रकार के किसी भी मामले में नीति नहीं रही। आम चुनाव का मामला भी आप ले लीजिये तो सरकार जल्दी से जल्दी करा रही है। वह चाहती है कि भारत के तमाम सदनों को किसी प्रकार का एक्सटेन्शन न दिया जाय। इसके लिए राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है जहां पर कि भारत सरकार का अनुकरण नहीं करके उसके बिल्कुल विपरीत काम किया जाता है। यहां पर म्युनिसिपेलिटीज को धड़ाधड़ एक्सटेंशन दिये जा रहे हैं। एक्सटेंशन किस नियम से दिये जाते हैं कि उन म्युनिसिपेलिटीज को, उसी प्रकार से कायम रखा जाय। उन कस्बों के अन्दर इस प्रकार का वातावरण बना दिया जाय कि किसी पार्टी विशेष के आदमी चुनाव में जीत कर कामयाब हों, और जब तक इस प्रकार का वातावरण नहीं बनता है—तब तक चुनाव नहीं कराये जाते हैं। चुनाव नहीं करवाने की जो नियत होती है उसमें यह कहा जाता है कि इलेक्ट्रोल रोल तैयार नहीं हुए हैं कभी कहा जाता है कि रिटर्निंग आफिसर बीमार हो गया है। कभी और कुछ किस्सा कहानी गढ़ी जाती है। जहां इस प्रकार की बात है डेमोक्रेटिक संस्थाओं में आती है, तो उचित चीज़ नहीं है। मैं यह समझता हूं, कि यह जो बातें हैं, वह शहर में ही नहीं है। सरकार अगर यह कहती है कि परिस्थितियां ही ऐसी हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर सही तरीके से और अगर ठंडे दिल से बैठकर काम करेंगे तो कभी यह चीज नहीं आयेगी कि किसी म्युनिसिपिल बोर्ड के टर्म को बढ़ायें या एक्सटेन्शन करें। यह बात तो देखने की है कि अगर आप लोग बढ़ाने की दिलमिल नीति नहीं अपनायें, आप लोग इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करें तो कभी एक्सटेन्शन की जरुरत ही नहीं पड़ेगी। जयपुर की म्युनिसिपेलिटीज को ही ले लीजिये कि उसको सुपरसीड हुए कितने दिन हो गये लेकिन सरकार ने इसके मुताल्लिक किस किस तरह से किया, कैसे कैसे बढ़ा रहे हैं, यह नजारा हमारे समक्ष आया है। उसको भी देखने से हम यह मानेंगे कि २२ वीं धारा (खंड) में यह जो एक्सटेन्डेड टर्म का शब्द है इसको रखने से सरकार की नियत में हम यह महसूस करते हैं कि कुछ गलत बातें भरी हुई हैं। जयपुर म्युनिसिपल बोर्ड में पहले चुनाव का जो तरीका था वह शहर को विभिन्न वार्डों में बांटकर और एक एक वार्ड से (बाधाएं होने पर) सुनिये जरा, एक एक आदमी को चुनकर लाने का था। एक एक वार्ड से एक एक आदमी चुनकर आने में सरकार ने यह देखा कि सरकारी पक्ष की जीत में बड़ी मुश्किल होती है, इस वजह से उस चुनाव को रोकने के लिए दुबारा वार्डों का डिविजन करने के लिए एक और रुकावट पैदा की है और कहा यह गया है कि इलेक्ट्रोल रोल तैयार नहीं हैं। वह नहीं है, यह नहीं है। यह कहकर एक एक बार्ड से तीन तीन आदमियों को चुनने का तरीका किया। पहले सरकार ने एक वार्ड वाली प्रणाली अपनाई वह उनके अफसरान के सजेशन पर थीं, क्योंकि

[श्री मानसिंह महार]

अफसर लोगों को यह मालूम नहीं था कि किस पार्टी की जीत होगी और किस की नहीं ? यह सही स्थिति जो कि बिल्कुल उचित थी वह बता दी सरकार को इस प्रकार से काम करने के लिए । लेकिन अब सरकार की पार्टी के आदमियों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने देखा कि जयपुर शहर के अन्दर म्युनिसिपल चुनाव में यह तो कांग्रेस की हत्या होने का काम है, इसलिए उन्होंने एप्रोच किया हर सर्किल को । इस एप्रोच का यह नतीजा हुआ कि म्युनिसिपेलिटी को ६ महिने के लिए और सुपरसीड रहना पड़ा । माननीय मंत्रीजी यह फरमायेंगे कि इसका इससे ताल्लुक नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन बातों का इस क्लाज २२ से ताल्लुक नहीं है तो किस से ताल्लुक है वह जरा बता दें तो अच्छा हो । यह बात थी । इसके साथ साथ एक और बात कह दूं कि एक वार्ड से, आदमी चुनने के बजाय एक एक वार्ड से ३, ३ आदमी चुनने की पद्धति का क्या फर्क पड़ा, किस पार्टी विशेष के आदमी आजायेंगे और किस पर्टीक्यूलर पार्टी के नहीं आयेंगे ? छोटे छोटे वार्ड होने से क्या होता है कि जयपुर शहर के अन्दर जो आबादी है वह इस प्रकार की है कि किसी छोटे से इलाके के अन्दर अधिक मुसलिम्स हैं । किसी छोटे इलाके के अन्दर हिन्दू हैं । किसी के अन्दर क्या हैं ? इस प्रकार की बात है । एक एक वार्ड से एक एक आदमी लिया जाता तो मुस्लिम बस्ती से जो कि आज केवल कांग्रेस को वोट देती है तो इस तरह से चुनाव के अन्दर वह बस्ती से एक एक आदमी को ही रिटर्न करें, और जो हिन्दुओं के वार्डस होते तो उनके अन्दर से दूसरी पार्टी के आने का सरकार को अन्देशा था । उस प्रकार से मुस्लिम माइनोरिटी पक्ष था । उसका लाभ कांग्रेस संस्थाओं से इतना नहीं मिलता था जितना कि वास्तविकता से मिलना चाहिए था, और अब इस प्रकार की बात हुई कि तीन वार्डों को मिलाकर एक वार्ड बनाकर और तीन, तीन केन्डीडेट्स वहां से खड़े करने का मतलब अब यह स्पष्ट होगया कि एक एक वार्ड से तीन तीन आदमी आयेंगे ।....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वार्ड बनाने का क्लॉज पास हो चुका ।

श्री उपाध्यक्ष—वह संशोधन हो चुका है ।

श्री मानसिंह महार—एक्स्टेंशन देने में क्या खराबी होती है, वह मैं बता रहा हूं । वह एक्स्टेन्शन नहीं देते म्युनिसिपेलिटीज को और यह क्लॉजेज अब भी पास किया जाता तो इस प्रकार की कार्यवाही हो गई तो मैं उस पर रोशनी डाल रहा हूं ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—The time is up, sir.

श्री मानसिंह महार—मैं इसलिए यह समझता हूँ कि हमको इस बात पर ध्यान देना है हमको स्वस्थ डेमोक्रेटिक परम्पराएं कायम करनी हैं, हमको यह मानकर चलना है कि जनता का वास्तविक भला होना चाहिए । लेकिन इसके द्वारा हम यह चाहते हैं कि कोई पार्टी विशेष को पावर

Page No 110

[श्री मानसिंह महार]

में रखा जाय तो कोई उचित चीज नहीं है। आज तक हमारी सरकार का जो रवैया रहा है इस सिलसिले में वह स्पष्ट बतलाता है (घंटी) कि म्युनिसिपेलिटीज को एक्सटेन्शन देकर उनको एक गुट्ट विशेष के आदमियों को लाने की कोशिश रही है। इसलिये मेरा यह सुझाव है, उपाध्यक्ष महोदय, और सदन से निवेदन करूंगा कि धारा २२ को डिलीट कर दिया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) माननीय उपाध्यक्ष जी, जितनी भी दफा २२ के बारे में दलील देते हुए बातें कही गई हैं वे गैर जरूरी हैं। वह गैर जरूरी ही नहीं बल्कि एक क्लॉज आलरेडी पास कर दिया है दफा ११ उसके खिलाफ है। यदि माननीय सदस्य उसको पढ़ने की कोशिश करते तो यह बात स्पष्ट मालूम हो जाती कि दफा ११ में हम पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं कि उसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान गजट में शाया करे और टाइम टू टाइम रीजन देकर उसको बढ़ा सकते हैं। दफा २२ में इलेक्शन की बात है कि वह किस प्रकार से होगा ? उस क्लॉज को वायड करने का मतलब यह है कि वह इलेक्शन ही नहीं होगा। टर्म एक्सटेन्ड नहीं किया जाय उसको प्रोवाइड कर चुके हैं। २२ के सिलसिले में वार्डों का जिक्र आयगा, जयपुर के बारे में कहा गया है। पुराने वार्ड हैं वह बदस्तूर रखे गये हैं। जयपुर के वार्डों का जो टर्म एक्सटेन्ड किया जा रहा है, उसका इस क्लाज से कतई ताल्लुक नहीं है। एक माननीय सदस्य ने कोटपुतली का जिक्र किया। वहां इलेक्शन करवाया गया है।

श्री भैंरूंसिंह:—दो वर्षों के बाद कराया गया है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता:—हुआ तो है। लेकिन वहां के मेम्बर चुनना ही नहीं चाहते। अभी इस इलेक्शन में दो मेम्बर रिजेक्ट किये गये हैं और ६ साहबों ने विड्रा कर लिया है। दुबारा चुनाव करायेंगे........

श्री भैंरूंसिंह:—वह चुनाव का तरीका गलत था।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता:—यह डिस्टरबेन्स क्यों हो रहा है, माननीय उपाध्यक्ष ?

इसका २२ वें क्लॉज़ से कतई ताल्लुक नहीं है। यह बात बिल्कुल इरिलेवेन्ट है यदि क्लॉज २२ ओमिट हो जायगा तो फिर इलेक्शन कैसे हो सकेंगे ? इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट की कतई यह मन्शा नहीं है कि इलेक्शन नहीं हो इसकी कोशिश की जाती है। दफा ११ में प्रोवाइडेड है कि टर्म एक्सटेन्ड हो जाती है तो फिर एक्सटेन्डेड पीरीयड होता है इसका कई सदस्यों ने कई बार जिक्र किया है कि गवर्नमेंट को पावर देने के बारे में बात होती है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाकर बात को खत्म करने की कोशिश की है। दिक्कत सामने आती है तो गवर्नमेंट पावर को एक्सरसाइज करे।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

इस तरह की बातें आती है। जो बहस की गई वह गैर जरूरी है और कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है इसलिए इसको स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष:—प्रश्न यह है कि क्लॉज २२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज २३

श्री चांदमल मेहता:—वक्त हो गया है साहब।

श्री उपाध्यक्ष:—अभी कोई और काम खास हैं, इसलिए देरी की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता:—२ बजे पार्टी की मीटिंग है।

श्री उपाध्यक्ष:—एक दो क्लॉज और ले लें।

श्री जवानसिंह:—खास काम क्या है?

श्री उपाध्यक्ष:—आ जायगा सामने।

श्री जवानसिंह:—क्या सदन के सामने कोई खास काम है?

श्री उपाध्यक्ष:—लाया जायगा।

श्री भैंरूसिंह:—सामने कोई प्रदर्शन हो रहा है?

श्रीउपाध्यक्ष—yes, clause 23. shri ehand Mal Mehta.

श्रीचांदमल मेहता— उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २३ पर मेरा संशोधन इस प्रकार है—
Substitute the following for the clause:—

"A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat on a Board unless:—

[श्री चांदमल मेहता]

(a) in the case of a seat reserved for the scheduled castes he is a member of any of these castes and is an elector for any ward in the municipality.

(b) in the case of any other seat, he is an elector for any ward in the municipality."

उपाध्यक्ष महोदय, जो मौजूदा क्लाज २३ है वह इस प्रकार है—

"Subject to the provisions contained in section 9 and 24 every person whose name is for the time being entered in the electoral roll of a municipality or any ward thereof shall be qualified to be elected (or nominated) as a member of the board of such municipality.

तो जो क्लॉज २३ ओरिजीनल बिल का है उसके सम्बन्ध में इसतरह की बातें दी गई है कि ६ और २४वें क्लॉज को मद्देनजर रखते हुये किसी वार्ड में कोई व्यक्ति इलेक्टर है वह अधिकारी होगा चुनाव के लिये। मेरा संशोधन है। उसमें थोड़ा सा इस बात में फर्क बताया गया है कि सिर्फ नाम होना आवश्यक नहीं है बल्कि अगर वह शीट शिड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है तो यह जरूरी है कि वह शिड्यूल्ड कास्ट का सदस्य हो। इसी नाते मैंने संशोधन रखा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्रीजी उसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ये जो शब्द हैं क्लॉज २३ में "Subject to the provisions contained in section 9 and 24" ये तो आवश्यक हैं और इन शब्दों को रख कर बाकी का अमेन्डमेंट रखकर स्वीकार करें तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। Subjeot to the provisions contained in section 9 and 24."

आगे आपका क्लॉज रीड करेगा "a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat on a Bord unless-

(a) in the case of a seat, reserved, for the scheduled castes......... municipality.

(b) in the case of any other seat...........municipality."

इस तरह से यह हो जायगा।

श्री चांदमल मेहता—मुझे कोई एतराज नहीं है यदि इसको इस रूप में स्वीकार किया जाय।

राज श्री हिम्मत सिंह—इसका रिकोन्स्टिट्यूटेड फार्म किस तरह से होगा, अगर इसको फिर से पढ़ दिया जाय तो ठीक होगा।

Page No 113

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—"Subject to the provisions contained in section 9. and 24, a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat on a Board unless:-

(a) in the case of a seat reserved for the scheduled castes he is a member of any of these castes and is an elector for any ward in the municipality, and

(b) in the case of any other seat, he is an elector for any ward in the municipality."

इस तरह से हो जायगा

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २३, संशोधित रूप में विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज २४, श्री चांदमल मेहता।

राज श्री हिम्मत सिंह—अब तो टाइम हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—थोड़ा सा टाइम रह गया है।

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २४ पर मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

[1] Substitute the following for the words:-

"No person shall be a member of a board" occuring in line one and two of the clause:-

Page No 114

[श्री चांदमल मेहता]

"A person, not withstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of a board."

[b] Delete part [xi]

[c] Delete part [c] of the provision."

उपाध्यक्ष महोदय, पहला जो मेरा संशोधन है वह इन शब्दों में है कि जहा २४ वां क्लॉज शुरू होता है वहां यह दिया हुआ है कि "No person shall be a member of a board "

उसकी जगह यह हो जाय कि "A person, not withstanding that he is otherwise qualified shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of a board"

मेरे इस अमेन्डमेंट से कोई खास फर्क पड़ता हो, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ भाषा का फेर फार है और इसी दृष्टि से है कि पहली धारा में यह छूट रख दी है कि कोई व्यक्ति किसी तरह से क्वालीफाइड हुआ किसी जगह के लिए चुनाव लड़ने के लिए, और उस बात को मद्दे नजर रखते हुए भाषा में तब्दीली करते हैं जिस रूप की ऊपर चर्चा की है, वह क्वालीफाइड हो लेकिन नीचे लिखी बातें हैं तो वह डिस्क्वालीफाई हो सकेगा। इसी दृष्टि से मैंने पहला अमेन्डमेन्ट है जो भाषा सम्बन्धी एमेंडमेन्ट है और मैं सोचता हूं कि उसको स्वीकार कर लेने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

दूसरा अमेन्डमेन्ट क्लॉज २४ के सब क्लॉज ११ को डिलीट करने के बारे में है। वह सब क्लाज इस प्रकार है:—

"(xi) who, save as hereinafter provided, has directly or indirectly, by himself or his partner, employer or employee, any share or interest in any work done by order of such board, or in any contract or employment with or under or by or on behalf or such board, or."

उपाध्यक्ष महोदय, किन किन सूरतों में कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो सकता है चुने जाने में उस सम्बन्ध में यह उप धारा ११ भी है और इस उपधारा ११ को इस ढंग से बनाया गया कि चाहे किसी कान्ट्रेक्ट में डिरेक्टली इन्ट्रेस्टेड हो, या चाहे इनडिरेक्टली इन्ट्रेस्टेड हो तो वह डिसक्वालीफाई हो सकता है। जहां डिरेक्टली बताया है, शेयर के रूप में, नौकरी करता हो पार्टनर हो, वहां विस्तृत दायरा दे दिया गया है। इस धारा को रखने से एक बात अच्छी हो सकती है कि जो कान्ट्रेक्ट दिया जाय, किसी व्यक्ति को किसी रूप में इन्ट्रेस्ट हो तो वह नहीं आना चाहिए। इसका दूसरी दृष्टि से बहुत बड़ा दुरुपयोग हो सकता है। जहां डिरेक्टली शब्द हो तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन इनडिरेक्टली आता है तो यह उन अधिकारियों पर फैसला रह जाता है कि उसके इनडिरेक्टली शेयर हैं या नहीं। और इन्डाइरेक्टली शेअर और मनी लेते हैं तो उसमें भी कई तरह के काम्प्लीकेशन्स पैदा हो जाते हैं जैसे मिसाल के तौर पर एक नौकर है। नौकरी में वह इन्ट्रेस्टेड है, इसके आधार पर वह

[श्री चांदमल मेहता]

डिस्क्वालिफाई हो सकता है। उसके ध्यान में यह बात हो भी नहीं सकती कि नौकर कौनसा काम करता है कौनसा नहीं करता है और ध्यान में आ जाय तो कोई नौकर रखता है तो क्यों उसके साथ में शर्त रखनी पड़ेगी कि वह दूसरा काम नहीं कर सकता। कई बार मौका आ सकता है कि मालिक की निगाह से छिपा कर बाद में काम करता है। कोई पार्टनरशिप का धंधा करता है तो क्या उस पार्टनर पर भी शर्त लगायेंगे? पार्टनर का कोई इन्ट्रेस्ट किसी कांट्रेक्ट में है तो उस दृष्टि से डिस्क्वालिफाई कर दिया जायगा? तो इस तरह की धारा जहां तक मैंने दूसरे एक्ट्स स्टडी किये हैं उनमें इस तरह की धारा नहीं रही है, जिसके कारण इस तरह की कठिनाई पैदा हो जाय। इसलिये निवेदन करूंगा कि यह धारा निकाल दी जाय। आगे प्रोविजो डिलीट करने का है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो कोई बात नहीं रहती।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)**—क्लॉज २४ में जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है वह पहला इस प्रकार है:—

"Substitute the following for the words

"No person shall be a member of a board" occurring in line one and two of the clause:-

इसके बाद आपने जो सब्स्टिट्यूट किया है वह इस प्रकार है—

"A person, notwithstanding that he is otherwise qualified shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of a board."

सब्सटिट्यूट जो किया है उसमें डिफरेन्स नहीं है। दूसरी लेंग्वेज लिखी है उसको मंजूर करने में कोई ऐतराज नहीं दिखता। Delete part (xi) and डिलीट पार्ट (सी) के बारे में जो संशोधन है उसके बारे में यह निवेदन है कि क्लॉज़ ११ में यह प्रोवाइड किया गया है किसी को डाईरेक्टली या इन्डाइरेक्टली "by himself or his partner, employer or employee, any share or interst in any work done by order of such board."

इस प्रकार का इन्ट्रेस्ट हो तो वह डिस्क्वालिफाइ होना चाहिये। मौजूदा कानून में भी इसी तरह का प्रोविजन है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और पंचायतों में भी इसी तरह का है और यह होना भी चाहिये। कोई आदमी किसी में इन्ट्रेस्टेड है तो मेम्बरशिप में खड़ा होना नहीं चाहिये। औरभी माननीय सदस्यों ने कहा कि यह क्लॉज रहना जरूरी है इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस बात के लिये प्रेस नहीं करेंगे। बाकी को रहने दिया जाय।

श्री चांदमल मेहता—चेयरमेन महोदय, मैं तो यह मानकर चलता हूं कि यदि कोई पहले से बोर्ड का सदस्य है तो सदस्यता से वंचित होने का प्रश्न नहीं है आयंदा खड़े होने में किसी तरह की कठिनाई आ सकती है, यह विचारने की बात अवश्य है। यदि मंत्रीजी इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं। पहले को स्वीकार कर ही लिया है, दूसरे को वापिस लेना चाहता हूँ (बी) और (सी)

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें अपने संशोधन (बी) और (सी) वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने संशोधन का भाग (बी) और (सी) वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज २४ ५ र जो संशोधन (ए) श्री चांदमल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४, संशोधितरूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २४, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज २५

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, आज समय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—एक क्लॉज निकल जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्लॉज २५ पर मेरा संशोधन इस प्रकार है।

"Sub-clause (1) (a) Substitute the words 'any ward' for the words 'a municipality' occurring in line three;

(b) Delete the words 'or, in case...thereof' occurring in lines three and four, and (c) Delete the words 'municipality or' and 'as the case may be' occurring at the end."

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १३ में जो मेरा संशोधन स्वीकार किया गया है उससे संबंधित यह मेरा कांसिक्वेन्शियल अमेन्डमेन्ट है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— ठीक है। यह कांसिक्वेन्शियल है, इसको, स्वीकार करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात्) हाँ पक्ष जीता, संशोधन स्वीकृत हुआ।

श्री भैरूंसिंह—आवाज नहीं आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष—आवाज आ रही है।

प्रश्न यह है कि क्लॉज २५ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २५ संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज २६ पर कोई संशोधन नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २६ विधेयक में अंग रूप में जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज २७

श्री चांदमल मेहता—वक्त हो गया साहब। मैं अपना अमेण्डमेण्ट मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज २७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २७ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज २८

(विराम)

श्री चांदमल मेहता—यह महत्वपूर्ण क्लॉज है इसमें थोड़ा समय लगेगा।

श्री भैंरूसिंह—(१६) मैं समझता हूं इसे कल लिया जाय तो अच्छा हो। इस पर काफी बहस होगी।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री अध्यक्ष—क्लॉज २८

श्री चांदमल मेहता—आज समय हो गया है, बहुत थक गये हैं।

श्री अध्यक्ष—तो क्या एडजोर्न किया जाय ?

श्री चांदमल मेहता— जी हां।

श्री जवानसिंह—कार्यक्रम के हिसाब से तो एडजोर्न होना चाहिये।

सदन का अपमान करनेवाले व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही एवं निर्णय

श्री अध्यक्ष—सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि आज प्रातः काल प्रश्नोत्तर काल की समाप्ति के उपरान्त कुछ व्यक्तियों ने, जो कि दर्शक गेलेरियों के अन्दर उपस्थित थे, सदन के फ्लोर के ऊपर अतिक्रमण करके इस सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँचाई और उन्होंने न केवल बाधा ही पहुँचाई किन्तु सदन का एक बड़ा भारी अपमान किया। तुरन्त ही सदन के सदस्यों के सामने सार्जेण्ट एट आर्म्स ने मेरी आज्ञा से उन लोगों को अपने अधिकार में ले लिया और उनसे पूछताछ करने के बाद में उन्होंने जो अपने नाम बतलाये वे व्यक्ति ये हैं—

१. श्री नाहरसिंह सन ऑफ भूरसिंह, सुनारिया (सरवाड़)

२. श्री गोपालसिंह सन ऑफ रामसिंह, तलवारा (बगरू)

३. श्री केशरसिंह सन ऑफ नाहरसिंह, दातली (टोडा भीम)

४. श्री नरेन्द्रसिंह सन ऑफ उम्मेदसिंह, उपेडा (बनेड़ा)

५. श्री प्रतापसिंह सन ऑफ कालूसिंह, उपेडा (बनेड़ा), उदयपुर

६. श्री गुलाबसिंह सन ऑफ छीतरसिंह, कलवाडा (बगरू)

७. श्री किशोरसिंह सन ऑफ हीरसिंह, सेलनी डि० नागौर

८. श्री रामदयाल सन ऑफ लक्ष्मीकांत, बनेड़ा, उदयपुर

९. श्री गोरधनसिंह सन ऑफ मेघसिंह, बूंदी।

ये ९ व्यक्ति थे जिन्होंने सदन के अन्दर इस प्रकार की अनुचित कार्यवाही की। उन लोगों को मेरी आज्ञा से सार्जेण्ट एट आर्म्स के सुपुर्द कर दिया गया है और वे अब तक उन्हीं की कस्टडी में हैं। उनके पासेज वगैरह जो थे उनको चैक किया जा रहा है और सार्जेण्ट एट आर्म्स की रिपोर्ट आने पर मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख उपस्थित करूंगा कि क्या कार्यवाही की जा रही है?

मैं इस बीच में यह जानना चाहूँगा कि जो सदन का प्रत्यक्ष रूप से एक अपमान हुआ है उसके विषय में सदन के माननीय सदस्यों को क्या कार्यवाही करनी चाहिये, इस विषय में क्या रवैया हो और इस विषय में मैं चाहूँगा कि सदन के नेता इस विषय में प्रस्ताव रखें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) :—अध्यक्ष महोदय, आज जो घटना सदन में हुई, मैं समझता हूँ कि वह एक अनहोनी सी बात हुई है। इसके लिये सदन का कोई माननीय सदस्य इस बात को मानने से इन्कार नहीं करेगा कि वह एक निश्चित कॉन्टेम्प्ट इस हाउस का रहा है और जहां पर हाउस का कॉन्टेम्प्ट हो उसके अनुसार मैं समझता हूं कि यह सदन आप से निवेदन करना चाहेगा कि आप एप्रोप्रियेट एक्शन कॉन्टेम्प्ट के बारे में लें।

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

इसके साथ साथ ऐसा लगता है, इम्पर्सोनिफिकेशन(Impersonification) हुआ है। ट्रेस्पास तो निश्चित तौर से हुआ है। मुझे जैसी जानकारी है कइयों के पास पास नहीं थे।

ये सारी बातें ऐसी है जिनके लिये हम चाहेंगे कि अध्यक्ष महोदय आवश्यक कार्यवाही इस सम्बन्ध में करें।

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—अध्यक्ष महोदय, आपने जो वक्तव्य दिया है उससे हम परिचित हुए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिन लोगों ने बाहर से आकर विहेवियर किया वह बड़ा ही शोचनीय था। हाउस का अपमान हुआ है। हम आशा करते हैं कि कानून के माफिक आप जो कार्यवाही हो, वह करेंगे।

श्री अध्यक्ष—Should it be postponed for tomorrow or action may be taken here and now. They should be given an opportunity to explain their conduct.

उनको अभी सदन के रूबरू बुला कर मौका दिया जाय कि उन्होंने ऐसा कैसे किया ? इसके बाद सदन उचित समझे तो, क्योंकि यह सदन सारी सजा देने का अधिकार रखता है उनके लिये दण्ड निर्धारित करे। इस विषय में इस सदन की कार्यवाही अन्तिम है इसलिये उनको एक मौका दिया जाना जरूरी है। यदि माननीय सदस्यों की यह राय हो कि उनको अभी बुला कर जो उनको निवेदन करना हो वे करें तो तुरन्त अभी निर्णय किया जाय। सदन के माननीय सदस्य यदि इस पर विचार करके निर्णय करना चाहते हैं तो वैसा करें, किंतु वह निर्णय तुरन्त होना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा—आज ही निर्णय किया जाय।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—समय काफी हो गया है, कल पर रखा जाय।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय अध्यक्ष, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, अभी इसका निर्णय करना चाहिये।

एक माननीय सदस्य (राज्य पक्ष)—मैं भी इसमें निवेदन करूंगा कि ऐसे छात्रों को जिन एम. एल. एज. ने इस तरह का मौका दिया है और जिनका इसमें हाथ है, इसकी जांच की जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या तुरन्त निर्णय किया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—मैंने तो आप पर छोड़ा है, जैसा आप चाहें इसमें वैसी कार्यवाही करें । कार्यवाही की जाय, यह एक निश्चित बात है क्योंकि इस सदन का अपमान हुआ है ।

राज श्री हिम्मतसिंह—अभी की इस बातचीत से मालूम हुआ है कि अभी जांच भी नहीं हो पाई है ।

श्री अध्यक्ष—यह तथ्य तो सर्व विदित है कि जिस तरीके से दर्शक दीर्घाओं से कूद कर सदन की कार्यवाही को बाधा पहुँचाई, प्रत्यक्षदर्शियों के लिये जांच आवश्यक है क्या ? अभी निर्णय लेना चाहते हैं या कुछ घण्टों बाद लेना चाहते हैं ? यह निर्णय तुरन्त करना है ।

श्री भैंरू सिंह— (वि. सं. १६)—माननीय अध्यक्ष, यह आज ही निर्णय करना चाहिये । उन लोगों को अपनी डिफेन्स प्रस्तुत करने के लिये, यदि उनके पास कोई हैं, तो उनकी आज ही सुनवाई करें । उनकी सुनवाई के बाद सदन आवश्यक समझे तो उन्हें सजा देवे । एक्शन लेने के बारे में अभी कार्यवाही की जाय तो वह कोई बुरी चीज नहीं होगी ।

मैं समझता हूँ और मेरी राय है कि उनको अभी सुन लिया जाय और फिर यह तय करें कि अभी सजा दी जाय या यह कार्यवाही कल की जाय । यदि कॉम्प्लीकेशन्स हों तो उन पर फिर विचार किया जाय । सुन अभी लिया जाय कि सदन का अतिक्रमण करके किस वजह सदन का अपमान करने की उन लोगों ने धृष्टता की है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—यदि अभी चाहते हैं तो अभी कर लिया जाय ।

श्री घीसीसिंह—केवल सदन के अपमान की ही बात नहीं, दुर्घटना की भी बात है, इस तरह सदन में दुर्घटना भी हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष—अभी बुलाया जाय, one by one.

(कुछ विराम के अनन्तर)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, बीच में म्युनिसिपल बिल की धारा एक आध और निकल जावे तो अच्छा हो ।

(श्री सार्जेण्ट एट आर्म्स को बुलाया गया)

श्री हिम्मत सिंह—माननीय अध्यक्ष, कोर्ट का प्रोसीजर हो, वही होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—जो आप चाहेंगे वही हाउस एडॉप्ट करेगा । वकील नहीं आवेंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपने कुछ कहा और अध्यक्ष ने कुछ कहा और दूसरे कुछ कहें, ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री हिम्मतसिंह—यही मैं निवेदन करता हूं।

(एक भू-स्वामी आंदोलनकारी श्री नरेन्द्रसिंह के, सार्जेण्ट एट आर्म्स एवं वाच एण्ड वार्ड के कुछ कर्मचारियों के साथ, उपस्थित होने के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—If any of the members want ask him ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) I think, Sir, that would not be a proper procedure. If all the members.........

श्री अध्यक्ष—They can support me.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—That would not be necessary.

श्री भैरूंसिंह—(दांता रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय, इन लोगों पर जो चार्ज लगाया जा रहा है वह प्रिलिमिनरी रूप से बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—धीरज रखिये, सब बताया जायगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री नरेन्द्रसिंह से) क्या नाम है तुम्हारा ?

श्री नरेन्द्रसिंह—नरेन्द्रसिंह।

श्री अध्यक्ष—पिता का नाम ?

श्री नरेन्द्रसिंह—उम्मेदसिंह।

श्री अध्यक्ष—तुमने आज १० अप्रैल, सन् १९५९ को ६ बजे दिन, दर्शक दीर्घा में दाखिल होकर सदन के प्रांगण में कूद कर नारे लगाये और सदन के आंगन में भी नारे लगाये अथवा इस सदन के अन्दर अनधिकृत रूप से आये और सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँचाई अथवा तुमने अनधिकृत रूप से सदन के अन्दर खड़े होकर इस सदन का अपमान किया; इसके तुम दोषी हो, तुमको इस विषय में कुछ कहना है ?

श्री नरेन्द्रसिंह—इसमें किसका दोष है। जब हम भूखे मर रहे थे, कोई नहीं सुनता तो हमको यहां आना पड़ा। आपके कर्मचारियों ने घूंसे लगाये, कपड़े फाड़ दिये।

श्री अध्यक्ष—और कुछ कहना है ?

श्री नरेन्द्रसिंह—बस यही कहना है।

श्री अध्यक्ष—इसको ले जाया जाय।

(श्री रामदयाल की उपस्थिति के पश्चात्)

श्री सार्जेन्ट एट आर्म्स (श्री मोतीसिंह)—यह श्री रामदयाल जी तशरीफ लाये हैं।

श्री अध्यक्ष—आपका नाम ?

श्री रामदयाल—रामदयाल उर्फ लक्ष्मीकांत।

श्री अध्यक्ष—पिता का नाम ?

श्री रामदयाल—काशीनाथ।

श्री अध्यक्ष—कहां के रहने वाले हो ?

श्री रामदयाल—बनेड़ा का।

श्री अध्यक्ष—क्या जाति है ?

श्री रामदयाल—ब्राह्मण।

श्री अध्यक्ष—क्या तुमने आज ता० १० अप्रेल, ५६ को राजस्थान विधान सभा की दर्शक दीर्घा के अन्दर प्रवेश किया ?

श्री रामदयाल—किया था।

श्री अध्यक्ष—तुमने इस दीर्घा के अन्दर नारे लगाये।

श्री रामदयाल—जी, लगाये।

श्री अध्यक्ष—तुमने अपने और साथियों के साथ दीर्घा से कूद कर सदन के प्रांगण में आकर नारे लगाये और हल्ला किया ?

श्री रामदयाल—किया था।

श्री अध्यक्ष—तुमने अनधिकृत रूप से इस सदन के प्रांगण में प्रवेश किया और सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँचाई ?

श्री रामदयाल—सिर्फ नारे लगाये थे।

श्री अध्यक्ष—तुमने सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँचाई।

श्री रामदयाल—जी।

श्री अध्यक्ष—तुम सदन का अपमान करने के दोषी हो इस विषय में तुमको कुछ कहना है ?

श्री रामदयाल—कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—और कोई बात कहनी है ?

श्रीरामदयाल—जी नहीं।

(श्री गुलाबसिंह की उपस्थित के पश्चात्)

श्री सार्जेन्ट एट आर्म्स—श्री गुलाबसिंह।

श्री अध्यक्ष—क्या नाम है तुम्हारा ?

श्री गुलाबसिंह—गुलाबसिंह।

श्री अध्यक्ष—पिता का नाम ?

श्री गुलाबसिंह—छीतरसिंह।

श्री अध्यक्ष—क्या उम्र है ?

गुलाबसिंह—२१ साल।

श्री अध्यक्ष—क्या जाति ?

श्री गुलाबसिंह—राजपूत।

श्री अध्यक्ष—कहां के रहने वाले हो ?

श्री गुलाबसिंह—कलवाड़ा।

श्री अध्यक्ष—क्या काम करते हो ?

श्री गुलाबसिंह—खेतीबाड़ी का काम करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या तुमने आज तारीख १० अप्रैल, १९५६ को राजस्थान विधान सभा की दर्शक दीर्घा में ९ बजे प्रातः के करीब प्रवेश किया ? तुम आये यहां ?

श्री गुलाबसिंह—जी हां, आया साहब।

श्री अध्यक्ष—और लगभग ९ बजे सदन की दर्शक दीर्घा में तुमने नारे लगाये और हल्ला किया ?

श्री गुलाबसिंह—जी हां।

श्री अध्यक्ष—क्या तुम अपने और साथियों के साथ, जो कि तादाद में ६ हैं, राजस्थान विधान सभा की दर्शक दीर्घा से सदन के प्रांगण में आये, हल्ला किया और नारे लगाये ?

श्री गुलाबसिंह—मैं तो नहीं आया उधर।

श्री अध्यक्ष—(दर्शक दीर्घा की ओर संकेत करते हुए) उस गैलरी से कूद कर सदन के अन्दर आये और नारे लगाये ?

श्री गुलाबसिंह—मैं तो कुर्सी पर ही था।

श्री अध्यक्ष—खड़े हो गये और नारे लगाये ?

श्री गुलाबसिंह—बाहर निकलने के बाद लगाये, यहां नहीं लगाये।

श्री अध्यक्ष—तुमने इस सदन में अनधिकृत रूप से प्रवेश किया और सदन की कार्यवही में बाधा पहुँचाई ?

श्री गुलाबसिंह—जी हां। यहां तो नहीं बाहर पहुँचाई। सदन के अन्दर मैंने कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष—सदन के अन्दर आकर तुमने नारे लगाये और कुर्सी पर खड़े हो गये और हल्ला किया जिससे सदन की कार्यवाही जो चल रही थी उसमें बाधा पहुंचाई ?

श्री गुलाबसिंह—मैंने सदन में तो कोई हल्ला नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—दीर्घा के अन्दर किया, आपने बाधा पहुँचाई ?

श्री गुलाबसिंह—नहीं पहुँचाई ? बाहर निकलने के बाद में कहा मैंने तो।

श्री अध्यक्ष—तुमको इस सदन का अपमान करने का दोषी ठहराया गया है, इस सम्बन्ध में तुम्हें कुछ कहना है ?

श्री गुलाबसिंह—यह तो आपकी मर्जी है। मैंने सदन में तो कुछ किया नहीं।

श्री अध्यक्ष—आपको कुछ कहना है? आप अपना कुसूर स्वीकार करते हैं कि आपने हल्ला किया, दर्शक दीर्घा पर खड़े हो गये, सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँचाई, और इस तरह से एक अशोभनीय कार्य किया जिससे सदन का अपमान हुआ और सदन के अपमान का भी आपने दोष किया? कुछ कहना है?

श्री गुलाबसिंह—कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—कोई अपनी सफाई पेश करनी है।

श्री गुलाबसिंह—कोई सफाई नहीं करनी है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। नेक्स्ट

(श्री गोपालसिंह की उपस्थिति के पश्चात्)

श्री सार्जेन्ट एट आर्म्स—श्री गोपालसिंह तलवार।

श्री अध्यक्ष—आपका शुभ नाम।

श्री गोपालसिंह—मेरा नाम गोपालसिंह है।

श्री अध्यक्ष—पिता का नाम?

श्री गोपालसिंह—रामसिंह जी।

श्री अध्यक्ष—क्या उम्र है?

श्री गोपालसिंह—२२ साल की है साहब।

श्री अध्यक्ष—कहां के रहने वाले हो?

श्री गोपालसिंह—मेरा गांव तलवार है।

श्री अध्यक्ष—क्या काम करते हो?

श्री गोपालसिंह—कुछ काम नहीं करता, खेती करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या आप आज तारीख १० अप्रेल, १९५६ को विधान सभा की दर्शक दीर्घा के अन्दर आये ?

श्रीगोपालसिंह—हां, सरकार।

श्री अध्यक्ष—आपने कोई पास हासिल किया ?

श्री गोपालसिंह—नहीं, मेरे पास कोई पास नहीं था।

श्री अध्यक्ष—क्या आपने करीब ९ बजे राजस्थान विधान सभा की दर्शक दीर्घा के अन्दर नारे लगाये और हल्ला किया ?

श्री गोपालसिंह—हां सरकार। यहां आकर नारे लगाये थे। आप लोगों से फरियाद की थी। भूखों मरते हैं।

श्री अध्यक्ष—क्या आपने और साथियों के साथ विधान सभा की दर्शक दीर्घा से सदन के प्रांगण में कूद कर हल्ला किया और नारे लगाये ?

श्री गोपालसिंह—हां सरकार, इधर से उधर आये थे।

श्री अध्यक्ष—क्या कटघरे से बाहर आकर, कूद कर आपने हल्ला किया और नारे लगाये ?

श्री गोपालसिंह—हां सरकार, किया।

श्री अध्यक्ष—आपने अपने और साथियों के साथ में, जो कि तादाद में नौ हैं यहां आकर सदन के कार्य में बाधा पहुँचाई, क्या सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँचाने की नीयत से आप यहां आये थे ?

श्री गोपालसिंह—जी हां सरकार, लाचार होकर यह किया हमने। भूखों मरते हैं, जहां जाते हैं वहां हमें लोग पहुँचने ही नहीं देते। हमारे बाल बच्चे भूखों मरते हैं।

श्रीअध्यक्ष—लेकिन आप, यहां जो सदन की कार्यवाही हो रही थी उसमें बाधा पहुँचाने की नीयत से आये थे कि नहीं ?

श्री गोपालसिंह—नहीं सरकार, भूखों मरते हैं।

श्री अध्यक्ष—तो यह बात सुनाने के लिये आये ?

श्री गोपालसिंह—तो किससे कहें सरकार।

श्री अध्यक्ष—आप पर इस बात का दोष लगाया गया है कि आपने इस प्रकार की कार्यवाही करके, इस जगह हल्ला करके, नारे लगा कर, दर्शक दीर्घा के अन्दर से सदन के प्रांगण में कूद कर, सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँचा कर एक अशोभनीय कार्य किया और इससे सदन की प्रतिष्ठा को धक्का लगा और इस सदन का अपमान किया; इस विषय में कुछ कहना है आपको ?

श्री गोपालसिंह—सरकार मेरा-कहना यह है कि भूखों मरते है। जमींदारी खोस ली, खेत किसानों ने खोस लिये और अब हमारे पास खाने को है नहीं, किससे कहें जाकर के ?

श्री अध्यक्ष—आपने सदन के कार्य में बाधा पहुँचाई ?

श्री गोपालसिंह—हां, यहां आकर अर्ज किया था आपसे।

श्री अध्यक्ष—तो आपने हमारे सदन की जो यहां कार्यवाही हो रही थी उसमें बाधा पहुँचाई और बाधा पहुँचाने के आप दोषी हैं, इस बारे में आपको कुछ स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, हां करनी है या ना करनी है ?

श्री गोपालसिंह:—जैसा आप समझें समझ लीजिये साहब, मैं तो भूखों मरता था इसलिये आया।

श्री अध्यक्ष:—आपको कुछ कहना है। हम यह कहते हैं कि आप दोषी हैं, आपने सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँचाई, इस बारे में आपको सफाई पेश करनी है ?

श्री गोपालसिंह:—अब क्या सफाई पेश करें। यही सफाई है कि भूखों मरते आये। यहां जैसा आप चाहें कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष:—कोई सफाई नहीं पेश करना चाहते ?

श्री गोपालसिंह:—और क्या सफाई पेश करें। भूखों मरते हैं हम लोग।

श्री अध्यक्ष:—ठीक, नेक्स्ट।

(श्री किशोरसिंह के उपस्थित होने के पश्चात्)

श्री सार्जेन्ट एट आर्म्स:—श्री किशोरसिंह, नागौर परगने के हैं।

श्री अध्यक्ष:—आपका शुभ नाम ?

श्री किशोरसिंह:—मेरा नाम किशोर सिंह।

श्री अध्यक्ष—आपके पिता का नाम ?

श्री किशोरसिंह—हीरसिंहजी।

श्री अध्यक्ष—आपकी आयु, अवस्था आपकी ?

श्री किशोरसिंह—१८ (अठारह) साल की।

श्री अध्यक्ष—निवास स्थान कहां का ?

श्री किशोरसिंह—मारवाड़।

श्री अध्यक्ष—रहने वाले कहा के, गांव ?

श्री किशोरसिंह—सेलणी !

श्री अध्यक्ष—जिला ?

श्री किशोर सिंह—जोधपुर समझ लें (नागौर)।

श्री अध्यक्ष—क्या काम करते हैं आप ?

श्री किशोरसिंह—कुछ नहीं, नौकरी कुछ नहीं मिली, दर दर का भिखारी बना फिरता हूँ।

श्री अध्यक्ष—आप आज तारीख १० अप्रैल, १९५६ को विधान सभा की दर्शक दीर्घा में आये ?

श्री किशोरसिंह—अन्दर तो नहीं आया पर बाहर बगीचे में खड़ा था।

श्री अध्यक्ष—(दर्शक दीर्घा की ओर संकेत करके) यह जो गेलेरी है आपके सामने, आपकी दांई तरफ उसमें आये आप।

श्री किशोरसिंह—बगीचे में आया था ?

श्री अध्यक्ष—क्या आपने आज तारीख १० अप्रेल, १९५६ को ६ बजे के लगभग विधान सभा की दर्शक दीर्घा से अन्दर अपने और साथियों के साथ, जो कि संख्या में ६ थे, नारे लगाये और हल्ला किया और सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई ?

श्री किशोरसिंह—अन्दर तो नारे नहीं लगाये साहब, बाहर था। वहां तो हल्ला किया बगीचे के अन्दर।

श्री अध्यक्ष—बाहर नारे लगाये ?

श्री किशोरसिंह—बाहर 'धर्म की जय' तो बोली थी और कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष—और आपने यहां आने के लिये पास हासिल नहीं किये थे ?

श्री किशोरसिंह—मेरे पास कोई पास नहीं था ?

श्री अध्यक्ष—क्या आपने इस सदन की दीर्घा के अन्दर से सदन के अन्दर कूद कर इस सदन के अन्दर हल्ला किया और नारे लगाये और सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँचाई ?

श्री किशोरसिंह—इस हॉल के अन्दर मैं नहीं आया और न कूदकर आया। वहां बाहर एक दरवाजा है उसके अन्दर से होकर आया।

श्री अध्यक्ष—तुमको, यह जो हमारे सार्जेन्ट एट आर्म्स हैं, जो तुम्हारे दाहिनी तरफ खड़े हैं उन्होंने इस सदन के अन्दर से पकड़ कर सदन के जो और वाच एण्ड वार्ड के आदमी थे, उनकी सहायता से बाहर ले गये और बाहर अपनी हिरासत में ले लिया।

श्री किशोरसिंह—इन्होंने ले लिया, यहां पर नहीं। मुझे बाहर ही पकड़ा था।

श्री अध्यक्ष—तुमने, सदन की कार्यवाही में नारा लगाकर, सदन के प्रांगण के ऊपर नारा लगाकर और हल्ला करके सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई ?

(कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर)

तुमने सदन के अन्दर दाखिल होकर, सदन की कार्यवाही के अन्दर बाधा पहुंचाई और नारा लगाया और हल्ला किया ?

श्री किशोरसिंह—इस हॉल के अन्दर नारा नहीं लगाया। मैं गैलेरी में आया और बाहर ही खड़ा था।

श्री अध्यक्ष—क्या यह आप मानते हैं कि नारा लगाकर सदन के काम में आपने बाधा पहुँचाई है और आप इसके दोषी हो ?

श्री किशोरसिंह—मेरा गला सूख गया है, तीन घंटे हो गये हैं पानी पिये।

श्री अध्यक्ष—पानी मंगाते हैं। तब तक यह आप कह सकते हैं कि आपने सदन के अंदर दाखिल होकर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई और सदन का अपमान किया और उसके आप दोषी हो ? इसके बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री किशोरसिंह—जो आप फरमायें, वह हमें मन्जूर है।

श्री अध्यक्षः—तुम कुछ नहीं कहते हो। तुमको स्वीकार है ? इस बात को तुम मन्जूर करते हो कि तुम इस सदन के अन्दर, इस हॉल के अन्दर, यह कार्यवाही जो यहाँ हो रही है उसके अन्दर दाखिल हुऐ हो और इस सदन की कार्यवाही के अन्दर तुमने बाधा पहुंचाई है। इसके तुम दोषी हो।

श्री किशोर सिंहः—पानी आने के बाद ही मैं जवाब दे सकता हूँ। मेरा कंठ सूख गया है। खाना भी खाया हुआ नहीं है।

श्री अध्यक्षः— तो इसका मतलब यह है ? पानी इसको जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक न पिलाया जाय। (विराम) तुमको यह मन्जूर है ? तुम दोषी हो या नहीं ?

श्री किशोर सिंहः—हम दोषी नहीं हैं।

श्री अध्यक्षः—तुमको और कुछ कहना है ? तुमको अपनी सफाई में और कोई बात कहनी है।

श्री किशोर सिंहः—हमारी सफाई के अन्दर यही बात है कि हमको नौकरी मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—और कुछ नहीं कहना है।

श्री किशोरसिंह—और तो क्या कहें ?

श्री अध्यक्ष—ठीक है, इसको ले जाया जाय। (माननीय सदस्यों को सम्बोधित करते हुए) सदन को कुछ पूछना है ?

(राज्य पक्ष की ओर से "सफाई का पूछ लीजिये")

[श्री अध्यक्ष]

(श्री किशोर सिंह से) और कुछ सफाई उपस्थित करनी है इस बात की कि तुम को दोषी ठहराया गया है, कि तुमने सदन का अपमान किया है ? इसके बारे में सफाई पेश करनी है ?

श्री किशोर सिंह—मुझे कुछ भी नहीं कहना है, साहब ।

श्री अध्यक्ष—इसको बाहर पानी पिला दिया जाय ।

(श्री सचिव, विधान सभा से) Water should be kept ready outside and if anybody wants it should be given.

(श्री प्रतापसिंह के उपस्थित होने के पश्चात्)

श्री सार्जेन्ट एट आर्म्स—श्री प्रतापसिंह ।

श्री अध्यक्ष—आप का शुभ नाम ?

श्री प्रताप सिंह—मेरा नाम प्रताप सिंह ।

श्री अध्यक्ष—आपके पिताजी का नाम ?

श्री प्रतापसिंह—पिताजी का नाम कालूसिंह ।

श्री अध्यक्ष—कहां पर निवास-स्थान है आपका ?

श्री प्रतापसिंह—उपरेड़ा ।

श्री अध्यक्ष—क्या आयु है आपकी ?

श्री प्रतापसिंह—१८ साल ।

श्री अध्यक्ष—क्या काम करते हैं ?

श्री प्रतापसिंह—वहीं रहता हूँ साहब, घर पर ही ।

श्री अध्यक्ष—क्या तुम आज तारीख १० अप्रेल, १९५६ को विधान सभा की चार-दीवारी के अन्दर आए !

श्री प्रतापसिंह—जी हां ।

श्री अध्यक्ष:—तुमने विधान सभा की दर्शक दीर्घा के अन्दर ६ बजे प्रातः नारे लगाये, हल्ला किया अपने साथियों के साथ, जिससे कि सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँची?

श्री प्रतापसिंह:—नहीं साहब, मैंने कोई हल्ला नहीं किया। मैं धोखे से साथ में आगया। जब मैं बाहर भागने लगा तो मैं भी उस समय पकड़ने के अन्दर आ गया।

मै धोखे से आगया हूँ। उनके कहने से आगया हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि यह काम होगा। मैंने अपनी जिन्दगी में ऐसा काम कतई नहीं किया। मैं इस शहर में कतई नहीं आया और मैं यह कतई नहीं जानता हूँ कि यह काम हो रहा है और यह होगा।

श्री अध्यक्ष:— क्या तुमने इस सदन के अन्दर दाखिल होकर, गेलेरी में दाखिल होकर और सदन के अन्दर कूद कर नारा लगाया, हल्ला किया; जिससे कि सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंची!

श्री प्रतापसिंह:—नहीं साहब, मैंने हल्ला नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम भी हल्ला करो। वह आगे बढ़े। मैं नहीं आगे बढ़ा कूदकर। मैं उल्टा वापिस बाहर निकल कर जाने लगा तो उन्होंने कहा कि बोलो तो मैंने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मुझे क्यों ले आए?

श्री अध्यक्ष:—तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें धोखा दिया है, तो तुमको किसने धोखा दिया है?

श्री प्रतापसिंह:—इन लड़कों ने।

श्री अध्यक्ष:—कौन लड़के!

श्री प्रतापसिंह:—वे जो आए थे।

श्री अध्यक्ष:—नाम बताओ!

श्री प्रतापसिंह:—मैं एक का नाम जानता हूँ, नरेन्द्रसिंह।

श्री अध्यक्ष:—किनका लड़का है?

श्री प्रतापसिंह:—हमारे गांव के उम्मेदसिंह का लड़का है।

श्री अध्यक्ष:—तो तुमने जो कुछ भी यहां उसके साथ किया है उसका तुम्हें पश्चाताप है पछतावा है?

श्री प्रतापसिंह:—क्या?

श्री अध्यक्ष:—नरेन्द्रसिंह के साथ में तुमने यह जो कार्यवाही की और जो तुम कहते हो कि तुम्हें धोखे से लाये उसका तुम्हें पश्चाताप है, पछतावा है; उसका दुख है।

(चुप रहने पर)

बोलो जवाब दो।

एक माननीय सदस्य:—समझे नहीं।

श्री अध्यक्ष:—देखो, तुम जो सदन के अन्दर इस तरीके से दाखिल हुए और दाखिल होकर तुमने नारे लगाए, हल्ला किया, सदन की कार्यवाही के अन्दर बाधा पहुंचाई, तो यह दोष तुमने किया या नहीं किया!

श्री प्रताप सिंह:—नहीं साहब, उनके साथ था। उन्होंने कहा कि तुम भी बोलो। मैं कभी जोर से नहीं बोला। मैंने एक-दो बार कहकर बाहर निकलने की कोशिश की।

श्री अध्यक्ष—एक-दो बार बोलना स्वीकार करते हो। इस बात का तुम्हें अफसोस है, दुख है।

श्री प्रतापसिंह—हां साहब, दुख है।

श्री अध्यक्ष—तुम इस बात के दोषी ठहराए गए हो कि तुमने सदन के अन्दर दाखिल होकर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई है और इस सदन का अपमान किया है और सदन की ऊंची प्रतिष्ठा को बाधा पहुंचाई है। तुमको इसके बारे में कुछ कहना है! (चुप रहने पर) बोलो। उत्तर दो, जवाब दो।

श्री प्रतापसिंह—काहे का?

श्री अध्यक्ष—तुमने यह कुसूर किया कि तुम सदन के अन्दर दाखिल हुए और दाखिल होकर तुम्ने नारे लगाये, हल्ला किया, सदन कि कार्यवाही में बाधा पहुंचाई और सदन की जो प्रतिष्टा है उसको धक्का पहुंचाया है, इसके बारे में तुमको दोषी ठहराया गया है। इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है या तुमने इसको मन्जूर किया है।

श्री प्रतापसिंह:—हां साहब, मेरे से गलती होगई इसलिए कि मैं उनके साथ में आया हूँ।

श्री अध्यक्ष—तुमको इसके बारे में जो तुम अपनी गलती मानते हो कुछ सफाई पेश करना है; तुम को कुछ कहना है?

श्री प्रतापसिंह—आगे तो मैं क्या कहूँ आपको!

श्री अध्यक्ष—तुम यहां दाखिल हुए, जानबूझ कर इस नीयत से आए कि इस सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचायें !

श्री प्रतापसिंह—मैं कुछ नहीं जानता था। उनके पीछे पीछे चला आया। उन्होंने कहा कि तुम भी चलो यार। मैंने कहा कि तुम मुझे कहां ले जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि तुम भी चलो, हम सब चलें।

श्री अध्यक्ष—तुमने जो कुछ किया, उसके लिए तुमको कुसूरवार ठहराया गया है, उसके लिए तुम क्या कहना चाहते हो ?

श्री प्रतापसिंह—साहब, मेरी गलती हो गई है उसके लिए माफी चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—इसको ले जाया जाय। (कुछ विराम के अनन्तर) तुम्हारा नाम।

श्री प्रतापसिंह—प्रतापसिंह।

(श्री गोवर्धनसिंह के उपस्थित होने के पश्चात्)

श्री सार्जेन्ट एट आर्म्स—श्री गोवर्धनसिंह।

श्री अध्यक्ष—आपका शुभ नाम !

श्री गोवर्धनसिंह—मेरा नाम गोवर्धनसिंह।

श्री अध्यक्ष—पिता का नाम।

श्री गोवर्धनसिंह—मेघसिंह।

श्री अध्यक्ष—आप की आयु !

श्री गोवर्धनसिंह—१७ साल कुछ महीने है।

श्री अध्यक्ष—क्या काम करते हैं !

श्री गोवर्धनसिंह—कुछ नहीं करता, काश्तकारी करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—रहने वाले कहां के हो !

श्री गोवर्धनसिंह—जिला बूंदी, ग्राम टाकला।

श्री अध्यक्ष—क्या तुम आज तारीख १० अप्रैल, १९५९ को विधान सभा की दर्शक गेलेरी में आए !

श्री गोवर्धनसिंह—हां, साहब ।

श्री अध्यक्ष—कोई पास लेकर आए या बगैर पास के आए !

श्री गोवर्धनसिंह—बगैर पास के आया साहब ।

श्री अध्यक्ष—क्या तुमने इस विधान सभा की दर्शक दीर्घा के अन्दर ९ बजे सदन में आकर, और साथियों के साथ जो संख्या में ८ थे नारे लगाए और हल्ला किया !

श्री गोवर्धन सिंह—हां, साहब किया ।

श्री अध्यक्ष—क्या तुम ९ बजे अपने और साथियों के साथ दर्शक गेलेरी के ऊपर से कूद कर विधान सभा के इस सदन पर, इस आंगन पर आये और वहां नारे लगाये और हल्ला किया और विधान सभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचायी ?

श्री गोवर्धनसिंह—हमने कोई हल्ला नहीं किया । हमारी मांग थी । पेट का सवाल रखने के लिए आये थे ।

श्री अध्यक्ष—हां, उसके लिये तो आये; लेकिन ऐसा करके आपने विधान सभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचायी ?

श्री गोवर्धनसिंह—हां साहब, हमारे पेट का सवाल था, तो बाधा पहुँची होगी ।

श्री अध्यक्ष—तुमने इस प्रकार की कार्यवाही करके इस विधान सभा का अपमान किया और इसकी प्रतिष्ठा में बाधा पहुंचायी ?

श्री गोवर्धन सिंह—हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—तुम अपने आपको दोषी मानते हो ?

श्री गोवर्धनसिंह—दोषी क्यों ? पेट के लिए आये । जूते भी खाये साहब यह भी कहें ना आप ।

श्री अध्यक्ष—ठीक । तुमको इस बात का दोषी ठहराया जाता है कि तुमने विधान सभा के आंगन में आकर नारे लगाये, हल्ला किया और सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँचायी; तुमको इस बारे में कोई सफाई पेश करनी है ?

श्री गोवर्धनसिंह—क्या साहब ?

श्री अध्यक्ष—तुमको कोई सफाई देनी है इसके बारे में ?

श्री गोवर्धनसिंह—क्या सफाई दूं आप फरमायें जो।

श्री अध्यक्ष—हां।

श्री गोवर्धनसिंह—क्या कहा, मैं समझा नहीं ?

श्री अध्यक्ष—तुमने कसूर किया या नहीं किया, इसके बारे में कुछ सफाई देनी है ?

श्री गोवर्धनसिंह—आपकी निगाह में कसूर मानें, लेकिन हमारे पेट के लिए फरियाद सुनाने आये थे।

श्री अध्यक्ष—लेकिन ऐसा कानून है कि इस विधान सभा के आंगन में सदस्यों के अलावा कोई व्यक्ति पांव नहीं रखे। सदन में और कार्यवाही चलती हो तो हल्ला करें, शोर करें, उसमें बाधा पहुँचायें तो विधान सभा को उसे कोई सजा देने का अधिकार है और इसके अन्तर्गत तुम्हें पकड़ा गया, बाहर ले जाया गया मेरी आज्ञा से। तो तुमने यह अपराध किया या नहीं किया।

श्री गोवर्धनसिंह—आप समझें अपराध तो समझें, मैं तो नहीं समझता। पेट के लिये रोटी के लिए आते हैं; दोषी ठहराओ, जेल भेजो, फांसी दो।

श्री अध्यक्ष—दूसरे और भी तरीके हैं ?

श्री गोवर्धनसिंह—क्या तरीका हो सकता है। चार महीने होने आये, कोई सुनता ही नहीं, तो करें क्या। भूस्वामी का प्रश्न है, कहां तक सवाल........नौकरी मिलती नहीं, मजदूरी मिलती नहीं। हमारी मां-बहनों की इज्जत लूटें। उचित तरीका तो बतायें हमारे जीने का, क्या करें। यह चीज करते हैं तो यह कानून लागू, जब स्पष्ट कहते हैं तो सुनाई नहीं करते। क्या विधान है क्या कानून है........

श्री अध्यक्ष—और कुछ कहना है आपको ?

श्री गोवर्धनसिंह—क्या बाकी और।

श्री अध्यक्ष—और कुछ नहीं कहना है ?

श्री गोवर्धनसिंह—हां साहब।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

(श्री नाहरसिंह की उपस्थिति के पश्चात्)

सार्जेन्ट एट आमर्स—श्री नाहरसिंह

श्री अध्यक्ष—आपका शुभ नाम ?

श्री नाहरसिंह—नाहरसिंह।

श्री अध्यक्ष—पिता का नाम ?

श्री नाहरसिंह—श्री भूपसिंह।

श्री अध्यक्ष—आपकी जाति ?

श्री नाहरसिंह—राजपूत।

श्री अध्यक्ष—आपका निवास स्थान ?

श्री नाहरसिंह—सुनारिया।

श्री अध्यक्ष—जिला ?

श्री नाहरसिंह—किशनगढ़ जयपुर।

श्री अध्यक्ष—क्या यहां आज आये ?

श्री नाहरसिंह—हां साहब।

श्री अध्यक्ष—क्यों आये ?

श्री नाहरसिंह—हम तो रोटी चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप क्या काम करते हैं ?

श्री नाहरसिंह—खेती का काम करता हूं साहब।

श्री अध्यक्ष—आप आज तारीख १० अप्रेल, १९५९ को विधान सभा की दर्शक गेलेरी में आये, पास लेकर आये।

श्री नाहरसिंह—मेरे पास पास नहीं था।

श्री अध्यक्ष—आये ?

श्री नाहरसिंह—आया था।

श्री अध्यक्ष—बिना पास आये ?

श्री नाहरसिंह—हां, साहब।

श्री अध्यक्ष—विधान सभा की दर्शक गेलेरी के अन्दर ९ बजे व और ८ साथियों के साथ आपने नारे लगाये, हल्ला किया और सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँचायी ?

श्री नाहरसिंह—हां, साहब।

श्री अध्यक्ष—आपने इसके बाद में दर्शक गेलेरी के ऊपर से कूदकर अपने और साथियों के साथ विधान सभा के प्रांगण पर प्रवेश करके नारे लगाये, हल्ला किया और सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँचाई ?

श्री नाहरसिंह—कूदा नहीं था, साहब।

श्री अध्यक्ष—सदन के आंगन पर आये, प्रवेश किया और नारे लगाये ?

श्री नाहरसिंह—हां साहब, नारे लगाये।

श्री अध्यक्ष—आपके सदन के आंगन पर आने से, हल्ला करने से सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँची। यहां काम हो रहा था उसमें बाधा पहुँचाई आपने ?

श्री नाहरसिंह—हां, साहब।

श्री अध्यक्ष—आपको इस सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँचाने का और इस सदन की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचाने का दोषी ठहराया गया, उसके बारे में कुछ कहना है ?

श्री नाहरसिंह—मैं समझता नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष—आपको इस बात का कुसूरवार माना जाता है कि आप विधान सभा में दाखिल हुए, आपने नारे लगाये, हल्ला किया और इस सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँचाई, इसका कुसूरवार ठहराया है। इसको आप मानते हैं या नहीं ?

श्री नाहरसिंह—"कुसूरवार" तो आप देंगे, तो मानना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—हम नहीं देते हैं। आपने किया है ?

श्री नाहरसिंह—हमने तो रोटी के लिये किया है।

श्री अध्यक्ष—आपको और कोई सफाई पेश करनी है ?

श्री नाहरसिंह—क्या सफाई करनी है साहब, कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष—और कुछ कहना है ?

श्री नाहरसिंह—कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—इस बारे में कुछ कहना है कि यहां आकर बाधा क्यों पहुँचाई। अपने। आप दोषी, कुसूरवार मानते हैं या नहीं ?

श्री नाहरसिंह—समझता नहीं हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष—आपने जुर्म किया या नहीं। आपने यहां आकर हल्ला किया, बाधा पहुंचाई, इसको मानते हैं या नहीं।

श्री नाहरसिंह—मानता हूं साहब।

श्री अध्यक्ष—जो कुछ किया, उसका अफसोस है आपको।

श्री नाहरसिंह—अफसोस तो क्या है, पेट के खातिर किया, जुर्म नहीं किया।

(श्री केसरसिंह के उपस्थित होने के पश्चात्)

श्री सार्जेंट एट आर्म्स—श्री केसरसिंह।

श्री अध्यक्ष—आपका शुभ नाम ?

श्री केसरसिंह—केसरसिंह।

श्री अध्यक्ष—आपके पिताजी का नाम ?

श्री केसरसिंह—नाहरसिंह उर्फ नाथूसिंह।

श्री अध्यक्ष—आपका निवास स्थान ?,

श्री केसरसिंह—दांतली।

श्री अध्यक्ष—आपकी आयु, अवस्था ?

श्री केसरसिंह—२१ साल।

श्री अध्यक्ष—काम क्या करते हो ?

श्री केसरसिंह—कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष—क्या आप आज तारीख १० अप्रेल, ५६ को प्रातःकाल विधान सभा की दर्शक गेलेरी में आये ?

श्री केसरसिंह—जी हां।

श्री अध्यक्ष—पास लेकर आये या बिना पास ?

श्री केसरसिंह—बिना पास।

श्री अध्यक्ष—आपने विधान सभा की दर्शक गेलेरी में ६ बजे से लगभग अपने और आठ साथियों के साथ विधान सभा में नारे लगाये और हल्ला किया ?

श्री केसरसिंह—जी हां, किया था।

श्री अध्यक्ष—इस काम से आपने विधान सभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई ?

श्री केसरसिंह—जी हां।

श्री अध्यक्ष—इसके बाद में आप अपने और आठ साथियों के साथ दर्शक गेलेरी से कूदकर विधान सभा के आंगन पर आये और नारे लगाये, हल्ला किया ?

श्री केसरसिंह—जी हां, किया।

श्री अध्यक्ष—और इसके जरिये विधान सभा की कार्यवाही में बाधा पहुँचाई ?

श्री केसरसिंह—जी हां।

श्री अध्यक्ष—आप इस सदन के आंगन पर बिना अधिकार के आये ?

श्री केसरसिंह—जी हां।

श्री अध्यक्ष—आपने हमारे सदन के कार्य में बाधा पहुँचाई, सदन की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचाया, और सदन का अपमान किया ?

श्री केसरसिंह—यह तो ख्याल नहीं था कि हम ऐसा करें। हम तो अपनी आवाज यहां तक पहुँचाने के लिये आये थे।

श्री अध्यक्ष—आपको इस बात का दोषी (कुसूरवार) ठहराया गया कि आपने सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँचाई और सदन का अपमान किया। इस बारे में आप अपना कुसूर मानते हैं या इनकार करते हैं ?

श्री केसरसिंह—इसमें कुसूर नहीं है साहब, मैं अपनी आवाज पहुंचाने के लिये आया था, जो आपको सुननी चाहिये थी और ध्यान देना चाहिये था कि क्या कहते हैं लोग-बाग ?

श्री अध्यक्ष—आप कुसूर मानते हैं या इन्कार करते हैं ?

श्री केसरसिंह—मैं कुसूर मानता नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष—आपको कुछ सफाई पेश करनी है ?

श्री केसरसिंह—कोई सफाई पेश नहीं करनी है।

श्री अध्यक्ष—कुछ कहना है ?

श्री केसरसिंह—कुछ नहीं कहना है।

(श्री केसरसिंह के जाने के पश्चात् कुछ विराम के अनन्तर)

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, अब तो इनके रोटी-पानी का इन्तजाम कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष—क्या ?

श्री भैरूंसिंह—इन्हीं के विषय में निवेदन करना है : इसमें से एक-दो के साथ तो ऐसा बर्ताव किया गया है कि उनके कपड़े फट गये हैं। मुमकिन है उनमें से कुछ के जरबात् भी आए हों। इस विधान सभा के डॉक्टर जो हैं उनकी मार्फत मेडिकल एग्जामिनेशन करवा कर रिपोर्ट तैयार करवाई जावे।

श्री घीसीसिंह—श्री एच. के. व्यास (सदस्य) को उस समय यहां से घीस कर ले गये थे, उस समय नहीं कही यह बात।

श्री अध्यक्ष—सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे हृदय की तह तक जाकर इस बात को सोचें और विचार करें कि जो जनतांत्रिक परम्परा हम कायम कर रहे हैं वे ऐसी सुदृढ़ और ऐसी नींव पर आधारित होनी चाहिये जिससे हमारा गणतंत्र मजबूत और सुदृढ़ आधार शिला पर आधारित हो। मैं इस बात के लिये सदन के, इस पक्ष और उस पक्ष के सभी सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जहां तक मेरे अंतःकरण का प्रश्न है, मैं इस पद से निष्पक्ष भाव से, जो भी विवाद उठाये जाते हैं, उनका निर्णय करने की चेष्टा करता हूँ। किन्तु माननीय सदस्यों को यह स्मरण रखना चाहिये कि मैं जहां तक उनके बोलने का प्रश्न है, कहने का अधिकार है वहां तक ही उनकी रक्षा कर सकता हूं। यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सदन की प्रतिष्ठा भंग करने वालों को किसी तरह प्रोत्साहन देंगे तो मैं समझता हूँ कि वे जनतंत्र के पवित्र मंदिर को कलुषित करने के बड़े भारी दोषी होंगे। यह सदन के एक सदस्य का प्रश्न नहीं, सदन के नेता का प्रश्न नहीं, अध्यक्ष का प्रश्न नहीं, यह सारी विधान सभा का और राजस्थान के सारे चुने हुए लोगों का और जिन लोगों ने वोट दिये हैं उन लोगों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

मैं समझता हूँ कि जब मैं यह बात कहता हूं तो इसमें मुझे सारे सदन के सदस्यों का समर्थन प्राप्त है।

(करतल-ध्वनि)

वे व्यक्ति जो चाहे भूखे हों या नंगे हों, जिन्होंने आप लोगों को वोट दिये हैं, इस जनतंत्र के अन्दर जैसा कि हमारा विधान है, उसके अन्दर वैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का उन्हें अधिकार है। यदि वे अवैधानिकता को चुनौती देकर और कोई आन्दोलन करें तो वे शौक से करें। लेकिन यह विधान सभा का स्थल इस प्रकार के अन्दोलनों का प्रांगण नहीं हो सकता और इसके लिये यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है तो सदन के सारे सदस्य एक मत होकर उस बात के उपर अपना कड़ा निश्चय लें ताकि भविष्य में इस तरह की आपत्तियां, दुःखद घटनाओं की फिर से आवृत्ति न हो।

जो सदन की परम्पराएं हैं, उनका उल्लंघन करते हुए जो व्यक्ति यहां कोई अपराध करता है या और कोई कार्यवाही करता है जब तक कि सदन का अध्यक्ष उसे पुलिस के हवाले न करे, सदन की कस्टैडी में, सदन के अधिकार में रहता है और माननीय सदस्य ने जो शंकाएं उठाई हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके साथ न किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है और न किया जायगा।

(करतल-ध्वनि)

[श्री अध्यक्ष]

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमें सारी भूमिका को देखकर चलना है, ताकि भारतवर्ष की आने वाली पीढ़ियां यह न कह सकें कि हमने गलत परम्परायें डालीं, जनतंत्र की परम्परा को दूषित किया। आज जो सदन में यह दुर्घटना घटी है उसके लिये मेरे साथ सदन के सभी माननीय सदस्यों को इसके विषय में खेद होगा। इस प्रकार की आपत्तियां यहां नहीं होनी चाहिये और जिन माननीय सदस्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हाथ रहा है, पासेज दे कर यहां आने को प्रोत्साहन दिया है, ९ बजे के करीब जो सीन यहां हो रहा था उसे देख कर मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता। यह सारी घटना देख कर, कि ९ आदमी हुल्लड करें, सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँचायें इसमें यदि सदन के कोई सदस्य हैं और इस तरह के कार्य को प्रोत्साहन देते हैं, तो इससे ज्यादा शर्म की बात कोई और नहीं हो सकती।

मैंने इस बारे में माननीय सदस्यों के सामने तुरन्त ही थोड़ी देर बाद सारी बातें रखीं। उन्हें जो कुछ कहना था, सदन में कह चुके हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों को एक मौका और देता हूँ कि कल सुबह तक इस बारे में निर्णय करलें। अभी निर्णय करना चाहें तो अभी कर सकते हैं। मैं अपना [illegible] का निर्णय नहीं देना चाहता, जो निर्णय देंगे सदन के माननीय सदस्य देंगे। वे यदि अभी नि[illegible] करना चाहें तो जब तक चाहें बैठ सकते हैं। यदि सदन के माननीय सदस्य चाहते हैं कि बाद निर्णय करें तो कल सुबह ७ बजे तक हम इसका निर्णय कर सकते हैं।

(कुछ विराम के अन्तर)

Yes, Leader

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री):—अध्यक्ष महोदय, अगर हम १० मिनट बाद मीट करलें तो क्या हर्ज है ?

श्री अध्यक्ष:—Now we adjourn to meet at 2-30 P.M.

(सदन की कार्यवाही २ बज कर १५ मिनट पर २-३० बजे मध्यान्ह तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा की बैठक ३ बजकर २५ मिनट पर पुनः प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया [मुख्य मंत्री] :—अध्यक्ष महोदय, आज प्रातः ९ बजे सदन में जो घटना कुछ लोगों के द्वारा सदन के अन्दर नारे लगाने की वजह से उत्पन्न हुई, मैं समझता हूँ, सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य इस बात का अनुभव करता है कि वह एक बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना हुई है। शायद भारतवर्ष के दूसरे सदनों में इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटती हैं और जहां यह घटना दुःखद है वहां सब से ज्यादा दुःख इस बात का है कि इसको,

Page No 144

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जिन लोगों ने किया या जिन लोगों ने करवाया, वह राजस्थान के अन्दर जनतांत्रिक परम्परा पर प्रतिष्ठित उन सारी बातों को, मेरा ख्याल है, बहुत रूप में हिट करने जैसी घटना हुई है। यदि हम इस चीज को लेना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो उसके अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जहां व्यक्ति ऐसी बातें कर सकते हैं। लेकिन इस सदन के अन्दर एक परम्परा होती है, एक प्रतिष्ठा होती है जिस प्रतिष्ठा पर कोई आघात हो तो इधर या उधर के बैठने वालों को यह हानि पहुँचाने वाली है। आज जो हुआ उससे एक पक्ष पर या कुछ व्यक्तियों पर असर हुआ हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब पर असर होने वाली यह घटना हुई है। देश भर में, हमारे यहां हम जनतंत्र की भावनाओं और सिद्धान्तों को कितना मानते हैं, कितना समझते हैं, यह एक तरह से जाहिर किया है। मैं, अध्यक्ष महोदय, और इस बात में नहीं पड़ कर सदन के सभी माननीय सदस्यों ने, उनकी एविडेन्स हुई जिन लोगों ने यह बातें की, वे सबने सुनीं। इसमें ६ व्यक्ति हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने क्षमा याचना की और उसका नाम है श्री प्रतापसिंह जो उकराड़ के रहने वाले हैं। बाकी ८ व्यक्तियों में से दो ने इस बात का प्रयत्न किया और उन्होंने कहा कि सदन में नहीं मगर लॉन पर नारे लगाये जो वस्तु स्थिति से अलग है और गलत है, क्योंकि हम सब जो सदन में बैठे थे उन सबने देखा है। इन चीजों पर विचार करें और विचार किया तो इस बारे में माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि यह सदन, जिसने क्षमा याचना की है उसको क्षमा करदे और दूसरे व्यक्ति जो हैं उनको समान रूप से, सबको १५ रोज की सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा तजवीज करे। यह कम से कम होगी और आशा है हम सब की, चाहे किसी भी तरफ के बैठने वाले हों, इस बात में सम्मति है। सजा देने के बाद इनको जेल में कमिट किया जाय और उनको सेन्ट्रल जेल जयपुर में रखा जाय।

श्री अध्यक्ष:—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

राज श्री **हिम्मतसिंह** (विरोधी पक्ष):—अध्यक्ष महोदय, हाउस के नेता ने जो प्रस्ताव किया है उसके समर्थन में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि निस्संदेह जो घटना हमारे सामने, देखते देखते हुई है वह वाकई बड़ी शोचनीय है और इससे हाउस का अपमान हुआ है। जो हाउस ने कदम उठाया है वह बहुत ही उचित (कदम) उठाया है। इसके लिये तुरन्त निर्णय करने का जो कदम उठाया है वह बहुत ही यथार्थ है। जो सजा तजवीज की गई है, मैं समझता हूं कि महत्वता देखते हुये ऐसी ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि अबोध बच्चे हैं, शायद किसी के बहकावे में आकर ऐसा कर बैठे हैं, उनको १५ दिन की सिम्पल इम्प्रिजन मेंट की सजा जो तजवीज की है वह बहुत उचित है और मैं यह निवेदन करूंगा कि जजमेन्ट पास होने के बाद उनको सजा भुगताने के लिये जेल भेजा जावे।

श्री मानसिंह महार (विरोधी पक्ष):—माननीय अध्यक्ष, सदन के समक्ष आज ६ बजे जो घटना घटित हुई वह एक नई बात थी। इस दुर्घटना से हम सबको बड़ा दुःख है। इस बात के लिये कि आयन्दा इस प्रकार की कोई बात न हो सके और हमारे सदन की इज्जत जो आज है उससे

[श्री मानसिंह महार]

भी ज्यादा रहे, जो सदन के नेताने सदन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि जिन ८ व्यक्तियों ने सदन के अन्दर सदन की कार्यवाही का उल्लंघन किया उनको १५ दिन की सिंपल कैद की सजा दी जाय, इसका मैं समर्थन करता हूं और जो एक व्यक्ति ने क्षमा याचना की है उसके छोड़ने का जो प्रस्ताव किया है उसका भी मैं समर्थन करता हूँ। मैं यह समझता हूं कि यह सजा अगर वास्तविकता से देखा जाय तो उपयुक्त नहीं है, लेकिन यह पहला मौका है, जिन लोगों ने यह कार्यवाही की है, वे अबोध बालक थे। दूसरी बात उन्होंने अपने बयानों में जो कही कि भूल के कारण इस प्रकार की गलती कर गये थे और इस पर इस प्रकार का जो लीनियेन्ट व्यू लिया गया है इसके लिये मैं अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री भैरूंसिंह:—(दांता रामगढ) (विरोधी पक्ष)—माननीय अध्यक्ष, आजकी इस दुःखद घटना के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपना निर्णय सुनाया है वह—

श्री अध्यक्ष:—प्रस्ताव।

श्री भैरूंसिंह:—जो प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया है उस प्रस्ताव को हम प्रजातंत्र की स्वस्थ परम्परा के सम्बन्ध में, इसको समक्ष रख कर सोचें तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का निर्णय लेना अत्यन्त ही आवश्यक है। यह राजस्थान के इतिहास में और खास तौर से इस सत्र के इतिहास में यह घटना कोई मामूली घटना है, इस प्रकार से हम सोच कर नहीं चल सकते। यह घटना वाकई में इस प्रकार की घटना है, जिसके विषय में प्रजातांत्रिक प्रणाली के पक्ष में विचार रखने वाले हर सदस्य को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा और इस प्रकार की गंभीर परिस्थिति में जिस प्रकार का प्रस्ताव मुख्य मंत्रीजी ने, सारी बातों को सोच-समझ कर रखा है उसका स्वागत करते हुए, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री अध्यक्ष:—मैं समझता हूं कि जो विचार प्रस्ताव के रूप में उक्त घटना के सम्बन्ध में सदन के नेता ने कहे हैं और जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और उक्त प्रस्ताव का समर्थन करते हुए विरोधी दल के माननीय सदस्योंने जो उद्गार प्रकट किये हैं, उसमें मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे प्रथम, केवल यह प्रश्न सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना है और इसके ऊपर सदन की राय लेना है। इसके उपरान्त मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा।

यह प्रश्न है कि जो प्रस्ताव, सदन के नेता ने आज प्रातः काल की सभा की कर्यवाही में बाधा उपस्थित करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रति, जो कि इस प्रकार हैं:—

१. श्री नाहर सिंह।
२. श्री गोपाल सिंह।
३. श्री केसर सिंह।

[श्री अध्यक्ष]

४. श्री नरेन्द्र सिंह ।
५. श्री गुलाब सिंह ।
६. श्री किशोर सिंह ।
७. श्री राम दयाल ।
८. श्री गोर्धन सिंह और
९. श्री प्रताप सिंह;

जिन में से श्री प्रताप सिंह को माफी दी जाय और शेष ८ आदमियों को १५ दिन के लिये सेंट्रल जेल (जयपुर) में कमिट किया जाय, प्रस्तुत किया वह स्वीकृत हो ।

(सर्व सम्मति से स्वीकृत)

प्रस्ताव स र्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

मुझे केवल इतना ही कहना है कि इस विषय में जो हम यह निर्णय ले रहे हैं वह बहुत दुःख के साथ ले रहे हैं और जिन किसी परिस्थितियों में, चाहे जैसे लोगों ने स्वतः या किन्हीं से प्रेरित होकर यह कार्य किया है हम केवल उसकी निन्दा ही कर सकते हैं और मैं आशा करता हूँ कि सदन के माननीय सदस्य इसी प्रकार से सहयोग और सद्भावना से इस सदन की प्रतिष्ठा और शान को बनाये रखने की चेष्टा करेंगे ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ८ बजे के लिये स्थगित की जाती है ।

(मध्याह्नोत्तर ३. ३८ पर सदन की कार्यवाही अगले दिन दिनांक ११ अप्रेल, १९५९, बुधवार के प्रातः ८ बजे के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,

दिनांक, १० अप्रेल १९५९

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट

(सदन का अपमानकरने वाले व्यक्तियों के हेतु अधिपत्र का प्रपत्र)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

Warant of Commitment on a sentence of imprisonment

To,

The Superintendent,
Central Jail
Jaipur.

WHEREAS on the tenth day of April, 1956 at about 9 A.M. Shri______________son of Shri_____________________by caste________________resident of______________District______________ made an unauthorised entry into the Chamber of the Rajasthan Legislative Assembly and created a disturbance by shouting slogans and thereby in-interrupted or disturbed the proceedings of the House ;

The Rajasthan Legislative Assembly has, therefore, adjudged the said Shri____________________guilty of having committed the contempt of the House and has further ordered his committal to the Central Jail at Jaipur for a period of fifteen days.

This is, therefore, authorize and require you the said Superintendent to receive the said Shri____________________into your custody in the said Jail together with this warrant and carry the aforesaid order of committal into execution according to law.

Given under my hand and the seal of the Rajasthan Legislative Assembly this 10 day of April, 1956.

Sd. NAROTTAM LAL JOSHI,
Speaker,
Rajasthan Legislative Assemtly.

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित् प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिन्हें प्रकाशित करने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है)

394 [48/CM] Shri Bishambhar Nath Joshi. M. L. A. [Division No, 21]: Will the Minister for Education please state :----

(a) Since when has the Government Girls' School, Bandikui been raised to a Middle School ?

(b) What is the usual Headship Allowance payable to the Head Mistress of a Middle School ?

(c) Is this allowance being paid to the Head Mistress of the Government Girls' School Bandikui ?

(d) If not, why not ?

उत्तर

(अ) माह अगस्त, १९५५ से ।

(ब) मिडिल स्कूल की प्रधान अध्यापिकाओं का जो हैड मिस्ट्रैसों को अलाउन्स दिया जाता है वह छात्रों की संख्या पर दिया जाता है यानि ३५० से कम संख्या पर २० रू० माहवार व ऊपर संख्या होने पर ३० रू० माहवार ।

(स) अलाउन्स के पेमैन्ट करने के आर्डर दे दिये गये हैं ।

३९५. (२१। एम. एल. एम.) श्री भोपालसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर २०:—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) गुजिश्ता सैशन में गोरेरी चाचा की आबादी के सम्बन्ध में गलत बयानी पर सख्त कदम उठाया जाकर क्या कार्यवाही की गई ?

(ख) कई गांवों के वार्ड गलत बताये जाने के बावजूद भी क्या तहसील पंचायत के चुनाव कराये जावेंगे या पहले गल्तियां दुरुस्त की जावेंगी ?

(ग) क्या यह सही है कि ढाढरिया तहसील डेगाणा में केवल एक सरपंच और दो [illegible] ही पंचायत का कार्य भार संभाले हुए है और पंचायत चल रही है ?

(घ) क्या यह भी सही है कि जालसु नामक तहसील डेगाणा में ३ पंचों ही की पंचायत है ?

(ङ) क्या कलीयानपुरा व राकीयासणी तहसील डेगाणा में केवल ६० की आबादी पर ही एक एक पंच मुकर्रर किया गया है ?

उत्तर

(क) १६४१ के जन गणना के आधार पर जन संख्या ठीक दी गई थी।

(ख) तहसील पंचायतों के चुनाव आम तौर से हो चुके हैं। यदि कोई गलती नजर आती है तो ठीक कर दी जाती है।

(ग) जी हां। और निर्वाचन कराने का क्रम जारी है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं।

४०४. (१३३। सी. एम.) श्री कुम्भाराम आर्य, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ८०:—

क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) गंगानगर गर्ल्स हाई स्कूल में कितनी छात्राएं शिक्षा पा रही हैं ?

(ख) क्या उनकी संख्या को देखते हुए स्कूल के कमरे पर्याप्त है ?

(ग) यदि नहीं, तो कब तक कमरों की कमी को पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(क) १२२३ छात्राएं।

(ख) जी हां, अपर्याप्त हैं।

(ग) अन्य ऐसी समस्याओं के साथ २ इसका भी विचार किया जायगा।

४०७. (१३६। सी, एम.) श्री विशम्भर नाथ जोशी, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर २१:—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) सरकार अभी तक तहसील महुआ के कस्बे मंडावर–महुआ रोड़ के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल क्यों नही बना सकी है ?

(ब) मंडावर–महुआ रोड के राजकीय मिडिल स्कूल में इस समय कितने विद्यार्थी हैं ?

(स) क्या यह सही है कि मंडावर–महुआ रोड की जनता ने हाई स्कूल की स्थापना के लिये अपनी ओर से पांच पक्के कमरे भी स्कूल बिल्डिंग में बनवा दिये हैं ?

(द) क्या यह सरकार के ध्यान में है कि मंडावर–महुआ रोड में हाई स्कूल की अत्यन्त आवश्यकता है ?

(य) अब सरकार कब तक मंडावर–महुआ रोड के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में परिणित कर सकेगी ?

उत्तर

(अ) मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में परिवर्तन करने के नियमों की पूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका।

(ब) ३५३ विद्यार्थी।

(स) जी नहीं।

(द) जी हां।

(य) मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों में परिवर्तित करने के आधारित नियमों की पूर्ति होने पर अन्य स्थानों के साथ २ इस पर भी विचार किया जायगा।

४११. (६१। आर. एम.) श्री मोटाराम, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १०४:–राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(१) क्या तहसील सीवाणे में इस वर्ष अति वृष्टि होने की वजह से सारी फसल बरबाद हो गई है यदि हां, तो सरकार ने रिआयत देने के बारे में क्या क्या कार्यवाही की है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) क्या उपरोक्त कारण से वहां भयंकर बेकारी फैल गई है ? यदि हां, तो सरकार ने वहां पर मजदूरी दिलवाने के बारे में क्या कार्यवाही की है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या उपरोक्त तहसील में अकाल जैसी स्थिति है ?

(४) क्या तहसीलदार व बी. डी. ओ. सिवाना ने कुछ गांवों को अकाल पीड़ित घोषित नहीं करने की सिफारिश की है ?

(५) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी पूरी तरह से जांच करा कर उन गांवों में अकाल की घोषणा करा कर वहां के रहने वालों को राहत पहुँचायेगी ?

(उत्तर अनुपलब्ध)

४२१. (४८। सी. आई. एम) श्री चौधरी मोटाराम, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १०४:—क्या समाज कल्याण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) जोधपुर डिविजन में कलवी पटेल जाति के लोगों की कुल संख्या कितनी है ?

(२) इस जाति के लोगों का खास पेशा क्या है और इनमें प्रतिशत कितने पढ़े लिखे हैं ?

(३) इस जाति के सुधार के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(४) क्या सरकार इस जाति को (Backward Class) नहीं मानती और नहीं मानने के क्या कारण हैं ?

(५) इस जाति के लोगों ने उन्हें बैकवर्ड कास्ट में लेने की जो दरख्वास्तें दी उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) मालुम नहीं।

(२) मालुम नहीं, इस तरह के कोई आंकड़े एकत्रित नहीं किये हैं।

(३) सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि यह जाति पिछड़ी जाति में नहीं है।

(४) नहीं, क्योंकि ये बैकवर्ड नहीं हैं। इस संबंध में कोई जांच नहीं की गई है क्योंकि इनको पिछड़ी जातियों की सूची में लेने के लिए कोई प्रार्थना पत्र नहीं था। इस प्रकार की जांच अर्थात् बैकवर्ड क्लासेज कमीशन भारत सरकार द्वारा हुई। जिसका निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(५) भाग ४ के उत्तर के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

४२२. (११५ आर. एम.) श्री विशम्भर नाथ जोशी, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर २१:—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या यह सही है तहसील महुआ के मंडावर—महुआ—रोड कस्बे में सरकार ने हाल ही में पुलिस थाने की इमारत बनाने के लिए कई किसानों की काश्त की जमीन ली है ?

(ब) क्या थाने की इमारत के तामीर के कार्य का ठेका दिया जाकर तामीर शुरू भी की जा चुकी है तथा किसानों की जमीनों में पत्थर इत्यादि डालकर व तामीर शुरू करके नाकाबिल काश्त बना दी गई है ?

(स) क्या संबंधित किसानों को कोई मुआवजा भी इन जमीनों का दिया गया है ?

(द) क्या इन जमीनों के संबंध में एक्वीजीशन की जरूरी कानूनी कार्यवाही किये बिना तथा राजस्थान राज-पत्र में आवश्यक विज्ञप्ति प्रकाशित किये बिना सरकार ने किसानों की जमीनों पर कब्जा किया ?

(य) क्या सरकार शीघ्र ही इस संबंध में आवश्यक जांच करावेगी ?

(र) सरकार अब कब तक किसानों को उनकी जमीनों का मुआवजा दिलावेगी ?

उत्तर

(अ) जी हां। इस कार्य के वास्ते करीब ४१ गज ८० गज जमीन ली गई है।

(ब) तामीर शुरू कर दी गई है, और जिस जमीन में पत्थर पड़े हैं वह नाकाबिल काश्त स्वत: हो गई है।

(स) अभी नहीं। मगर अवश्य दिया जायेगा।

(द) जी हां। इस के सम्बन्ध में अवाप्ति की कार्यवाही नहीं की गई। किसानों से परस्पर बात करके उनकी रजामन्दी हासिल कर ली गई।

(र) जी हां। मुआवजा दिलाये जाने की कार्यवाही जल्द की जावेगी।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ३६३ का उत्तर देखिये)

LIST OF GAZETTED OFFICERS TO WHOM EXTENSION HAS BEEN GRANTED.

For starred question No. 21/CM. For Part 'A'

S. No.	Name of the Gajetted officer.	Dates of retirement.	Extension upto.	
1.	Shri Milkhi Ram.	20—8-53.	7-1-54.	
2.	„ R. V. Kumbhare.	18—9-54.	30-6-55.	
3.	„ Jai Narain, Head Master, High School, Shivganj.	1—1-54.	24-1-54.	
4.	„ Lal Chand Ranks, Headmaster, High School, Chittorgarh.	27-10-55.	30-6-56.	
5.	„ Sardar Singh Gupta, Headmaster, High School, Bari.	9—2-56.	30-6-56.	
6.	„ N. P. Mukerjee, Head of Chemistry Deptt. Dungar College, Bikaner.	14-12-55.	30-6-56.	
7.	„ S. S. Shukla, Lecturer in Economics, D. College, Bikaner.	11—6-55.	30-6-55.	
8.	„ V. G. Garde, Principal M. B. M. Engg. College, Jodhpur.	22-10-55.	30-4-57.	Contract service ex-
9.	„ K. L. Verma, Principal, Maharaja's College, Jaipur.	16—7-55.	15-7-57.	tended for a period
10.	„ B. B. Gupta, Prof. & Head of Zoology Deptt, Maharaja's College, Jaipur.	5—3-55.	30-6-55.	of two years.
11.	„ R. K. Shukla, Prof. & Head of Hindi Deptt., Maharaja's College, Jaipur.	24—5-56.	30-6-56.	
12.	„ R. K. Tripathi, Principal, S. M. K. College, Jodhpur.	1—2-56.	1-2-57.	
13.	„ B. S. Shastri, Lecturer in Sanskrit, Lohia College, Churu.	14-11-55.	30-6-56.	
14.	„ T.W. Methew, Officiating Principal, Dungar College, Bikaner.	20-11-55.	30-6-56.	

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ३६६ का उत्तर देखिये)

ग्राम किशनपुरा में जिन किसानों को बारानी के पर्चे मिले हैं उसकी सूची

क्रम सं०	नाम खातेदार	क्षेत्रफल	बारानी भूमि का वर्गभेद	लगान
१.	घनश्याम वल्द जेठमल जाति ब्राह्मण निवासी किशनगढ़ माफीदार खुदकाश्त	३३॥)४	बारानी दोयम	१३=)॥
२.	पांचू वल्द लालूराम ब्राह्मण निवासी जाकोलाई	२२॥)२	बारानी दोयम	८॥।-)।
३.	बालू पुत्र पन्ना जाट निवासी देह माफीदार	४॥।)४	बारानी अव्वल	२॥≥)।
४.	बालू पुत्र पन्ना हिस्सा २।३ व गुल्ला पुत्र हुक्मा हिस्सा १।३ जाट निवासी देह मु० शिक्मी	१५॥।)३	बारानी अव्वल	८॥≥)।
५.	जसवन्तसिंह पुत्र स्योनाथसिंह जाति राजपूत साकिन देह	४२॥)	बारानी दोयम	१६॥-)॥।
६.	बहादुरसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत साकिन देह	३=।)२	बारानी दोयम	२०॥।≥)॥।
	योग	१५८) बी		७०॥।≥)॥

बारानी अव्वल ५६)४

बारानी दोयम ६८॥)१

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ४०२ का उत्तर देखिये)

प्रश्न संख्या ६६ की सूची

सूची गांव तहसील नागौर जिनमें लगान बकाया है।

इन्दारूचक	सनेराण	खटोडा
सलेउ	मकौडी	कडलू
भखवासी	खरिया	चांवडिया
नागोर	इनाना	निंब्रोला
मानासर	आसापुरा	तांतावास
नकास	चक अधुनाई	पांचलासिंला
सालवा	झाडी सरा	भुन्डेल
अमरपुरा	चकखेतास	जनाण
चेनाट		माकला
ताडसर	चक परावा	मीरजास
अम्बासन	चक पितलसर	चिम्राणी
ब्रासनी	जाजोलाई	फिडौद
गवाखुर्द	जीवन बेरा	गन्दीलावासनी
सुखवासी	माजवास	इन्दास
रामघनु	बिरन्सर	मदवासी
नवास	रोहिणी	सलेउ
वरणगाइ	अजासर	सारणवास
कुमारी	सेवडी	योगोलाव इमानती
आसावरी	चिन्दडी	जोथोराव
खुडखडां कलां	मेडास	शामसर
खुडखडा खुर्द	खोडवा	चक खेडा हीरावास
चक गोलासनी	धारणवास	चक सुरजनियावास
टाकला	चक भावाडा	भदारुण
बुडी	गुडा भगवानदास	साडोकण
सिणोह	गलनी	मूडवा
माणकपुर	बलाया	केचैरा
चरडा	सीलगांव	चक मालगांव
डानलिया	बीटवाल	कवलियासर

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ४१८ का उत्तर देखिये)

नाम ठेकेदार	खनिज पदार्थ	तहसील	वार्षिक द्रव्य	अवधि
१. श्री नारायणदास ठेकेदार अलवर	पत्थर	अलवर	१८१०	१-४-५५ ला० ३१-३-५६
	कंकर बजरी भाजड़ा	अलवर	२१२०	,,
२. ,, सुखलाल ठेकेदार राजगढ़	१. पत्थर कंकर	राजगढ़	१५२५	,,
	२. बजरी	राजगढ़	४८०	,,
३. ,, किसनलाल ठेकेदार अलवर	पत्थर	किशनगढ़	५५०	,,
४. ,, नरेन्द्रकुमार अलवर	१. कंकर	किशनगढ़	२५	,,
५. ,, राजेश्वरनाथ भार्गव, अलवर	१. पत्थर	मुन्डावर	२५००	,,
	२. कंकर	थानागाजी	१००	,,
	३. पत्थर	थानागाजी	८५०	,,
	४. पत्थर	बहरोड़	७२५	,,
	५. पत्थर	बानसूर	४२५	,,
	६. पत्थर कंकर	रामगढ़ गोविन्दगढ़	२००	,,
६. ,, भौरेलाल ठेकेदार राजगढ़	१. पत्थर कंकर	लक्ष्मनगढ़	१७०५	,,
७. ,, गोपालदास ठेकेदार, अलवर	१. बजरी	लक्ष्मनगढ़	६५०	,,

Page No 157

नाम ठेकेदार	खनिज पदार्थ	तहसील	वार्षिक द्रव्य	अवधि
८. „ राधेश्याम जैन, अलवर	पत्थर कंकर	सब० तह० कठूमर	१०१०	„
६. „ रामचन्द्र माली, अलवर	बजरी	रामगढ़ गोविन्दगढ़	१६	„
१०. „ प्यारेलाल, ठेकेदार तिजारा	पत्थर	तिजारा	२००	„
११. „ चन्दरलाल, ठेकेदार बिरामपुर	कंकर	तिजारा	२२५	„
१२. श्री विष्णुदत्त, ठेकेदार अलवर	१. पत्थर	१. सिरयानी जोनापचा	३००	„
	२. पत्थर	२. घीलोट कतीना त० बहरोड	१७५	„
१३. „ गंगाराम, ठेकेदार बजाड	१. पत्थर	१. आनन्दपुरा नीमराना तहसील बहरोड	२०१	„
	२. पत्थर	२. मांढन त० बहरोड	३०	„
	३. पत्थर	३. नाघोडी, बूडी, नीमराना तहसील बहरोड	२५०	„
१४. „ सोहनसिंह, ठेकेदार बड़ोद	पत्थर	बडोद त० बहरोड	७५	„
१५. „ मातादीन, ठेकेदार नीमराना	पत्थर	गांववाला भोपतपुरा, नीमराना त० वहरोड	२००	
१६. „ नारायणसिंह, ठेकेदार रताय	कंकर	मुन्डावर	२७५	„
१७. „ उमरावलाल, ठेकेदार अलवर	बजरी	मुन्डावर	११५	„

Page No 158

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या ४२८ का उत्त. देखिये)

नकशा जमीन जो कस्बा मालपुरा में तारीख १-४-५५ से १२-२-५६ तक अलाट की गई।

नाम जिसको जमीन दी गई	तादाद जमीन (वर्ग गज में)	शरह नजराना (प्रति वर्ग गज)	कुल कीमत जमीन
			रु० आ० पा०
माणकचन्द	१२२	१।)	१५३-१२
रामप्रसाद मोची	११२।६	बिना नजराना	
मांडू डा० शंकर मांडू	२२ १/४	बिना नजराना	
चिरंजीलाल महाजन	१७४ १/२	१।)	२००-१४-६
मोहनलाल कासलीवाल	१३३ ३/४	१।)	१६७-४-०
ठाकुरदास शरणार्थी	४२२ १/४	बिना नजराना	
घासीलाल मुन्नालाल	२२ ४/६	३)	६७६-१-६
बजरंगप्रसाद अध्यापक	१६८	१।)	२४७-८-०
सैयदअली आदिर अली	१४६६	१॥)	२१६-३-०
नूरखां	२१३ १/३	बिना नजराना	
कनकीलाल रामगोपाल	२६७ ३/४	१।)	३७२-३-०
रोचीमल शरणार्थी	८८२ २/६	बिना नजराना	
पंच सरावगी मन्दिर आदिनाथजी	२१ १/६	२॥)	५२-१२-६
निहालचन्द शरणार्थी	३१	१।)	३८-१२-०
नासमल	३१	१।)	३८-१२-०
कुनणमल	३१	१।)	३८-१२-०
जैरामदास	३१	१।	३८-१२-०
शलचन्द	३१	१।)	३८-१२-०
दयालदास	३१	१।)	३८-१२-०
ईश्वरलाल	३१	१।)	३८-१२-०
पूलाराम	३१	१।)	३८-१[illegible]-०
मेघराज	३१	१।)	३८-१२-०
रोचूमल	३१	१।)	३८-१२-०
चूलाराम	५८	१।)	७२-८-०
बजरंगलाल दर्जी	२५०	१।)	३१२-८-०
रूपनारायण	७४ २।६	१।)	६२-१२-०
डा० ठाकूराम	७६	१।)	९५-०-०
रामस्वरूप	३५	२॥)	८७-८
मुन्शी पिलरा	२०५।१।३	२॥।)	५६४-१०-६

शुद्धि-पत्र

१० अप्रेल, १९५६

(१) कृपया पृष्ठ संख्या २४३६ पर अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर शीर्षक के अन्तर्गत शब्द 'श्री छीतरमल शर्मा' के स्थान पर 'श्री छीतरलाल शर्मा' पढ़ा जावे ।

(२) कृपया पृष्ठ संख्या २४४३ पर 'सदन में कुछ अवमान कर्त्ताओं द्वारा सदन के कार्य में बाधा एवं उनका विरोध' के स्थान पर 'सदन में कुछ अवमान कर्त्ताओं द्वारा सदन के कार्य में बाधा एवं उनका निरोध' पढ़ा जावे ।

(ख) इसी पृष्ठ पर शब्द 'T' orrow' के स्थान पर 'Tomorrow' पढ़ा जावे ।

(३) कृपया पृष्ठ संख्या २४४४ के प्रारम्भ में भीतरी शीर्षक 'सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति' पढ़ा जावे ।

(४) कृपया पृष्ठ संख्या २४४५ पर 'ह्राइटल' के स्थान पर 'टाइटल' पढ़ा जावे ।

(५) कृपया पृष्ठ संख्या २४४६ पर शब्द 'क्लॉज शीर्षक' के स्थान पर 'क्लॉज १, शीर्षक' पढ़े जावे ।

(६) कृपया पृष्ठ संख्या २४४७ पर भाषण कर्त्ता 'श्री मोहहलाल सुखाड़िया' के स्थान पर 'श्री मोहनलाल सुखाड़िया' पढ़ जावे ।

(७) कृपया पृष्ठ संख्या २४४८ से २४४९ तक शीर्ष पर 'विधेयक' व '१९५६' के मध्य में 'कोमा (,)' पढ़ा जावे ।

(८) कृपया पृष्ठ संख्या २४५१ व २४५२ के शीर्ष पर 'भूमी' के स्थान पर 'भूमि' पढ़ा जावे ।

(९) कृपया पृष्ठ संख्या २४७१ के शीर्ष पर 'विधेक' के स्थान पर 'विधेयक' पढ़ा जावे ।

(१०) कृपया पृष्ठ संख्या २४८५ के प्रथम शीर्षक में 'डिमाण्डस' के स्थान पर "डिमाण्ड्स" पढ़ा जावे ।

(११) कृपया पृष्ठ संख्या २४८७ से २५१४ तक मुद्रित शब्द 'म्युनिसिपेलिटीज' के स्थान पर 'म्युनिसिपेलिटीज' पढ़ा जावे ।

(१२) कृपया पृष्ठ २५१५ से २५४३ के शीर्ष इत्यादि पर मुद्रित शब्द 'अपमान' के स्थान पर 'अवमान' पढ़ा जावे ।